खण्ड–494, अंक–6
शुक्रवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1937
(21 अगस्त, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा द्वितीय सत्र, 2015)

(खण्ड 494 में 8 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन हेतु जनप्रतिनिधियों, सरकारी सेवकों एवं न्याय प्रणाली से जुड़े सभी सदस्यों के पुत्र–पुत्रियों को सरकारी स्कूलों में शिक्षित किये जाने के संदर्भ में नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ...	7–8
प्रश्नोत्तर	8–80
प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराने एवं बन्द चीनी मिलों को चालू कराने की मांग	80–82
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	82–84
जनपद हाथरस में अलीगढ़, आगरा रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
वाराणसी नगर स्थित लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर–पटेल चौराहा होते हुए बसही रोड चौराहा तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
प्रदेश के अर्द्धशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में मानक के विपरीत हो रहे कार्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	84–85
जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम क्षेत्र मड़ार विन्दवलिया के पंचायत भवन से श्याम नरायन टोला के नहर पुल तक लगभग 1 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत लोडियारी एवं खीरी में नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत लोहपूठ ग्वालरा सम्पर्क मार्ग को सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	85–86
जनपद मथुरा अन्तर्गत ब्लाक बल्देव स्थित बरौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
जनपद बागपत अन्तर्गत ग्राम निवाड़ा एवं सिसाना (बांगर) में किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	86

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे परिवारों के भवनों को ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	87
फतेहपुर के विकास खण्ड मल्लावां अन्तर्गत ग्राम सीरा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	87
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटापार रानी अन्तर्गत भाटपार में नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद गोरखपुर के थाना गगहा में दर्ज मु0अ0सं0–75/15 के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ मण्डी समिति द्वारा निर्मित कतिपय मार्गों के नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	89
प्रदेश में समाज के सभी धर्मों व जाति के कम आय वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	89–90
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के ब्लाक मिर्जापुर अन्तर्गत गांव भरतपुर से उत्तर पैलामी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	90
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र जगनेर में व्याप्त पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का निराकरण कराये जाने हेतु गुंगाबाद बंधा एवं रिछोहा बंधा को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ब्लाकों के जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	90–91
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	91
उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	91
जनपद मथुरा के अन्तर्गत तहसील मथुरा में पिछले चार वर्षों में धारा–161 एवं धारा–143 के माध्यम से उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गित अनुमति दिये जाने की जांच कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह व श्री प्रेम सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा	91

हस्ताक्षरित याचिका... (उपस्थित की गई) ...

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत रूदौली रेलवे लाइन के समपार संख्या–143 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाये जाने विषयक श्री अजीत प्रताप सिंह व श्री सत्य प्रकाश निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... 91

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद वाराणसी में राजधानी मोड़ से धौरहरा, विकास खण्ड चोलापुर से हरिहरपुर मार्ग पर स्थित श्री रुद्रश्वरनाथ महादेय एवं मा0 पार्वती जी के प्राचीनतम मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने विषयक श्री शिव नारायन यादव व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	92
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	92–93
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ...	93
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	93–95
जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला ट्रामा सेन्टर यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा... (संकल्प वापस लिया गया) ...	95–97
जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (अस्वीकृत)	97–101
नामरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवायें एवं छात्र–छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान कराये जाने हेतु जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की निष्प्रयोज्य भूमि पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (संकल्प वापस लिया गया)	101–104
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	104–106
प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत संकल्प जारी चर्चा का स्थगन	107
प्रदेश के जनपद उन्नाव की ग्राम सभा ओरहर, पडरीकला, निबईगैर एहतमाली, कोरारीकला, तारगांव एवं कुलहाबगहा में चकबन्दी अधिनियम की धारा–6 (1) के अन्तर्गत नियमित रूप से स्थगित की गई चकबन्दी प्रक्रिया को किसानों के हित में यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत) ...	107

जनपद–देवरिया में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना यथाशीघ्र कराने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दि0 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (अस्वीकृत)... ... 107–111

विषय	पृष्ठ–संख्या
केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार राज्य की भांति उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज के रूप में एकमुश्त धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्रा ''मोना'' द्वारा विशेष उल्लेख के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव ...	111
प्रदेश के महानगरों के बढ़ते स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए बाहरी क्षेत्रों में निर्मित कालोनियों का नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (संकल्प वापस लिया गया)	111–114
उत्तर प्रदेश की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश को चार जोनों में बांटे जाने के अनुरूप प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौतिक एवं पिछड़ेपन के आधार पर अलग–अलग चार जोनल बजट बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन	114
जनपद–झांसी में स्थापित पारीक्षा थर्मल पावर प्लाण्ट में भूमि अधिग्रहीत किसानों के आश्रितों को ऊर्जा विभाग में सेवायोजित करने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (व्यपगत)	114
यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (अस्वीकृत)	114–116
ग्लोबल वार्मिंग में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे प्रदूषण के फलस्वरूप प्रदेश के विकास में हो रही कमी को नियंत्रित करने के लिये एक समयबद्ध एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	116
प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	116–117
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध से बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम–56	117–152

के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दो घण्टे की चर्चा ...

विधान सभा परिसर में श्री अध्यक्ष द्वारा वाई–फाई सुविधा का उद्घाटन मुख्य मंत्री द्वारा किये जाने की सूचना ... 152

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं 152–155

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद झांसी में पारीक्षा थर्मल पावर लि0 में निर्माण एवं मरम्मत सम्बन्धी निविदा आमंत्रण एवं आवंटन प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... (व्यपगत)	155
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के विकास खण्ड नानौता में पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... (व्यपगत)	156
औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेस–वे के नीचे बराबर सर्विस रोड न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... (व्यपगत)...	156
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भावर कोल, मुहम्मदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक गणना का सत्यापन ग्राम सभा की खुली बैठक में न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सिबगतुल्ला अंसारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	156–157
जनपद गाजियाबाद के वार्ड नं0–7 में राधा एन्क्लेव कुंज गेट से गगन एन्क्लेव गेट नं0–1 तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... (व्यपगत)	157
मेरठ व सहारनपुर मण्डल में कोरी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	157–158
जनपद महोबा में 834 वर्षों से लगातार लगने वाले घोषित राजकीय कजली मेले को भव्यता प्रदान किये जाने एवं महोबा को पर्यटन नगरीय घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य ... (व्यपगत) ...	158
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के मार्गों को पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ... (व्यपगत)	158

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर स्थित सुभद्रा देवी मूलाराम कृषक महाविद्यालय हमजापुर के निर्माण हेतु तीसरी किस्त जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 158–160

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश के आर0एम0पी0 ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... (स्थगित)	160
बरेली मण्डल में भवनों के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	160–162
जनपद मेरठ के टी0पी0 नगर क्षेत्र में शहीद हुये स्व0 श्री वेदमित्र (फौजी) के परिवार को आर्थिक सहायता, परिवार के सदस्य को नौकरी एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य... (व्यपगत) ...	162
नत्थी	163–171

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–334

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय, श्री वाराणसी
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
21. अमित गौरव यादव, श्री एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
36. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
37. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
38. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
39. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
40. आलमबदी, श्री आजमगढ़
41. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
42. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
43. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
44. आशीष यादव, श्री बदायूं
45. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
46. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
47. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
48. इकबाल, श्री बिजनौर
49. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ

50. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदय लाल मौर्य, श्री वाराणसी
57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
63. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
64. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. कैलाश, श्री गाजीपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
74. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
75. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
76. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
77. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
78. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
79. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
82. गोमती यादव, श्री लखनऊ
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
85. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
86. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
87. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
88. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
89. जगपाल, श्री सहारनपुर
90. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
91. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
92. जफर आलम, श्री अलीगढ़
93. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
94. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
95. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
99. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
102. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
103. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
104. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
105. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
106. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
107. दलजीत सिंह, श्री बांदा
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
109. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
110. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
112. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
113. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा

114. धर्मराज, श्री बाराबंकी
115. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
116. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
117. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
118. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
119. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
120. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
121. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
122. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
123. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
126. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
127. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
128. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
129. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
130. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
131. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
132. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
133. पीतमराम, श्री पीलीभीत
134. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
135. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
138. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
139. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
140. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
141. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
142. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
143. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
144. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
145. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
146. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
147. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
148. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
149. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
150. बदलू खां, श्री उन्नाव
151. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
152. बाबू खां, श्री हरदोई
153. बाबूलाल, श्री गोण्डा
154. बावन सिंह, श्री गोण्डा
155. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
156. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
157. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
158. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
159. बैजनाथ, श्री मऊ
160. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
161. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
162. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
163. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
164. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
165. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
166. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
167. मनबोध, श्री देवरिया
168. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
169. मनीष रावत, श्री सीतापुर
170. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
171. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
172. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
173. महबूब अली, श्री अमरोहा
174. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
175. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
176. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
177. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी

178. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
179. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
180. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
181. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
182. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
183. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
184. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
185. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
186. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
187. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
188. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
189. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
190. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
191. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
192. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
193. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
195. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
196. यासर शाह, श्री बहराइच
197. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
198. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
199. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
200. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
201. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
202. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
203. रणजीत सुमन, श्री एटा
204. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
205. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
206. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
207. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
208. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
209. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
210. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
211. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
212. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
213. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
214. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
215. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
216. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
217. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
218. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
219. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
220. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
221. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
222. राधे श्याम, श्री अमेठी
223. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
224. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
225. राम करन आर्य, श्री बस्ती
226. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
227. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
228. राम गोविन्द, श्री बलिया
229. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
230. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
231. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
232. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
233. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
234. राम मगन, श्री बाराबंकी
235. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
236. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
237. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
238. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
239. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
240. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
241. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
242. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
243. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
244. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
245. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
246. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
247. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
248. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर

249. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
250. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
251. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
252. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
253. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
254. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
255. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
256. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
257. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
258. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
259. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
260. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
261. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
262. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
263. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
264. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
265. विजय सिंह, श्री रामपुर
266. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
267. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
268. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
269. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
270. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
271. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
272. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
273. वीरपाल राठी, श्री बागपत
274. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
275. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
276. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
277. शकुन्तला देवी, श्रीमती शाहजहांपुर
278. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
279. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
280. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
281. शाकिर अली, श्री देवरिया
282. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
283. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
284. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
285. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
286. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
287. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
288. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
289. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
290. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
291. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
292. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
293. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
294. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
295. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
296. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
297. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
298. संजय कपूर, श्री रामपुर
299. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
300. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
301. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
302. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
303. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
304. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
305. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
306. सत्य प्रकाश अग्रवाल

(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
307. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
308. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
309. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
310. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
311. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
312. सियाराम सागर, डा0 बरेली
313. सीमा, श्रीमती जौनपुर
314. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
315. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
316. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
317. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
318. सुधाकर, श्री मऊ
319. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
320. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
321. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
322. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
323. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
324. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
325. सुरेश राणा, श्री शामली
326. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
327. सुल्तान बेग, श्री बरेली
328. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
329. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
330. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
331. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
332. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
333. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
334. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री रामसकल गुर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हेतु जनप्रतिनिधियों, सरकारी सेवकों एवं न्याय प्रणाली से जुड़े सभी सदस्यों के पुत्र–पुत्रियों को सरकारी स्कूलों में शिक्षित किये जाने के संदर्भ में नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय लोकदल के कई सदस्य वेल में आ गए)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी ने नियम–311 में एक सूचना दी है इस सन्दर्भ में कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी..

(व्यवधान के कारण डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की आगे की बात सुनाई नहीं दी)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप अवगत हैं, दो दिन का समय इसलिए बढ़ाया गया था कि जनता की कुछ आशाएं रहती हैं, विधान सभा से और सरकार से, लेकिन आप यह देख रहे हैं कि मुसलसल भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और फिर कांग्रेस पार्टी, यह सारे लोग सिवाय सदन का समय खराब करने के, जनता के पैसे को बर्बाद करने के अलावा, सिर्फ समाचार की खबरें बनाने के अलावा कोई काम नहीं करना चाहते हैं। पूरा–पूरा दिन सदन का समय बर्बाद हो रहा है। अखबारों और टेलीविजन पर नाम आ जाय, इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है। यह दो दिन का समय बढ़ाया जाना, सिर्फ सदन का समय बर्बाद करना और जनता का पैसा बर्बाद करना है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने तय किया था कि कानून–व्यवस्था पर चर्चा होगी। सरकार कानून–व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए तैयार है, क्या आप लोग इस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अध्यक्ष जी, क्योंकि कानून तोड़ने वालों में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इसीलिए यह नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इन लोगों ने सदन को मजाक बना दिया है, यह हालत है। यह पार्लियामेंट की दूसरी शक्ल बनाना चाहते हैं, यह संसद का माहौल उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बनाना चाहते हैं, मान्यवर, यह आलम है। यह विधान सभा है, यह चुने हुए लोग हैं.....

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी सीटों पर चलिए।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि कल जवाब दिलाऊंगा। मुझे सरकार से जवाब चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अगर सदन का समय बढ़ाया जाना अनुचित था तो मान्यवर, इस पर भी तय कर लिया जाय। अगर सदन का समय इसलिए बढ़ाया जाता है तो यह सही बात नहीं है, यह जनता के पैसे की बर्बादी है।

(घोर व्यवधान जारी)

(विपक्ष के कई सदस्यों के वेल में आ कर तथा अपने स्थान पर खड़े हो कर एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग चर्चा नहीं चाहते हैं, कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं चाहते हैं। यह इतना इम्पार्टेन्ट है। सरकार चर्चा कराना चाहती थी, सुनना चाहती थी। सरकार जवाब देना चाहती थी। आप 311 दे देंगे। चलिए। आप जाइए, अपनी सीटों पर जाइए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ऐसे सदन नहीं चल सकता। यह सदन इसीलिए बढ़ाया गया है, इस माहौल के लिए। अपनी बात कहने के बजाए, जो माहौल संसद में था वही माहौल यहां बनाया जाए। क्या इसीलिए सदन बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

जाइए, अपनी सीट पर जाइए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब यह नहीं चाहते हैं सदन चलाना, तो क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं 20 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण 11 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित कर दी।

11 बजकर 23 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

जनपद बिजनौर सहित प्रदेश में अवैध खनन को रोकने की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री सलिल विश्नोई–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर सहित प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)–

अवैध खनन को रोकने के लिये शासनादेश संख्या–5360/77–5–2005–371/2005, दिनांक 10–11–2005 एवं तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, खान अधिकारी सदस्य होते हैं।

जी हां। विवरण संलग्न[४] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली की समस्या के दृष्टिगत रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट नीति, 2014 लागू करने ने की मांग

'02–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी मकानों एवं प्रतिष्ठानों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने के लिये कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट नीति–2014 घोषित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत कैप्टिव उपयोगार्थ मकानों/प्रतिष्ठानों की छत पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना करायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चूड़ी जुड़ाई एवं ग्लास डेकोरेशन में जुड़े असंगठित श्रमिकों को कर्मकार अधिनियम, 2008 नियमावली में सम्मिलित किया जाना

'03–श्री मनीष असीजा–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चूड़ी जुड़ाई एवं उस पर किये जाने वाले ग्लास डेकोरेशन के कार्य में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित रूप से लगे हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे श्रमिकों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित असंगठित क्षेत्र कर्मकार अधिनियम, 2008 नियमावली में सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

जी हां।

चूड़ी जुड़ाई एवं उस पर किये जाने वाले डेकोरेशन के कार्य में अधिसंख्य श्रमिक लगे हुये हैं किन्तु किसी विशिष्ट सर्वेक्षण के अभाव में इन श्रमिकों का संख्यात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

---

[४] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–163–164 पर।

उक्त श्रमिक असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(एन) से आच्छादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :–उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदियों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु अक्षय पात्र नामक संस्था को नामित करने पर विचार करने हेतु प्रकरण

'04–श्री सतीश महाना–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में निरुद्ध कैदियों को गुणवत्ता युक्त उत्कृष्ट एवं प्रोटीनयुक्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु अक्षय पात्र नामक संस्था को जेलों में भी नामित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु अक्षय पात्र नामक संस्था को नामित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

जेल मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार कारागार की पाकशाला में निर्मित किया गया भोजन बंदियों को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार/व्यवसाय उपलब्ध कराने की नीति की जानकारी

'05–श्री वीरपाल राठी–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार/व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने पर भी सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार/व्यवसाय उपलब्ध कराने की कोई विशेष नीति नहीं है। वर्तमान में श्रम विभाग के अन्तर्गत बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश के 75 जनपदों में सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 01 नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं।

प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ूेमूंलवरंदण्वतह वेबपोर्टल का विकास कराया गया है। इस वेबपोर्टल में बेरोजगार अभ्यर्थियों के आनलाइन पंजीयन के साथ ही साथ सेवायोजकों को भी आन लाइन पंजीकृत करने का प्राविधान है। इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को जहां रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे वहीं सेवायोजकों को भी योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। इस पोर्टल में यह भी प्राविधान है कि प्रदेश के

अन्तर्गत समस्त नियमित एवं संविदा पर होने वाली सरकारी रिक्तियों/भर्तियों की सूचना भी प्रदर्शित की जाए।

रोजगार बाजार में रोजगार के अवसर तथा उपलब्ध जनशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते हुए सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता उपलब्ध करायी जाती है। रोजगार मेलों के माध्यम से वर्ष 2012 में 8201, वर्ष 2013 में 24579 एवं वर्ष 2014 में 38204 वर्ष 2015 में माह अप्रैल, 2015 तक 13760 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग तथा विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश के 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं, जहां उन्हें कार्यालय प्रबन्धन का एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें उन्हें टंकण, आशुलिपि, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, भाषा, सचिवीय पद्धति आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है साथ ही उन्हें लिपिक वर्ग की सेवाओं की तैयारी के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली 2012 के अन्तर्गत निहित शर्तों को पूर्ण करने वाले ऐसे बेरोजगारों को जिनकी आयु 25–40 वर्ष के मध्य हो, कम से कम हाई स्कूल/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं उत्तर प्रदेश के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में दिनांक 31–08–2012 तक पंजीकृत हों, को एक हजार प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में वर्ष 2012–2013 में 1159398 लाभार्थियों को रु0 587.54 करोड़ का भुगतान एवं वर्ष 2013–2014 में 1261524 लाभार्थियों को रु0 1384.54 करोड़ का भुगतान भत्ते के रूप में किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों का कार्ड बनाकर राशन आदि उपलब्ध कराया जाना

'06–श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री धर्मपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड कब से बनाने प्रारम्भ किये जायेंगे तथा कितने दिनों में पूर्ण कराकर निर्धारित दरों पर अनाज तथा अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किये जाने की समय–सीमा दिनांक 30 सितम्बर, 2015 निर्धारित की गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों के चिन्हांकन की कार्रवाई प्रगतिमान है। चिन्हांकन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद राशन कार्ड बनाने व खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

'07–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में क्षमता से अधिक निरुद्ध बन्दियों को खान–पान एवं शौच की व्यवस्था कराने विषयक

'08–श्री सुदेश शर्मा–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों की बैरिकों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से उनको खाने–पीने, शौच आदि में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जेल की बैरिकों में उनकी क्षमता के अनुसार कैदियों को रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की कारागारों की कुल बंदी क्षमता 52572 है, जिसके सापेक्ष दिनांक 31 मई, 2015 तक 90151 बंदी निरुद्ध रहे हैं। इस प्रकार क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध किये जा रहे हैं किन्तु बन्दियों को खाने–पीने, शौच आदि की समुचित व्यवस्था की जाती है।

'09–श्री रविन्द्र भड़ाना–

ख्2सरे गुरुवार के तारां0प्र0सं0–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में भारी अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि को देखते हुए किसानों के गेहूं एवं धान खरीद पर अतिरिक्त बोनस दिया जाना

'10–श्री सुरेश राणा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हुई भारी अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि को देखते हुए किसानों के गेहूं एवं धान खरीद पर अतिरिक्त बोनस देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गेहूं एवं धान की खरीद में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो भुगतान किया जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। गेहूं एवं धान की खरीद राज्य सरकार के बजट से नहीं की जाती है। इसलिए बजट में बोनस का कोई

प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि गेहूं एवं धान खरीद मे बोनस न दिया जाय।

प्रदेश में दलहन की फसलों के नुकसान के कारण मंहगाई में बढ़ोत्तरी को नियन्त्रण करने की सरकार की योजना

'11–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहन की फसलों में नुकसान के कारण प्याज और टमाटर जैसी दैनिक जरूरतों वाली सब्जियां व अरहर, उरद, मसूर, चना व मूंग की दालों में मंहगाई वर्ष 2015 में ही लगभग 64 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य पदार्थों की मंहगाई पर नियंत्रण करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

प्रदेश में प्याज, टमाटर, अरहर, उरद, मसूर, चना व मूंग की दालों के मूल्य में 64 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि प्रदेश में प्याज, टमाटर, अरहर, उरद, मसूर, चना व मूंग की दालों के मूल्य में गत वर्ष के सापेक्ष निम्नवत् वृद्धि परिलक्षित हुई है :–

क्र0सं0	सब्जियां / दालें	प्रतिशत
1	प्याज	0.37
2	टमाटर	(–) 16.20
3	अरहर	53.56
4	उरद	39.48
5	मसूर	24.77
6	चना	45.49
7	मूंग	9.64

प्रदेश में प्याज, टमाटर, अरहर, उरद, मसूर, चना व मूंग की दालों के मूल्य में वृद्धि के दृष्टिगत मंहगाई पर नियन्त्रण हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :–

(1) प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं मूल्य नियन्त्रण के सम्बन्ध में राज्य स्तर, मण्डल स्तर एवं जनपद स्तर पर मूल्य अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

(2) दालों पर संग्रह सीमा लागू किया जाना प्रस्तावित है।

(3) आवश्यक वस्तुओं में हो रही मूल्य वृद्धि की रोकथाम हेतु शासनादेश दिनांक 19–06–2014 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिये गये हैं कि यदि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी,

कालाबाजारी एवं घटतौली में कोई भी व्यक्ति/व्यापारी लिप्त पाया जाय, तो उसके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाय।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को मुफ्त बीज वितरण की सरकार की योजना की जानकारी

'12–डा0 अरुण कुमार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को मुफ्त बीज वितरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों को खाद्यान्न सुरक्षा दिये जाने का प्रावधान है। किसानों को मुफ्त बीज दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रदेश के गामीण इलाकों में हर घर में शौचालय की व्यवस्था हेतु विशेष कार्य योजना बनाया जाना

'13–श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री त्रिभुवन राम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जिन घरों में शौचालय नहीं हैं, सरकार इनका सर्वे कराकर शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

जी हां।

निर्मल भारत अभियान सम्प्रति स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेस लाइन सर्वे वित्तीय वर्ष 2011–12 में कराया गया है। बेस लाइन सर्वे के आधार पर पी0आई0पी0 भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के अनुसार बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 की पांच श्रेणी के लाभार्थियों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

'14–श्री त्रिभुवन राम–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी को रोका जाना

'15–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था, रोस्टर व्यवस्था, काल सेन्टर, एस0एम0एस0 व्यवस्था लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मऊ के क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत दुबारी चौक से जैयनेन्द्र कुमार के विद्यालय तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण किया जाना

01–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत दुबारी चौक से जैयनेन्द्र कुमार के विद्यालय तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

राज्य वित्त आयोग की धनराशि से स्वीकृति प्राप्त कर मार्च, 2016 तक मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

02–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

खदिनांक 19–08–2015 को उत्तरित,

03–श्री वीरपाल राठी–

खदिनांक 19–08–2015 को उत्तरित,

प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में शौचालय विहीन घरों का सर्वे कराकर शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना

04–श्री सुदेश शर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शौचालय विहीन घरों का सर्वे कराकर सरकार शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों का बेसलाइन सर्वे कराकर शौचालय युक्त एवं शौचालय विहीन परिवारों का चिन्हीकरण कर भारत सरकार को पी0आई0पी0 उपलब्ध करा दी गयी है।

भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बी0पी0एल0) के साथ–साथ ए0पी0एल0 के 05 श्रेणी के परिवारों हेतु शौचालय का निर्माण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को दस हजार रुपये का पेंशन देने तथा उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों में सहवर्ती का निःशुल्क यात्रा सुविधा

05–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में बन्द लोकतंत्र सेनानियों को प्रदेश सरकार द्वारा दस हजार रु0 प्रतिमाह पेंशन देने, सहवर्ती के साथ निःशुल्क बस यात्रा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी है ? क्या इन लोकतंत्र सेनानियों को उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की वोल्वो एवं प्लेटीनम बसों में भी सहवर्ती के साथ निःशुल्क बस यात्रा सेवा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वोल्वो एवं प्लेटीनम बसों में भी इन्हें उक्त सुविधा देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

जी हां।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1/2015/123जेड/6–सा–1–2015– 55जी/90, दिनांक–01 अप्रैल, 2015 द्वारा रु0 दस हजार मासिक भुगतान का आदेश दिया गया है तथा चिकित्सा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1354/पांच–1–11–4(194)/06टी0सी0, दिनांक–28–09–2012 द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी है। इसी तरह परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–832/30–2–2012–2(7)2006, दिनांक–31–08–2012 में निहित प्राविधानानुसार आपातकाल के दौरान राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों को उनके एक सहयोगी सहित उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में (प्लेटिनम लाइन/बोल्वो सेवाओं को छोड़कर) निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1234जेड/6–सा–1–2012–26जी/2012, दिनांक–31–12–2012 के अनुसार राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों को उ0प्र0 परिवहन निगम की प्लेटिनम लाइन/बोल्वो बसों में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में गरीब, मेहनतकश श्रमिकों के निःशुल्क इलाज हेतु ई0एस0आई0 हास्पिटल की स्थापना करने विषयक

06–श्री मनीष असीजा–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में लाखों की संख्या में कार्यरत गरीब, मेहनतकश श्रमिकों के निःशुल्क इलाज हेतु ई0एस0आई0 हास्पिटल की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

जी हां।

फिरोजाबाद जिले में 100 बेड का चिकित्सालय स्थापित करने का निर्णय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सैद्धान्तिक सहमति प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0पी0एल0 श्रेणी के कार्ड में फर्जीवाड़े की शिकायत पर कार्रवाई की मांग

07–श्री सतीश महाना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0पी0एल0 श्रेणी के कार्ड में फर्जीवाड़े की शिकायत सरकार के संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितने कार्ड गलत पाये गये हैं एवं निरस्त हुए हैं ? नये कार्ड बनाने हेतु सरकार ने क्या नीति निर्धारित की गयी है ? क्या मंत्री जी उसका विस्तृत विवरण देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी नहीं।

फर्जी बी0पी0एल0 राशन कार्डों की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है। प्रचलित बी0पी0एल0 राशन कार्डों की पात्रता एवं परिवारों की उपलब्धता की जांच एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत समय–समय पर अपात्र पाये जाने एवं स्थान परिवर्तन कर लिये जाने के आधार पर राशन कार्डों को निरस्त कर उनके स्थान पर पात्र बी0पी0एल0 परिवारों का चिन्हांकन कर कार्ड निर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 3439 एवं माह अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक 396 इस प्रकार कुल 3835 अपात्र/स्थान परिवर्तित कार्डधारकों के कार्डों को निरस्त कर उनके स्थान पर पात्र बी0पी0एल0 परिवारों का चिन्हांकन कर नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

प्रदेश में बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड शासनादेश संख्या–422/29–6–2005–298सा/03, दिनांक 03 फरवरी, 2005 में निहित निम्न प्रक्रियानुसार जारी किये जाने की व्यवस्था है :–

ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं लेखपाल द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों का चिन्हीकरण आय के आधार पर किया जाता है और इस प्रकार लाभार्थियों की सूची तैयार हो जाने के उपरान्त ग्राम सभा की खुली बैठक बुलायी जाती है जिसमें लाभार्थियों की सूची के सत्यापन के उपरान्त अन्तिम रूप से अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की इस खुली बैठक में ब्लाक स्तर का नामित

अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहता है। शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के अधिकारी तथा नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत के अधिकारियों/डूडा की मदद से लाभार्थियों का चिन्हीकरण कर उन्हें राशन कार्ड जारी किये जाते हैं।

चूंकि बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्डों की संख्या नियत है, अतः शासनादेश संख्या–3053/29–6–09–89सा/09, दिनांक 03 अक्टूबर, 2009 में दिये गये निर्देशानुसार कार्डों के सत्यापन हेतु समय–समय पर चलाये जाने वाले अभियान के परिणामस्वरूप जो जांचोपरान्त बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक अपात्र पाये जाते हैं, ऐसे कार्ड धारकों का नाम निरस्त कर निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवारों को उनके स्थान पर नये राशन कार्ड जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस के ब्लाक–हसायन के अन्तर्गत ग्राम नारई में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

08–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक–हसायन के अन्तर्गत ग्राम नारई में खड़न्जों के क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के खड़न्जों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम नारई में 07 मार्गों पर खड़न्जा/इण्टरलाकिंग का कार्य पूर्व में पूर्ण करा दिया गया है। शेष श्री सतीश पंडित के मकान से श्री सुरेश फौजी के मकान तक कार्य निर्माणाधीन है।

मजदूरों के हित में एकत्र की गई धनराशि के खर्च के विवरण की जानकारी की मांग

09–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों के हित में एकत्र किये गये लेबर सेस के 1600 करोड़ रुपये विभाग (बी0ओ0सी0 बोर्ड) के पास जमा है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत मजदूरों के हित में किस–किस योजना में कितना धन वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च किया गया ?

श्री शाहिद मंजूर–

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्षों में मजदूरों के हित में विभिन्न योजनाओं में अब तक किए गए व्यय का विवरण निम्नवत् हैं :–

क्र0 सं0	योजना का नाम	व्यय की गयी धनराशि (रु0 में)
।	ठ	ढ
1	मातृत्व हितलाभ योजना	16,663,000.00
2	शिशु हितलाभ योजना	64,0121,000.00
3	दुर्घटना सहायता योजना	38,965,000.00
4	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	7,361,000.00
5	कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना	0.00
6	कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन	2,000,000.00
7	मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना	42,520,000.00
8	एम्बुलेंस सहायता योजना	0.00
9	बालिका आशीर्वाद योजना	9,060,000.00
10	पुत्री विवाह अनुदान योजना	1,920,000.00
11	अक्षमता पेंशन योजना	11,600.00
12	औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना	0.00
13	सौर ऊर्जा सहायता योजना	0.00
14	आवास सहायता योजना	1,415,000.00
15	साइकिल सहायता योजना	127,562,460.00
16	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	0.00
17	प्रचार–प्रसार	736,610.00
18	पालना गृह योजना	0.00
19	मुख्यालय स्तर से सौर ऊर्जा सहायता योजना	0.00
20	आवासीय विद्यालय योजना	131,753,808.00
।	ठ	ढ
21	पालना गृह प्रशिक्षण	0.00
22	मध्याह्न भोजन योजना	16,942.00
23	मुख्यालय स्तर से गम्भीर बीमारी	0.00
24	मुख्यालय स्तर से कौशल विकास मिशन	0.00

10–श्री अली यूसुफ अली–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

11–श्री रामवीर उपाध्याय–

खदिनांक 19–08–2015 को उत्तरित,

जनपद हाथरस के विकास खण्ड–सिकन्दराराऊ के ग्राम अखित्यारपुर के गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली/नाला का निर्माण किया जाना

12–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हाथरस के विकास खण्ड–सिकन्दराराऊ के ग्राम–अखित्यारपुर में गन्दे पानी की निकासी न होने के कारण ग्रामीणों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली/नाला का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत स्तर पर धनराशि की उपलब्धता नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत स्तर पर धनराशि की व्यवस्था होने पर कार्य कराया जाना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

13–श्री रामवीर उपाध्याय–

खदिनांक 19–08–2015 को उत्तरित,

आगरा शहर में बढ़ते गरीबों की वास्तविक आवश्यकतानुसार बी0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या में वृद्धि किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की मांग

14–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे गरीबों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या में वृद्धि कराने की मांग सरकार केन्द्र सरकार से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जनपद आगरा में बी0पी0एल0 के 15877 एवं अन्त्योदय के 9508 कुल 25385 राशन कार्ड प्रचलित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में बी0पी0एल0/अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश हेतु 106.79 लाख परिवारों को संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाये जाने का अनुरोध मा0 मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग के पत्र दिनांक 18–11–2014 के द्वारा भारत सरकार से किया गया। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 22–12–2014 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। उत्तर प्रदेश के लिए 79.56 प्रतिशत तक ग्रामीण और 64.43 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या की कवरेज निर्धारित की गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित किये जाने हतु

आवश्यक तैयारियां प्रक्रिया में है, जिसके अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों के चिन्हांकन का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिये चलायी जा रही योजनान्तर्गत कानपुर महानगर में पंजीकृत हुये श्रमिकों की संख्या की मांग

15–श्री सतीश महाना–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिये कौन–कौन सी योजनायें चलायी जा रही हैं तथा वर्ष 2012 से अप्रैल, 2015 तक कानपुर महानगर में कुल कितने श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग द्वारा किया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् द्वारा प्रदेश में श्रमिकों के कल्याणार्थ निम्नलिखित योजनायें चलायी जा रही हैं :–

1–प्रदेश के औद्योगिक/वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति) वितरण सम्बन्धी योजना।

2–उत्तर प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों को पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने सम्बन्धी योजना।

3–प्रदेश के औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता वितरण योजना।

4–प्रदेश के औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक सहायता वितरण योजना।

उक्त के अतिरिक्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के हितलाभ हेतु निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं :–

01–मातृत्व हितलाभ योजना

02–शिशु हितलाभ योजना

03–मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना

04–मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

05–अंत्येष्टि सहायता योजना

06–कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

07–गम्भीर बीमारी सहायता योजना

08–एम्बुलेंस सहायता योजना

09–बालिका आशीर्वाद योजना

10–पुत्री विवाह अनुदान योजना

11–अक्षमता पेंशन योजना

12–औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना

13–सौर ऊर्जा सहायता योजना

14–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

15–आवास सहायता योजना

16–साइकिल सहायता योजना

17–सचल पालना गृह योजना

18–पेंशन योजना

19–मध्याह्न भोजन सहायता योजना

20–आवासीय विद्यालय योजना

जनवरी, 2012 से अप्रैल, 2015 तक कानपुर नगर में कुल 87908 श्रमिकों का पंजीयन किया गया, जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है :–

1–पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की संख्या– 75013

2–पंजीकृत महिला श्रमिकों की संख्या–12895

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के परिसीमन के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा के ग्राम पंचायत पिपरिया सिंघीपुर एवं अन्डहा राजस्व गांव को एक दूसरे से सम्बद्ध करने सम्बन्धी प्रकरण

16–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में ग्राम पंचायतों के परिसीमन के अन्तर्गत मिले हुए राजस्व गांव को ही सम्बद्ध करके ग्राम पंचायत क्षेत्र परिक्षेत्र का गठन हुआ है ? यदि हां, तो क्या जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा की ग्राम पंचायत पिपरिया सिंघीपुर एवं ग्राम पंचायत अन्डहा के अन्तर्गत सम्मिलित राजस्व गांव क्या एक दूसरे से मिले हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या की दृष्टि से परिसीमन करके क्षेत्र पंचायतों की दृष्टि से परिसीमन करके क्षेत्र पंचायतों की जनसंख्या समान करने की सरकार की योजना

17–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या की दृष्टि से परिसीमन करके क्षेत्र पंचायतों की जनसंख्या समान करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद पीलीभीत में जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव सम्बद्ध होने के कारण तहसील पूरनपुर में 2 अन्य क्षेत्र पंचायत गजरौला कलां एवं माधौ टांडा नामक तहसील बीसलपुर में एक अन्य क्षेत्र पंचायत दियोरियाकलां तथा तहसील पीलीभीत में भी एक अन्य क्षेत्र पंचायत भमौरा नामक गठित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–3 के अनुसार ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन किया जाता है। विकास खण्ड सृजन का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–5 के अनुसार प्रत्येक खण्ड के लिये एक क्षेत्र पंचायत होगी जिसका नाम उस खण्ड पर होगा। अतः विकास खण्ड के सृजन के बाद ही क्षेत्र पंचायत का गठन होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के क्षेत्रवासियों को बरेली व लखनऊ वाले मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण

18–श्री सुदेश शर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के क्षेत्रवासियों को बरेली व लखनऊ वाले मार्ग पर यात्रा करने के लिये कोई सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मोदीनगर से होते हुए बरेली व लखनऊ जाने के लिये सरकारी बस सेवा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मोदीनगर से बरेली व लखनऊ के लिये वाया हापुड़ एवं वाया मेरठ बस सेवायें उपलब्ध हैं।

जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन की ग्राम पंचायत वाडी के रतिभानपुर भैकुरी मार्ग से नगला नहर के मार्ग का निर्माण

19–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन की ग्राम पंचायत वाडी के रतिभानपुर भैकुरी मार्ग से नगला नहर का रास्ता अत्यन्त खराब होने के कारण नागरिकों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का कार्य जिला पंचायत की किसी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के ग्राम शंकरपुर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाया जाना

20–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के ग्राम शंकरपुर में जलभराव होने के कारण ग्रामीणों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त जलभराव की समस्या से ग्रामवासियों को निजात दिलाने हेतु नाली/सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जनपद हाथरस के ब्लाक–हसायन के ग्राम पंचायत शंकरपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा श्री गंगा सहाय के घर से निहाल सिंह फौजी के घर तक 60 मीटर लम्बा एवं 3.5 मीटर चौड़ा तथा श्री वीरेन्द्र के घर से मुख्य खड़न्जा तक 50 मीटर लम्बा व 2.5 मीटर चौड़ा इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण करा दिया गया है। अतः अब जलभराव की कोई समस्या नहीं है और न ही ग्रामीणों को कोई असुविधा हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की शौचालय बनाने की नीति के अन्तर्गत 135, शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में शौचालय बनाये जाने की मांग

21–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शौचालय बनाने की नीति क्या है तथा एक शौचालय में कितना अंश धन भारत सरकार का तथा कितना राज्य सरकार का है ? क्या सरकार बतायेगी कि 135–शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों जमुही, रामापुर वरकतपुर, रहीमपुर, सुतनेरा, भुड़िया, सतवां, दौलतपुर, सुन्दरनगर, पैना बुजुर्ग, लधौली, बड़ावन, वारापुर, सिकलापुर, दाऊदपुर,

नियामतपुर, हथौड़ा, हथौड़िया, विलरिया, तिऊलक, कुरसंडा, ददिउरा, खानपुर–देहा, साल्लिया जमलापुर, दिउरिया, पिपरिया, चिनौर तथा घुसगवां न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों के निवासियों का सर्वे कराकर शौचालय बनाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश में शौचालय बनाने की नीति में मुख्य रूप से स्वच्छता साफ–सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना, दिनांक 02–10–2019 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का विजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना, जागरूकता, सृजन एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता हेतु समुदायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना, संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित कर प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना है।

प्रत्येक शौचालय (कुल लागत रु0 12000/–) में भारत सरकार का अंश रु0 9000/– तथा राज्य सरकार का अंश रु0 3000/–निर्धारित है।

भारत सरकार से उक्त लक्ष्य के अनुरूप धनराशि प्राप्त होने पर शौचालय निर्माण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनाये जाने की नीति की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में शमशान घाटों पर चहारदीवारी व रोड बनवाये जाने की मांग

22–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनाये जाने की नीति की भांति प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के शमशान घाटों की भी चहारदीवारी एवं शेड बनाये जाने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्त्येष्टि स्थलों के नागरिक अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी हे, जिसमें कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–अन्त्येष्टि स्थल शेड।

2–नागरिकों के बैठने हेतु शान्ति स्थल।

3–लकड़ी का भण्डार गृह एवं स्नान घर।

4–शौचालय।

5–शवदाह स्थल का इण्टरलाकिंग टाइल्स का निर्माण।

6–स्नान हेतु चबूतरा निर्माण।

7–हैण्डपम्प की व्यवस्था एवं जल निकासी।

अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदिवारी निर्माण कराये जाने का प्राविधान नहीं है। अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–2105/33–3–2014–100(21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सोलर स्ट्रीट लाइट की बैटरी चोरी होने के पश्चात् उन्हें पुनः लगाये जाने की नियमावली तैयार करवाने की मांग

23–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सोलर स्ट्रीट लाइट की बैटरी चोरी होने के पश्चात् उन्हें पुनः लगाये जाने की क्या कोई नियमावली बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संयंत्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लाभार्थी संस्था/ग्राम पंचायत का निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में चुइंगम को खाने से हो रहे पर्यावरण को नुकसान को देखते हुये चुइंगम की बिक्री पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी प्रकरण

24–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चुइंगम को खाने से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मनुष्यों द्वारा चुइंगम को खाकर फेंकने के बाद पशु/पक्षी इसे खाकर बीमार/मर जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में चुइंगम की बिक्री पर रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

चुइंगम को खाने से पर्यावरण को नुकसान होने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

चुइंगम को खाकर पशु/पक्षी के बीमार होने/मरने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

जी नहीं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.7.3 में चुइंगम एवं बबलगम के मानक निर्धारित किये गये हैं। अतः चुइंगम वैध खाद्य पदार्थ है।

असाध्य रोगों से ग्रस्त गरीब परिवारों के मरीजों (कैंसर, हृदय, लीवर एवं किडनी) आदि के इलाज हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को वर्ष 2015 में अवमुक्त की गई धनराशि के विवरण की जानकारी

25–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने असाध्य रोगों से ग्रस्त गरीब परिवारों के मरीजों (कैंसर, हृदय, लीवर एवं किडनी आदि) के निःशुल्क इलाज के लिये आगरा मेडिकल कालेज को वर्ष 2015 में कितनी धनराशि अवमुक्त की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासनादेश संख्या–54/2015–वी0आई0पी0–08/71–2–15–18/2012, दिनांक 02 जून, 2015 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को रु0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल फिरोजाबाद को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाये जाने सम्बन्धी प्रकरण

26–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाने के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 तैयार करवा ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो कब तक तैयार करवाकर केन्द्र सरकार को भेजी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। शासकीय पत्र संख्या–भ0सं0–10/71–1–2015–जी–59/2014, दिनांक 10–02–2015 द्वारा भारत सरकार को प्रारम्भिक आगणन प्रेषित किया गया है।

मेडिकल कालेज हेतु भूमि का चिन्हांकन होने पर विस्तृत आगणन केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम–दऊं, ग्राम–राधानगरी तथा ग्राम गोसाई खेड़ा आदि क्षेत्र में विद्युत समस्या के निराकरण हेतु पत्र

27–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11–05–2015 जो कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम–दऊं, ग्राम–राधानगरी तथा ग्राम–गोसाई खेड़ा आदि क्षेत्र में व्याप्त विद्युत समस्या के निराकरण हेतु क्षेत्र में प्रीपेड

सोलर पावर ग्रिड/सोलर पावर प्लांट स्थापित किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव (ग्रामीण) के अनुसार इन ग्रामों में असोहा, पाठकपुर फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

सौर ऊर्जीकरण की विभागीय योजनाओं में अविद्युतीकृत अथवा विशेष समस्याग्रस्त ग्रामों का ही चयन किया जाता है। अतः इन ग्रामों में ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0नेडा) के स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिव प्रसाद, वार्ड ब्वाय, राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेंशरी, उ0 प्र0 सचिवालय को फार्मासिस्ट के पद पर समायोजित किये जाने की मांग

28–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14–05–2015 जो कि शिव प्रसाद, वार्ड ब्वाय, राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेंशरी, उ0 प्र0 सचिवालय आदि को फार्मासिस्ट के पद पर समायोजित किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 14–5–2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में श्री शिव प्रसाद, वार्ड ब्वाय को फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया गया और यह पाया गया कि फार्मासिस्ट का पद सीधी भर्ती एवं तकनीकी प्रकृति का होने के कारण उक्त पद पर श्री शिव प्रसाद की पदोन्नति किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा–कागारौल मार्ग एवं अकोला नहचानी व रामनगर लिंक रोड पर बस चलाये जाने की मांग

29–श्री काली चरन सुमन–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा–कागारौल मार्ग पर अकोला ब्लाक के अन्तर्गत लिंक रोड नहचानी व रामनगर से बस न चलने के कारण क्षेत्रीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा–कागारौल मार्ग एवं अकोला नहचानी व रामनगर लिंक रोड पर बस चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी नहीं।

आगरा–कागारौल मार्ग पर निगम बसें संचालित है। आगरा–कागारौल मार्ग पर ब्लाक अकोला से नहचानी 09 किमी0 की दूरी पर स्थित है। यह मार्ग अराष्ट्रीयकृत एवं संकरा है तथा इस मार्ग पर मोड़ भी अधिक है जिसके कारण निगम बसों का संचालन कराया जाना सम्भव नहीं है। रामनगर अकोला से मात्र 2 किमी0 की दूरी पर स्थित है। यह मार्ग भी अराष्ट्रीयकृत है। रामनगर से यात्री निजी साधनों द्वारा अकोला आकर, आगरा–अकोला–जगनेर–तांतपुर मार्ग पर संचालित होने वाली सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम एकघरा, ग्राम राधानगरी एवं ग्राम गोसाईखेड़ा को मुख्य सड़क से जोड़ना

30–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम एकघरा, ग्राम राधानगरी एवं ग्राम गोसाईखेड़ा को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्ग पर खड़न्जा या सी0सी0 निर्माण कार्य सरकार जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त परियोजना जिला पंचायत की किसी भी कार्य योजना में प्रस्तावित/अनुमोदित नहीं है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम राधानगरी एवं ग्राम गोसाईखेड़ा को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला खड़न्जा मार्ग के निर्माण करवाने की मांग

31–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम राधानगरी एवं ग्राम गोसाईखेड़ा को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला खड़न्जा मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग पर सी0सी0 या पक्का मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त परियोजना जिला पंचायत की किसी भी कार्य योजना में प्रस्तावित/अनुमोदित नहीं है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम दऊं, ग्राम राधानगरी एवं ग्राम गोसाईखेड़ा को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

32–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम दऊं, ग्राम राधानगरी एवं ग्राम गोसाईखेड़ा को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त परियोजना जिला पंचायत की किसी भी कार्य योजना में प्रस्तावित/अनुमोदित नहीं है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत दऊ के चक मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

33–डा0 रमेश चन्द बिन्द–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत दऊ के चक मार्ग कच्चे एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्राम पंचायत के मार्गों पर खड़न्जा या सी0सी0 रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त परियोजना जिला पंचायत की किसी भी कार्य योजना में प्रस्तावित/अनुमोदित नहीं है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत के चिन्हित चक रोड के निर्माण कराये जाने की मांग

34–डा0 रमेश चन्द बिन्द–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत दऊ के चिन्हित चक रोड के निर्माण नहीं होने से क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जनहित में उक्त ग्राम पंचायत के चिन्हित चक रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त परियोजना जिला पंचायत, उन्नाव की किसी भी कार्य योजना में प्रस्तावित/अनुमोदित नहीं है।

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खैर के गांव महगौरा से चण्डौस होते हुए अलीगढ़ तथा गांव मालव से टप्पल होते हुये अलीगढ़ हेतु बस के संचालन की मांग

35–श्री भगवती प्रसाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खैर के गांव महगौरा से चण्डौस होते हुए अलीगढ़ तथा गांव मालव से टप्पल होते हुए अलीगढ़ के लिये रोडवेज बसें चलती थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्गों पर पुनः रोडवेज बसें चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

उक्त मार्ग पर यात्रियों की उपलब्धता कम होने एवं सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा परमिट न दिये जाने के कारण रिट याचिका संख्या–1426/2006 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 17–01–2006 के अनुपालन में निगम बसों का संचालन बन्द करना पड़ा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिचपुरी मेन रोड पुलिया से कलुआ अग्रवाल के मकान तक खराब रास्ते का निर्माण करवाने की मांग

36–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिचपुरी मेन रोड पुलिया से कलुआ अग्रवाल के मकान तक खराब रास्ते पर जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

खराब रास्ते का सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहपुर (डगरा) में प्रभु के घर से नहर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

37–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहपुर (डगरा) में प्रभु के घर से नहर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमती नगर निकट खरगापुर में कामाख्या देवी धाम मन्दिर से गुरूकुल विद्यापीठ होते हुए रामजानकी नगर मन्दिर लेन (कौशलपुरी कालोनी) में जल निकासी की व्यवस्था व्यवस्थित करवाने की मांग

38–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के द्वितीय शुक्रवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–59 के उत्तर के क्रम में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गोमती नगर निकट ग्राम खरगापुर में कामाख्या देवी धाम मन्दिर से गुरूकुल विद्यापीठ होते हुए रामजानकी नगर मन्दिर लेन (कौशलपुरी कालोनी) में जल निकासी निर्माण के सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार कर जिला पंचायत की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत कर जल निकासी की व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां। लखनऊ के गोमती नगर के निकट ग्राम खरगापुर में कामाख्या देवी धाम मंदिर से गुरूकुल विद्यापीठ होते हुये रामजानकी नगर मन्दिर लेन (कौशलपुरी कालोनी) में जल निकासी निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 59.66 लाख है। उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति का

प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बोर्ड की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। बोर्ड के निर्णयानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ग्राम खरगापुर, मकदूमपुर, भरवारा, मलेसियामऊ में निर्मित कालोनियों में जल निकासी की व्यवस्था को व्यवस्थित करवाने की मांग

39–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के ग्राम खरगापुर, मकदूमपुर, भरवारा, मलेसियामऊ में निर्मित कालोनियों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जलभराव हो जाता है जिससे सड़कें भी खराब हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम खरगापुर, मकदूमपुर, भरवारा, मलेसिमऊ में निर्मित कालोनियां, नव विकसित (नई आबादी) हैं। वर्तमान में प्रश्नगत कालोनियों में नाली निर्माण कराये जाने की ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कार्य योजना नहीं है।

जनपद चन्दौली की मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत जिला पंचायत के माध्यम से क्षतिग्रस्त कुल 9 सड़कों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

40–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायत चन्दौली के माध्यम से क्षतिग्रस्त कुल 9 सड़कों के निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5 नं0–403711, दिनांक 13–3–15 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत करभना नगला तल्फी मार्ग से जमुना देवी पूर्व प्रधान के घर तक मार्ग का निर्माण करवाने की मांग

41–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत करभना नगला तल्फी मार्ग से जमुना देवी पूर्व प्रधान के घर तक जगह–जगह गहरे गड्ढे हो गये हैं जिससे लोगों को

आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

ग्राम पंचायत करभना में नगला तल्फी मार्ग से जमुना देवी पूर्व प्रधान के मकान तक सड़क पर जगह–जगह गड्ढे थे, जिस पर सी0सी0 कार्य करा दिया गया है। अतः लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

42–श्री काली चरन सुमन–

ख02सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0–07 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत मिढ़ाकुर, अगूंठी माइनर से गांव मिढ़ाकुर परिक्रमा मार्ग तक रास्ते के निर्माण की मांग

43–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मिढ़ाकुर, अगूंठी माइनर से गांव मिढ़ाकुर परिक्रमा मार्ग तक रास्ता बहुत खराब एवं जगह–जगह गड्ढे होने के कारण बरसात के समय में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब रास्ते का सी0सी0 निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

मिढ़ाकुर, अगूंठी माइनर से गांव मिढ़ाकुर परिक्रमा मार्ग पर खण्डों का खड़न्जा सही हालत में लगा है/निर्धारित मानकों के अनुसार लगाया गया है। खड़न्जा निर्माण में कहीं भी जगह–जगह पर गड्ढे नहीं हैं और न ही बरसात के समय में जलभराव होता है। लोगों के आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार अलीगढ़ में बन्दी क्षमता से अधिक बन्दीगृह के संसाधनों को विकसित करने की मांग

44–श्री दलवीर सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार अलीगढ़ में बन्दी क्षमता से अधिक बन्दी निरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला कारागार अलीगढ़ की बन्दी क्षमता वृद्धि पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े इण्डिया मार्का–प्प को ठीक करवाने की मांग

45–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत श्री विश्वनाथ लोधी गांव दहतौरा, (विचपुरी) विकास खण्ड विचपुरी, गांव अकबरपुर जाटव बस्ती सार्वजनिक स्थल विकास खण्ड वरौली अहीर में काफी समय से खराब पड़े इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प के कारण लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब व बन्द पड़े हैण्डपम्पों को सही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

श्री विश्वनाथ लोधी गांव दहतौरा, विचपुरी ग्राम अकबरपुर जाटव बस्ती सार्वजनिक स्थल काफी समय से खराब पड़े इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प को रि–बोर कराये जाने की आवश्यकता है। इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प ग्राम्य विकास विभाग द्वारा रि–बोर कराये जाते हैं। रि–बोर कराये जाने की कार्रवाई जल निगम द्वारा की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जगह–जगह पर हो रहे जलभराव के लिए कार्रवाई करने विषयक

46–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव ट्रकपुरा (पवावली) के क्षतिग्रस्त परिक्रमा मार्ग पर जगह–जगह गहरे गड्ढे होने एवं बरसात के समय रास्ते में जलभराव हो जाने से नागरिकों को आने–जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव ट्रकपुरा (पवावली) के परिक्रमा मार्ग का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग पर सी0सी0 रोड का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सांसद निधि से कराया जा चुका है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झुग्गी–झोपड़ी मलिन बस्तियों में रहने वाले अत्यधिक निर्धन, निराश्रित विधवाओं, असहाय विकलांगों आदि हेतु बी0पी0एल0 कार्ड का निर्माण करवाने की मांग

47–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों में रहने वाले अत्यधिक निर्धन, निराश्रित, विधवाओं, असहाय, विकलांगों तथा गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आने वालों के बी0पी0एल0 कार्ड बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इनके बी0पी0एल0 कार्ड बन जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

शासनादेश संख्या–भा0सं0–75/29–6–2003–3सा/2001, दिनांक 24 जुलाई, 2003 में पात्र परिवारों को बी0पी0एल0 योजना से आच्छादित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(क) ऐसे परिवार जिसकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, जिसकी जीविकोपार्जन का कोई निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो।

(ख) विधवा या लगातार/अनवरत् बीमारी से ग्रस्त या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति अथवा एकल पुरुष या एकल महिला, जिसका जीवन निर्वाह हेतु कोई निश्चित साधन एवं सामाजिक सहारा न हो।

(ग) सभी आदिवासी, जनजातीय परिवार। अन्त्योदय परिवारों के चिन्हीकरण में निर्धनतम एवं पिछड़े ब्लाकों अथवा जहां कुपोषण का फैलाव अधिक हो, के चयन पर बल दिया जाता है।

भारत सरकार द्वार निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुरूप बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्ड पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

असाध्य रोगों से पीड़ित असहाय बी0पी0एल0 परिवार के रोगियों के इलाज हेतु फीस एवं जांच आदि को निःशुल्क उपलब्ध करवाने विषयक

48–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असाध्य रोगों से पीड़ित असहाय बी0पी0एल0 परिवार के रोगियों के इलाज हेतु एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में रजिस्ट्रेशन फीस एवं जांच आदि को निःशुल्क करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली, 2013 (यथासंशोधित) में (कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर एवं मौसमी संक्रामक बीमारी) के

अन्तर्गत आने वाले मरीजों को संस्थान में भर्ती होने के दौरान निःशुल्क उपचार किये जाने की व्यवस्था है। रजिस्ट्रेशन एवं ओ0पी0डी0 के माध्यम से करायी जाने वाली जांचों के निःशुल्क कराये जाने की व्यवस्था नहीं है।

उपर्युक्तानुसार असाध्य रोगों से पीड़ित बी0पी0एल0 परिवार के रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था विद्यमान है।

भारत सरकार की योजनान्तर्गत पांच जिला चिकित्सालयों (फिरोजाबाद, फैजाबाद, बहराइच, बस्ती एवं शाहजहांपुर) को उच्चीकृत करके मेडिकल कालेज बनवाये जाने की मांग

49–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की योजनान्तर्गत पांच जिला चिकित्सालयों (फिरोजाबाद, फैजाबाद, बहराइच, बस्ती एवं शाहजहांपुर) को उच्चीकृत करते हुए मेडिकल कालेज बनाये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के प्रस्ताव में प्रदेश सरकार द्वारा डी0पी0आर0 बनाये जाने सम्बन्धी बजटीय प्राविधान है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार कब तक केन्द्र को डी0पी0आर0 भेजने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत इस कार्य हेतु समस्त निर्माण कार्यों के संपादन हेतु वृहद् निर्माण कार्य मद में रु0 1.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

मेडिकल कालेज हेतु भूमि का चिन्हांकन होने पर विस्तृत आगणन केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में दबंग पान मसाला के नमूनों में गैम्बियर तथा तम्बाकू की पुष्टि होने पर प्रतिबन्धित किये जाने की मांग

50–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, 2015 में लखनऊ में दबंग पान मसाला के नमूनों में गैम्बियर तथा तम्बाकू की पुष्टि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पान मसाले की बिक्री को प्रतिबन्धित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

दबंग पान मसाला के जिस नमूने में गैम्बियर तथा तम्बाकू की उपस्थिति पायी गयी है, वह अनधिकृत रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दबंग ब्राण्ड के नाम से विनिर्मित किया जा रहा था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दबंग ब्राण्ड पान मसाला के अधिकृत निर्माता ए0एम0पी0 पान प्रोडक्शन कम्पनी द्वारा दिनांक 24–02–2015 को थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में तहरीर दी गयी थी कि उनकी कम्पनी द्वारा निर्मित किये जा रहे ब्राण्ड दबंग–2 पान मसाला की डुप्लीकेसी की जा रही है एवं प्रतिबन्धित पान मसाले का उत्पादन किया जा रहा है। तत्पश्चात् दिनांक 27–02–2015 को मकान संख्या–285क/84, संजय नगर, थाना बाजारखाला, लखनऊ से संग्रहीत किये गये नमूनों में गैम्बियर तथा तम्बाकू की उपस्थिति पायी गयी। उक्त पान मसाला दबंग ब्राण्ड के नाम से विनिर्मित किया जा रहा था। उपरोक्त मकान में मौके पर पायी गयी समस्त खाद्य सामग्री को जब्त कर लिया गया।

मैगी नूडल्स के नमूनों में सीसा व मोनो सोडियम ग्लूटामेट होने की पुष्टि के बाद प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक

51–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मैगी नूडल्स के नमूनों में सीसा व मोनो सोडियम ग्लूटामेट होने की पुष्टि होने के बावजूद भी मैगी की बिक्री को प्रतिबन्धित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक मैगी की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 05–06–2015 द्वारा मैगी नूडल्स से सम्बन्धित 09 उत्पादों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, आयात, वितरण एवं विक्रय पर सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रतिबन्ध लगा दिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा अमोघपुर, विकास खण्ड नियमताबाद में सार्वजनिक महिला शौचालय का निर्माण करवाये जाने विषयक

52–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा अमोधपुर विकास खण्ड नियमताबाद में सार्वजनिक महिला शौचालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां के मानव जीवन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शौचालय का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी हां।

ग्राम पंचायत अमोघपुर, विकास खण्ड नियमताबाद में निर्मित महिला शौचालय का निर्माण कार्य वर्ष 1995 में हुआ है। महिला शौचालय ध्वस्त हो गया है। ध्वस्त महिला शौचालय का पुनर्निर्माण चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्य योजना में सम्मिलित कर कराने के लिए सक्षम है।

उपरोक्तानुसार।

रूहेलखण्ड क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी को देखते हुए एम्स की शाखा खोले जाने विषयक

53–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रूहेलखण्ड क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी को देखते हुए रुहेलखण्ड क्षेत्र में एम्स की शाखा खोलने की संस्तुति भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्रेषित अर्द्ध0शा0प0सं0–1611/71–2–2012, दिनांक 17 मई, 2012, अर्द्ध0शा0प0सं0–1636/71–2–2012, दिनांक 19 जून, 2012 एवं अर्द्ध शा0 प0 सं0–63/71–2–2012, दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा जनपद रायबरेली में एम्स की स्थापना के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य तीन भू–भाग यथा पूर्वान्चल, बुन्दलेखण्ड एवं रूहेलखण्ड में भी एम्स के स्तर का एक–एक उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान अथवा जनपद रायबरेली में स्थापित होने वाले एम्स के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित किये जाने का अनुरोध मा0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार से किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों का उद्योग में समुचित विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार एवं ब्रांण्डिग के लिये कार्य योजना

54–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों का उद्योग समुचित विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार न होने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे उचित व्यापारिक अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कांच की चूंड़ियों के प्रचार–प्रसार एवं ब्रांडिंग के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत सरन गंगवार)–

जनपद फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों के उद्योग को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग हेतु द ग्लास इण्डस्ट्रीज सिडिंकेट, बड़ी छपैटी, फिरोजाबाद, उ0प्र0 के पक्ष में जी0आई0 पंजीकरण कराया गया है। इसके अतिरिक्त त्वरित निर्यात विकास योजनान्तर्गत निर्यात हेतु उत्पादों के प्रचार–प्रसार व विपणन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कुशीनगर की तहसील–कसया के ब्लाक पड़रौना के अन्तर्गत ग्राम साखोपार में नई सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन

55–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–कुशीनगर के तहसील–कसया के ब्लाक पडरौना के अन्तर्गत ग्राम साखोपार में नई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कुशीनगर को सम्बोधित नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र 1145/ने0वि0द0/2014, दिनांक 10–11–2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में वृन्दावन योजना के सेक्टर–8, गोपालकुंज, वृन्दावन के सभी सेक्टरों चारबाग तथा हजरतगंज तक नगर बस चलाने की मांग

56–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ के अन्तर्गत वृन्दावन योजना के सेक्टर–8, गोपालकुंज, वृन्दावन के सभी सेक्टरों से होते हुए चारबाग तथा हजरतगंज तक नगर बस चलाये जाने विषय प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम को सम्बोधित नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र 1181/ने0वि0द0/2014, दिनांक 19–11–2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

उक्त मार्ग का सर्वे कराकर सेक्टर–8, गोपालकुंज से सेक्टर–10, उतरेठिया रेलवे स्टेशन होते हुए सेक्टर–12, सेक्टर–11, कालिन्दी पार्क, सेक्टर–2, 5, 6 तेलीबाग,

के0के0सी0 हजरतगंज होते हुए गोल मार्केट तक एक बस का संचालन दिनांक 07–12–2014 से प्रारम्भ किया गया था, तदुपरान्त वृन्दावन योजना के यात्रियों की मांग के दृष्टिगत दिनांक 29–12–2014 से उतरेठिया रेलवे स्टेशन से सेक्टर 9, 11, 6, 5 तेलीबाग, चारबाग, हजरतगंज होते हुए गोल मार्केट तक 02 बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

57–श्री काली चरन सुमन–

ख्2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0–08 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत करभना में नगला तल्फी मार्ग से जमुना देवी पूर्व प्रधान तक के मकान तक सड़क निर्माण

58–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत करभना में नगला तल्फी मार्ग से जमुना देवी पूर्व प्रधान के मकान तक सड़क पर जगह–जगह गहरे गड्ढे हो गये हैं जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त खराब सड़क का निर्माण व मरम्मत कार्य कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

ग्राम पंचायत करभना में नगला तल्फी मार्ग से जमुना देवी पूर्व प्रधान के मकान तक सड़क पर जगह–जगह गड्ढे थे, जिस पर सी0सी0 कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमतीनगर से सटे खरगापुर रेलवे क्रासिंग से गोरखधाम मन्दिर एवं हनुमान मन्दिर से होते हुए कामाख्या धाम मन्दिर से आगे भरवारा रेलवे क्रासिंग तक प्रकाश की व्यवस्था को व्यवस्थित करवाने की मांग

59–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गोमतीनगर से सटे खरगापुर रेलवे क्रासिंग से गोरखधाम मन्दिर एवं हनुमान मन्दिर से होते हुए कामाख्या धाम मन्दिर से आगे भरवारा रेलवे क्रासिंग तक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधा जनता से करवाने की मांग

60–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने के लिये संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध सजायाफ्ता कैदियों को दिये जाने वाला पारिश्रमिक महंगाई देखते और उसे बढ़ाये जाने की मांग

61–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध सजायाफ्ता कैदियों को दिये जाने वाला पारिश्रमिक रु0 25, 30 व 40 मंहगाई को देखते हुए अत्यधिक कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पारिश्रमिक को रु0 25, 30 व 40 के स्थान पर रु0 80, 100 व 120 किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को प्रोत्साहन स्वरूप पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तथा सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं यथा चाय, नाश्ता, खाना, चिकित्सा, वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि नियमानुसार प्रदान किये जाते हैं। इसलिए बन्दियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक रु0 25/–, 30/– एवं 40/– के स्थान पर रु0 80/–, 100/– एवं 120/– किये जाने का औचित्य नहीं है।

62–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद बहराइच के क्षेत्र पयागपुर में विकास कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर की गई कार्रवाई की मांग

63–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर, जनपद बहराइच में विकास कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 ख–5 नं0 148840, दि0 9–10–14 मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0 527458, दि0 9–10–14 निदेशक, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में शासनादेश अनुमन्य अधिकतम व्यय सीमा तक सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना में उल्लिखित ग्रामों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सी0सी0 रोड/पिच रोड बनाये जाने की कोई योजना निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा संचालित नहीं की जाती है।

इस आशय की सूचना निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के पत्रांक–5/मू0म0/102/2015–5–74/2015, दिनांक 04–8–2015 द्वारा मुख्य मंत्री कार्यालय को देते हुए मा0 विधायक जी को भी इसकी सूचना दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण आगरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जगनेर रोड, धनौली लाल मन्दिर से बाबू करन सिंह के घर तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने विषयक

64–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जगनेर रोड, धनौली लाल मन्दिर से बाबू करन सिंह के घर तक जिला पंचायत द्वारा निर्मित रोड में जगह–जगह गड्ढे होने से लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार टूटी हुई सड़क का सी0सी0 व इण्टर लाक आदि कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य कराने हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जा चुके हैं। कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सभी वर्गों एवं ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को नया राशन कार्ड बनाने की नीति निर्धारण की मांग

65–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी वर्गों एवं ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों का नया नाशन कार्ड बनाने की नीति

क्या है ? नये राशन कार्ड की अनिवार्य शर्तें क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त राशन कार्ड कब से बनना प्रारम्भ होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2004 के प्राविधानों के अन्तर्गत राशन कार्ड बनाने की नीति निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 03 श्रेणी ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय के राशन कार्ड प्रचलित हैं। इनमें से ए0पी0एल0 राशन कार्ड प्रदेश में निवास करने वाले गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति/परिवार, आवेदन–पत्र देकर निर्धारित समयावधि में नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। ए0पी0एल0 राशन कार्डों की संख्या के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

बी0पी0एल0 श्रेणी के 6584500 तथा अन्त्योदय श्रेणी के 4094500 राशन कार्डों के लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत राशन कार्ड निर्गत कर उन पर लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है।

प्रदेश में बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्ड जारी करने हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में बहुउद्देशीय कर्मी/लेखपाल द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में निर्धन परिवारों, जिनकी आय रु0 19884/ प्रति परिवार प्रतिवर्ष हो, के कार्ड ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के अधिकारियों तथा नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अधिकारियों के स्तर से रु0 25546/प्रति परिवार प्रतिवर्ष की आय वाले परिवारों के कार्ड पूर्ति निरीक्षक/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका द्वारा जारी किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों में से ही अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है।

राशन कार्ड धारकों के मतदाता पहचान–पत्र एवं बैंक की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति अनिवार्य है।

वर्तमान में डिजिटाइज्ड राशन कार्ड लाभार्थियों को निर्गत किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र में सेटेलाइट बस अड्डा बनाये जाने की मांग

66–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपद मुख्यालयों पर सेटेलाइट, बस अड्डा बनाने की योजना है ? क्या जनपद सोनभद्र में भी सेटेलाइट बस अड्डा बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

परिवहन निगम की सेटेलाइट बस स्टेशन बनाये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की जेलों में कैदियों को नशीली दवायें, शराब, स्मैक आदि सप्लाई किये जाने की शिकायत जांच करके कार्रवाई करवाने की मांग

67–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में कैदियों को नशीली दवायें, शराब, स्मैक आदि बंदी रक्षकों द्वारा सप्लाई किये जाने से मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा मार्च, 2013 से माह जून, 2015 तक कुल कितनी बार किन–किन जेलों में तलाशी अभियान चलाया गया ? क्या सरकार चिन्हित दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

मार्च, 2013 से जून, 2015 तक कुल 04 बार कारागारों में तलाशी अभियान चलाया गया। वर्ष 2013 में प्रदेश की 22 जेलों (के0का0 आगरा/बरेली, जि0का0, आगरा, झांसी, उरई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहगढ़, कानपुर नगर, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बहराइच, बरेली, बदायूं, बिजनौर एवं गाजियाबाद) में वर्ष 2014 में 02 बार समस्त कारागारों में एक साथ तथा जि0का0 गोरखपुर दिनांक 12/13–12–2014 को एक बार अतिरिक्त तलाशी अभियान चलाया गया। वर्ष 2015 में दिनांक 07–06–2015 को समस्त कारागारों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया।

जी हां।

प्रदेश की जेलों में कैदियों को नशीली दवायें, शराब, स्मैक आदि सप्लाई करने हेतु दोषी पाये गये बंदीरक्षकों/अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण ''संलग्नक–८'' में एवं तलाशी अभियान में पाई गई निषिद्ध सामग्री के लिये दोषी पाये गये कारागार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण ''संलग्नक–८८''[४] में अवलोकनीय है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की जेलों के अन्दर से अपराधियों का मोबाइल द्वारा फोन करके जेल के बाहर बात करने की घटनाओं की जांच तथा कार्यवाही की मांग

68–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों के अन्दर से अपराधियों का मोबाइल फोन द्वारा जेल के बाहर के लोगों से सम्पर्क होने के प्रकरण माह फरवरी, 2014 से माह जून, 2015 तक सरकार के संज्ञान में आये हैं ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

---

[४] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ–165–171 पर)

जी हां।

दिनांक 15–03–2015 को जिला कारागार, एटा की बैरक संख्या–15 के बंदी गुड्डू पुत्र श्री जयवीर द्वारा जिला प्रशासन एवं कारागार के उच्चाधिकारियों से कारागार के अन्दर से वार्ता करने की घटना में श्री अशोक दीक्षित, श्री हरपाल सिंह एवं श्री विजेन्द्र सिंह, बंदीरक्षकगण को दोषी पाया गया है, जिनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा जांच प्रचलित है।

दिनांक 16–03–2015 को जिला कारागार, एटा के बंदीरक्षक श्री कृपाशंकर गोस्वामी द्वारा अपनी ड्यूटी के समय मोबाइल छिपाकर साथ लाने तथा बंदियों से बात कराने एवं अपने प्रभार की बैरक संख्या–9 के बंदी अमित को देने के प्रयास करने की घटना के लिये उक्त बंदीरक्षक को केन्द्रीय कारागार, आगरा के लिये कार्यमुक्त किया गया है तथा निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई संस्थित की गयी है।

जनपद आगरा स्थित पेठा उद्योग की भट्ठियों को कोयला से चलाने पर लगी रोक को देखते हुए ग्रीन सब्सिडाईज्ड गैस पाइप लाइन द्वारा ईंधन उपलब्ध कराये जाने विषयक

69–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा स्थित पेठा उद्योग की भट्ठियों को कोयला से चलाने पर लगी रोक को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें भी सरकार द्वारा फिरोजाबाद में स्थापित उद्योगों की भांति ग्रीन सब्सिडाईज्ड गैस पाइप लाइन द्वारा ईधन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार–

जनपद आगरा व फिरोजाबाद की औद्योगिक इकाइयों को पाइप लाइन के माध्यम से ग्रीन सब्सिडाईज्ड गैस उपलब्ध कराना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में निहित है। जनपद आगरा की पेठा उद्योग की इकाइयों हेतु भारत सरकार के उपक्रम गेल इण्डिया लिमिटेड व इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यम ग्रीन गैस लि0 के पास सब्सिडाईज्ड गैस उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

70–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

खदिनांक 20–08–2015 को उत्तरित,

जनपद बस्ती की नवनिर्मित नगर पंचायत रुधौली में आरक्षित जमीन पर बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने विषयक

71–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की नवनिर्मित नगर पंचायत रुधौली में आरक्षित जमीन पर रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य कराने की

कोई योजना सरकार के पास है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त आरक्षित भूमि पर बस स्टेशन का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

भूमि के सम्बन्ध में वाद लम्बित है। अतः बस स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत खरीदी गई बसों का चलाये जाने की मांग

72–श्री अजय कपूर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत कुल कितनी सिटी बसों की खरीद की गई ? क्या सभी बसें जन सुविधा के लिये चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो किन–किन मार्गों पर चलाई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत कुल 270 सिटी बसों की खरीद की गई है।

वर्तमान में 60 बसें संचालित हो रही हैं।

कुल 09 मार्गों–फजलगंज–अकबरपुर, फजलगंज–रूरा, फजलगंज–माती–बिल्हौर, घण्टाघर– मूसानगर, रावतपुर–गल्ला मण्डी, रावतपुर–बिल्हौर, आई0आई0टी–नरौना, नौबस्ता–घाटमपुर तथा नौबस्ता–जहानाबाद पर संचालित हो रही है।

शेष बसें मेन्टीनेन्स एवं धनाभाव के कारण आफरूट हैं।

आगरा से फिरोजाबाद के रास्ते इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद तक सैकड़ों प्राइवेट बसें बिना परमिट चलाने की शिकायत पर कार्रवाई की मांग

73–श्री मनीष असीजा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा से फिरोजाबाद के रास्ते इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद तक सैकड़ों प्राइवेट बसें बिना परमिट के राजमार्गों पर अवैध रूप से सवारियां ढ़ोकर राज्य परिवहन निगम को लाखों रुपये की चपत लगा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल इसे गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेकर ऐसे अवैध संचालकों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

अवैध वाहनों के संचालन के विरुद्ध नियमित प्रवर्तन तथा आकस्मिक निरीक्षण की कार्रवाई करायी जाती है।

उक्त मार्ग पर अवैध संचालन के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान वर्ष 2014–15 में 242 वाहनों के विरुद्ध चालान/बन्द करने की कार्यवाही की गयी तथा रुपये 17.07 लाख प्रशमन शुल्क तथा रुपये 14.17 लाख कर के रूप में वसूल किये गये। चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 01–4–2015 से 30–06–2015 तक अवैध संचालित बसों के विरुद्ध की गयी प्रवर्तन की कार्रवाई में 112 वाहनों के विरुद्ध चालान/बन्द करने की कार्रवाई की गयी और इनसे रुपये 5.55 लाख प्रशमन शुल्क तथा रुपये 7011 लाख कर के रूप में वसूल किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के कांच चूडी एवं अन्य कांच उत्पादों के असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने की मांग

74–मनीष असीजा–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के कांच चूडी एवं अन्य कांच उत्पादों के कारखानों में बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में मजदूर कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों को जो अधिकांश भूमिहीन एवं गरीब हैं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा येाजना (आर0एस0बी0आई0) के अन्तर्गत पंजीकृत कर स्वास्थ्य सुरक्षा कवर मुहैया कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

जी हां, फिरोजाबाद जिले में कुल 307 पंजीकृत कारखाने, जिनमें 78 कारखाने कांच चूड़ी एवं 74 कारखाने अन्य कांच उत्पाद बनाये जाने से सम्बन्धित हैं इसके अतिरिक्त घरों में चूड़ी जुड़ाई, झलाई, कांच की चूड़ियों की सजावट तथा कांच के अन्य सजावटी सामानों की सजावट का कार्य किया जाता है, जिसमें बहुतायत संख्या में असंठित क्षेत्र के श्रमिक अपने परिवारों के साथ अपने घरों में कार्यरत हैं। लगभग 20 से 30 प्रतिशत श्रमिक कैजुअल/दैनिक मजदूरी के रूप में कार्यरत हैं। किसी विशिष्ट सर्वेक्षण के अभाव में उक्त प्रकार के श्रमिकों का संख्यात्मक विवरण श्रम विभाग में उपलब्ध नहीं है, किन्तु जिले में अनुमानतः लगभग 2 लाख से कुछ अधिक श्रमिक कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में बी0पी0एल0 परिवारों के श्रमिकों को आच्छादित करने का प्रावधान है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में एस0एन0 हास्पिटल में रेडियोथैरेपी, सी0टी0 स्कैन व एक्स–रे की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

75–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में एस0एन0 हास्पिटल में रेडियोथैरेपी, सी0टी0 स्कैन व एक्स–रे की सुविधा न होने के कारण मरीजों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों की सुविधा के लिये इन मशीनों को हास्पिटल में उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। मेडिकल कालेज, आगरा में सी0टी0 स्कैन की सुविधा वैटलीज पर तथा एक्स–रे की सुविधा उपलब्ध है।

जी हां। सी0टी0 स्कैन मशीन के क्रय की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गुटका व तम्बाकू से युवाओं के कैंसर जैसी तमाम भयानक बीमारियों को रोकने के लिये गुटका व तम्बाकू पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

76–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गुटका व तम्बाकू से युवाओं के कैंसर जैसी तमाम भयानक बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में गुटका व तम्बाकू पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। तम्बाकू एवं गुटका का प्रयोग स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0 प्र0 लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 04–10–2012 द्वारा दिनांक 01–04–2013 से प्रदेश में तम्बाकू अथवा निकोटिनयुक्त पान पसाला एवं गुटका के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं वितरण को प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

77–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से कराये गये चिकित्सीय उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक

78–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों को एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक पद्धति से कराये गये चिकित्सीय उपचार पर व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति होम्योपैथिक पद्धति से कराये गये चिकित्सीय उपचार हेतु उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से कराये गये चिकित्सीय उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शासन की अधिसूचना संख्या–474/पांच–6–14–1082/87टी0सी0, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा उ0 प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 निर्गत की गयी है, जिसमें अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ–साथ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से कराये गये चिकित्सीय उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु औषधियों के चिन्हांकन आदि की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

79–श्री जय प्रकाश निषाद–

खदिनांक 20–08–2015 को उत्तरित,

मैगी के जब्त किये गये पैकेटों की जांच के अनुसार मैगी के उत्पादन व वितरण पर रोक लगाये जाने विषयक

80–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैगी के जब्त किये गये पैकेटों की जांच कोलकाता स्थित सरकारी प्रयोगशाला द्वारा रिपोर्ट में पैकेटों में लेड यानी सीसे की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मैगी के उत्पादन व वितरण पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05–06–2015 द्वारा मैगी नूडल्स से सम्बन्धित 09 उत्पादों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, आयात, वितरण एवं विक्रय पर सम्पूर्ण भारतवर्ष में रोक लगा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिये योजना की जानकारी

81–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर डेस्कटाप/लैपटाप आदि उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न आन लाइन साफ्टवेयरों के साथ–साथ राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत 5,000 से ऊपर वाली आबादी की 1,500 ग्राम पंचायतों को डेस्कटाप कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा 10,000 की आबादी के ग्राम पंचायतों को लैपटाप उपलब्ध कराने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे स्थित बस स्टेशन की स्वतंत्र बस डिपो बनाये जाने विषयक पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी विषयक

82–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद– सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे में स्थित बस स्टेशन को जो देश के सुदूर विभिन्न बड़े–बड़े महानगरों एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल को जोड़ने एवं बार्डर पर होने के कारण एक स्वतंत्र बस डिपो बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज सं0 पी0जी0 10462480 सी0एम0/वि0को0/एम0 दिनांक 09–06–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

डुमरियागंज में स्वतंत्र बस डिपो बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की तरह नई व्यवस्था में पंजीकृत किये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने विषयक

83–श्री मनीष असीजा–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं ? क्या यह सही है कि पूर्व में पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत बेरोजगारों को नई व्यवस्था में पंजीकृत होने के लिये आन लाइन आवेदन करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवक/युवतियों को जागरूक करने हेतु उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में 31 मार्च, 2015 तक कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या–72,65,834 है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों के किनारे शव दाह स्थल निर्माण की सरकार की योजना के विवरण की जानकारी विषयक

84–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों के किनारे शव दाह स्थल निर्माण की कोई योजना सरकार बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

योजना का विवरण निम्नवत् है :–

(1) शव की अन्त्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाना।

(2) अन्त्येष्टि स्थल में शव के साथ उपस्थित जनों को मूलभूत सुविधाएं यथा–पेयजल एवं शौच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

(3) शवदाह हेतु लकड़ियों की उचित एवं सुलभ व्यवस्था हेतु लकड़ी का टाल स्थापित किया जाना।

(4) इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायं कि यह प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के प्रयोग किया जा सके।

(5) अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को सक्षम किया जाना।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–2105/2015233–3–2014–100(21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के जिला कारागारों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग क्रियाशील कराये जाने की योजना की जानकारी विषयक

85–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला कारागारों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग क्रियाशील कराये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है और उसे कब तक सरकार लागू करायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

विचाराधीन बन्दियों के रिमाण्ड हेतु प्रदेश की कारागारों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कार्य योजना संचालित की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश की 07 कारागारों तथा इनमें

सम्बन्धित जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाइयां संचालित की जा चुकी हैं। द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृत सभी कारागारों में से जि0का0 बरेली तथा मुजफ्फरनगर की इकाइयां भी संचालित हो गयी हैं। शेष कारागारों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2015 तक क्रियाशील कराये जाने का लक्ष्य है।

86–श्री मनीष असीजा–

ख्अस्पष्टता के आधार पर निरस्त,

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम चौसड़ की आन्तरिक क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक

87–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम चौसड़ की आन्तरिक सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण जलभराव रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी हां।

क्षतिग्रस्त गलियों की मरम्मत हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। यथाशीघ्र कार्य करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

88–श्री ममतेश शाक्य–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा–लौंदा, विकास खण्ड नियमताबाद में सड़क बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी विषयक

89–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–लौंदा विकास खण्ड नियमताबाद में काली मन्दिर श्याम लाल के घर से बुध्धू बब्बन के घर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख 5–एन 321748 दिनांक 05–05–15 जिलाधिकारी जनपद चन्दौली प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चन्दौली के पत्र संख्या–431, दिनांक 27–5–2015 द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चन्दौली को उक्त कार्य कराने हेतु प्रेषित किया गया। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चन्दौली ने पत्र दिनांक 16–7–2015 द्वारा अवगत कराया है कि संदर्भित कार्य जिला पंचायत के किसी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने की संस्तुति हेतु श्री बब्बन सिंह चौहान, मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय से अनुरोध किया गया है। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चन्दौली के पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पत्र पर मा0 विधायक जी की सहमति अभी तक अप्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

ट्रकों की ओवर लोडिंग को रोकने हेतु सरकार की नीति विषयक प्रकरण की जानकारी

90–श्री पंकज गुप्ता–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रकों की ओवर लोडिंग को रोकने हेतु प्रदेश सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

स्वीकृत क्षमता से अधिक माल लेकर चलने वाले माल वाहनों के विरुद्ध केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–113 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित क्षमता से अधिक माल ले जा रहे वाहनों के विरुद्ध प्रश्मन शुल्क वसूल करने और उक्त अधिनियम की धारा–114 के अन्तर्गत अधिक भार माल वाहनों से उतार दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली क्षेत्र मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्राम सभा तक के मार्ग की सी0सी0 रोड बनवाये जाने विषयक

91–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगेहरा, विकास खण्ड–नियमताबाद में चौहान बस्ती से विष्णु गुप्ता के घर से शंकर चौहान के घर तक के कच्चे मार्ग को क्या सरकार जनहित में सी0सी0 रोड बनवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत की किसी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद संतकबीरनगर के क्षेत्र के विकास खण्ड–खलीलाबाद के ग्राम पंचायत बनकटियां में जल निकासी की व्यवस्था व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में

92–डा0 मो0 अयूब–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–खलीलाबाद के ग्राम पंचायत बनकटियां में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण पानी का भराव हो जाता है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है तथा बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में जल निकासी हेतु उक्त स्थान पर नाले का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद के राशन कार्ड धारकों को नये डिजिटलाइज राशन कार्डों को वितरण की जानकारी

93–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के कितने राशन कार्ड धारकों को नये डिजिटलाइज राशन कार्डों का वितरण हो गया है ? शेष बचे राशन कार्ड धारकों को डिजिटलाइज राशन कार्डों का वितरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

नगर फिरोजाबाद के फीड किये गये कुल 129471 राशन कार्डों में से 92247 राशन कार्ड धारकों को नये डिजिटलाइज राशन कार्डों का वितरण करा दिया गया है।

शेष बचे राशन कार्डों का वितरण प्रचलन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मेडिकल कालेज आगरा के भूकम्प में क्षतिग्रस्त एकेडमिक ब्लाक को पुनः निर्मित करवाने की मांग

94–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25–04–2015 को नेपाल केन्द्रित विनाशकारी भूकम्प के झटकों से आगरा मेडिकल कालेज आगरा के 7 मंजिला एकेडमिक ब्लाक का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अत्यन्त जर्जर भवन को तत्काल उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करते हुए पुनः निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां। उक्त भवन के मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु महानिदेशक के पत्र संख्या–एमई/बजट/ 2015–16/226, दिनांक 15–07–2015 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा जर्जर बिल्डिंग के पुनः निर्माण की मांग

95–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग 160 वर्ष पुराने एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा का भवन अत्यन्त जर्जर हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज का पुनः निर्माण (पुरानी सर्जरी बिल्डिंग, गर्ल्स हास्टल, ब्वायज हास्टल तथा अन्य भवन) एवं उच्चीकरण के लिये कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

अन्य पुराने भवनों के जीर्णोद्धार/अनुरक्षण का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज में इलाज के लिये दिये गये बजट में कमी को बढ़ाये जाने की मांग

96–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित एस0एन0 मेडिकल कालेज में बहुत संख्या में आने वाले रोगियों के इलाज हेतु दवाओं, एक्स–रे, सर्जिकल आयटम, आक्सीजन तथा पैथालॉजी जांचों के लिये वर्ष 2014–15 में आवंटित रु0 3.80 करोड़ की बजट राशि पर्याप्त न होने के कारण रोगियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एस0एन0 मेडिकल कालेज में इलाज के लिये आने वाले रोगियों की असुविधा दूर करने हेतु उक्त मद की बजट धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा हेतु औषधि रसायन मद में रु0 3.63 करोड़ का प्राविधान है। आवश्यकतानुसार औषधि तथा रसायन मद में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में मेडिकल कालेज की स्थापना

97–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में मेडिकल कालेज बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो मेडिकल कालेज कब से बनना शुरू हो जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। केन्द्र सरकार की योजनान्तर्गत 05 जनपदों यथा फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर के जिला अस्पताल को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाया जाना प्रस्तावित है।

शासकीय पत्र संख्या–भा0स0–61/71–1–2014–जी–59/2014, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के द्वारा योजना का मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एम0ओ0यू0) प्रेषित कर दिया गया है। मेडिकल कालेज का निर्माण भारत सरकार से धन मिलने पर निर्भर करता है।

आगरा में कार्यालय अपर जिला अधिकारी (खाद्य एवं रसद) आगरा में कार्यरत आशुलिपिक द्वारा की गई अनियमितता की शिकायत की जांच कराये जाने की मांग

98–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कार्यालय अपर जिला अधिकारी (खाद्य एवं रसद) आगरा में कार्यरत आशुलिपिक जो कार्यालय से पूर्व में सरकारी फाइल के खोने के कारण लापरवाही में एक बार निलम्बित हो चुका है ? क्या सरकार को जानकारी है कि यह सदर क्षेत्र के राशन विक्रेताओं (कोटेदारों) से प्रत्येक माह आवंटन/उठान रिश्वत लेकर ही देता है ? इसकी प्रत्येक माह रिश्वत से 1,50,000 रुपये की कमाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति), आगरा में आशुलिपिक के पद पर कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है। कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ति लिपिक से आशुलिपिक से सम्बन्धित कार्य लिया जा रहा है। अभिलेखानुसार उक्त कर्मी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही/निलम्बन की कार्यवाही नहीं हुई है।

क्षेत्र के उचित दर राशन विक्रेताओं को आवंटन/उठान का कार्य उक्त कर्मी द्वारा नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में बड़े आक्सीजन कैप्सूल की स्थापना

99–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के विभिन्न चिकित्सा विभागों में रोगियों के उपचार हेतु अलग–अलग फुटकर आक्सीजन सिलेण्डरों का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि अलग–अलग फुटकर आक्सीजन सिलेण्डरों के स्थान पर बड़े आक्सीजन कैप्सूल के माध्यम से आक्सीजन आपूर्ति किये जाने से अतिरिक्त मानव श्रम की बचत के साथ–साथ समुचित आर्थिक बचत भी हो सकेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में बड़े आक्सीजन कैप्सूल की स्थापना कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां। इसी परिप्रेक्ष्य में एस0एन0 मेडिकल कालेज के समस्त भवनों में आधुनिक मेडिकल गैस पाइपलाइन स्थापित करने हेतु परियोजना तैयार किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

इलाहाबाद सिविल लाइन्स बस अड्डे को पी0पी0पी0 माडल के अनुसार विकसित करने की मांग

100–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ बस अड्डों को पी0पी0पी0 माडल पर विकसित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो वह कौन–कौन से हैं तथा क्या इलाहाबाद सिविल लाइन्स बस अड्डा भी उसमें सम्मिलित है ? यदि हां, तो उसमें क्या–क्या प्रमुख कार्य कराये जायेंगे तथा बस अड्डों हेतु भूमि किन शर्तों के अन्तर्गत दी जायेगी ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

बस अड्डा आगरा फोर्ट–आगरा, ईदगाह–आगरा, ट्रान्सपोर्ट नगर–आगरा, कौशाम्बी–गाजियाबाद, रसूलाबाद–अलीगढ़, आलमबाग–लखनऊ, झकरकट्टी–कानपुर, सिविल लाईन्स–इलाहाबद, वाराणसी कैण्ट–वाराणसी, सोहराबगेट–मेरठ, गोरखपुर, बरेली–सैटेलाइट एवं विभूति खण्ड, गोमती नगर–लखनऊ।

जी हां।

निवेशक द्वारा अपने व्यय पर अत्याधुनिक बस टर्मिनल तथा कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नवत् होंगी :–

1–निवेशक को कामर्शियल काम्पलेक्स के निर्मित भागों का शर्तों के अधीन लीज पर देने का अधिकार होगा।

2–अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि में निवेशक द्वारा परिसर के अनुरक्षण पर आने वाला व्यय स्वयं वहन किया जायेगा।

3–अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर निवेशक द्वारा निर्मित कामर्शियल काम्पलेक्स परिवहन निगम को अच्छी दशा में हस्तगत करा दिया जायेगा।

4–बस अड्डे की भूमि का स्वामित्व उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पक्ष में ही रहेगा।

मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा परोरवां, विकास खण्ड–नियमताबाद में रोड के दोनों तरफ नाली बनाये जाने की मांग

101–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा परोरवां, विकास खण्ड–नियमताबाद में छोटी के घर से काली मन्दिर तक मेन रोड के दोनों तरफ नाली बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5 एन–140560, दि0 16–05–15 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

ग्राम सभा परोरवां, विकास खण्ड–नियामताबाद में छोटी के घर से काली मन्दिर तक पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्मित मेन रोड के दोनों तरफ नाली का निर्माण ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के क्षेत्र रुधौली के ग्राम भानपुर, वि0खं0–रामनगर में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय भवन एवं आवासीय परिसर का पुनः निर्माण कराया जाना

102–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र–रुधौली के ग्राम भानपुर, वि0खं0–रामनगर में जिला पंचायत बस्ती के द्वारा संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय का भवन एवं चिकित्सक तथा कम्पाउण्डर के आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं तथा वर्तमान में अस्पताल का संचालन मरीजों तथा उनके परिजनों के लिये विश्राम कक्ष में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय भवन एवं उक्त आवासीय परिसर का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां। चिकित्सालय भवन तथा चिकित्सक एवं कम्पाउन्डर के आवास क्षतिग्रस्त है, किन्तु अस्पताल का संचालन मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए विश्राम कक्ष में नहीं किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद चिकित्सक कई वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके है। चिकित्सक का पद मृत घोषित होने के कारण नई तैनाती नहीं की गयी है। औषधालय पर जिला पंचायत, बस्ती का एक कम्पाउन्डर तैनात है जिसके लिए एक कमरा निर्मित है। जिला पंचायत बोर्ड की

बैठक दिनांक 11–4–2015 के अन्य प्रस्ताव सं0–6(4) द्वारा भानपुर औषधालय के मरम्मत का प्रस्ताव रखा गया, वर्तमान में अस्पताल में चिकित्सक न होने तथा चिकित्सालय संचालित नहीं होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शव जलाने के लिए अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण किया जाना

103–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शवों को जलाने के लिये जिन ग्राम पंचायतों मजरों/पुरवों में अन्त्येष्टि स्थल नहीं हैं ऐसी ग्राम पंचायतों में सर्वे कराकर सरकार अन्त्येष्टि स्थल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश–

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–2105/2105/33–3–2014–100(21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

प्रदेश में होम्योपैथिक फार्मासिस्टों की कमी को देखते हुए भैषजिक सेवा में डिप्लोमा प्राप्त फार्मासिस्टों की नियुक्ति करने विषयक

104–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक फार्मासिस्टों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए होम्योपैथिक भैषजिक सेवा में डिप्लोमा प्राप्त फार्मासिस्टों की नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश सं0–572(1)/71–आयुष–2–2015–142/2002, दिनांक 28 मई, 2015 अनुरूप संशोधित रूप में रिक्त कुल पद 1572 के सापेक्ष उक्त डिप्लोमा प्राप्त फार्मासिस्टों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

होम्योपैथिक विभाग में वर्तमान में भैषजिक (फार्मासिस्ट) के कुल 1572 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष रिक्त पद की संख्या–634 है। होम्योपैथिक विभाग में भैषजिक (फार्मासिस्ट) के रिक्त 634 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है।

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनोपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराये जाने पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही किये जाने विषयक

105–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि 2014–15 से 150 नग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव

एक वर्ष पूर्व यू0पी0 नेडा वाराणसी को दिया गया था लेकिन मात्र 34 लाइट ही उपलब्ध कराई है ? यदि हां, तो शेष लाइटें कब तक उपलब्ध कराई जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रोजेक्ट मोड कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के लिये मात्र 6000 अदद सोलर स्ट्रीट लाइटों हेतु अनुदान की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिससे जनपद चन्दौसी के लिये 69 लाइट आवंटित हो सकी। इसके सापेक्ष प्रथम चरण में जनपद चन्दौली में आपूर्तित 34 अदद लाइटों की स्थापना राज्यानुदान पर मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा इंगित स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर करायी गयी।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में 34 लाइटों की स्थापना में व्यय हुई धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि ब्याज सहित कुल रु0 16,90,008/–डी0आर0डी0ए0, चन्दौली को वापस कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा अमोधपुर वि0 खं0 नियमताबाद, तहसील व जनपद चन्दौली में मेन सम्पर्क मार्ग से मुन्ना चौहान के घर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

106–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा अमोधपुर, वि0खं0 नियमताबाद, तह0 व जनपद–चन्दौली में मेन सम्पर्क मार्ग से मुन्ना चौहान के घर तक का मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, को बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5नं0–140564, दिनांक 28–05–15 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी नियामताबाद–चन्दौली को प्रश्नगत कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्य ग्राम पंचायत के वर्ष–2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के पुरानी बस्ती शहर के बरदहिया बाजार से पालीटेक्निक होते हुए बस्ती बांसी मार्ग का निर्माण

107–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के पुरानी बस्ती शहर के बरदहिया बाजार से पालीटेक्निक होते हुए बस्ती बांसी मार्ग को जोड़ने वाला

मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत चल रही है और यथासमय कार्य पूरा हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा बिसौरी में अम्बेडकर गेट से अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए नहर तक मार्ग का निर्माण

108–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–बिसौरी, वि0खं0–चन्दौली में अम्बेडकर गेट से अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए नहर तक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5 नं0–140577, दिनांक 19–06–2015 जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पत्रांक–834 दिनांक 20–7–2015 द्वारा मा0 विधायक को पत्र निर्गत कर उनकी निधि से कार्य कराये जाने की सहमति मांगी गयी है, जो अभी तक अप्राप्त है।

उपरोक्तानुसार।

रुधौली वि0स0 की तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कराया जाना

109–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल किराये के भवन में संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जिला योजना के अन्तर्गत जिला अनुश्रवण समिति से प्रस्ताव व नियोजन विभाग से परिव्यय फांट एवं भूमि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

110–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

खदिनांक 20–08–2015 को उत्तरित,

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की निजी उद्योग की स्थापनाओं में प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की गारण्टी प्रदान किया जाना

111–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को निजी उद्योग की स्थापनाओं में प्रोत्साहन देने हेतु सरकार राष्ट्रीय बैंकों से रु0 10.00 लाख से रु0 1.00 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराने के लिये अपनी गारण्टी प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार–

उ0प्र0 सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देने के लिये बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के लिये गारण्टी प्रदान किये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार तथा नगरीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिये एक क्रेडिट गारण्टी निधि योजना संचालित की गयी है जिसके अन्तर्गत 1.00 करोड़ तक ऋण के लिये उद्यमियों के गारन्टी कवर उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा संचालित योजना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना के समानान्तर राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य के लिये अलग से कोई योजना संचालित करने का औचित्य नहीं है।

जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली के अन्तर्गत ग्राम परसा तिवारी से ग्राम परसिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

112–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली के अन्तर्गत ग्राम परसा तिवारी से ग्राम परसिया तक की दूरी लगभग 1200 मीटर मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को आर0सी0सी0 रोड बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का कार्य जिला पंचायत की किसी कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

बहराइच से पयागपुर तक राजकीय बस संचालन हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

113–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच से पयागपुर तक राजकीय बस संचालन हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5 सं0–300841/7826 दिनांक 02–07–15 उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो क्या बस का संचालन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां। संदर्भित पत्र दिनांक 02–07–2015 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र दिनांक 02–07–2015 पयागपुर जनपद बहराइच के अन्तर्गत एक बस अड्डा खोलने एवं इससे सम्बन्धित कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में है, न कि बहराइच से पयागपुर तक राजकीय बस संचालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आलापुर अम्बेडकर नगर में राजेसुल्तानपुर से कानपुर तक नई बसों का चलाया जाना

114–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर में राजेसुल्तानपुर से कानपुर जनपद तक की बस सेवा में प्रयुक्त बसें बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं तथा आये दिन बसें खराब रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में नई बसें चलवायेगी ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

राजेसुल्तानपुर से कानपुर मार्ग पर दो बसें यू0पी0–42 ए0टी0 0806 तथा यू0पी0–42टी0 7513 संचालित हो रही थी। बस संख्या यू0पी0–42 टी0 7513 की दशा बहुत अच्छी न होने के कारण उसके स्थान पर अच्छी दशा की बस संख्या–यू0पी0–42 ए0टी0 0805 संचालित करा दी गयी है। बस संख्या–यू0पी0–42 ए0टी0 0806 की दशा ठीक है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के क्षेत्र रुधौली में विधायक निधि से लगाये गये अधिकांश सौर्य ऊर्जा लाइटों के खराब होने के कारण ठीक कराया जाना

115–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में विधायक निधि से लगाये गये अधिकांश सौर्य ऊर्जा लाइटें खराब हैं जिससे

नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब लाइटों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विधायक निधि से वर्ष 2012–13 में 136 एवं वर्ष 2014–15 में 200 नग इस प्रकार कुल 336 नग सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना यूपीनेडा द्वारा करायी गयी थी। इन लाइटों में से 13 लाइटों की खराबी की शिकायत प्राप्त हुई थी।

उक्त 13 अकार्यशील लाइटों का सत्यापन कराकर समस्त लाइटें आपूर्तिकर्ता फर्म के स्थानीय सर्विस सेन्टर से ठीक करा दी गयी है।

वर्तमान में सभी लाइटें क्रियाशील हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में दूध से बनने वाली मिठाइयों में मिलावट खोरी को रोकने हेतु कठोर कार्यवाही किया जाना

116–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में दूध से बनाने वाली मिठाइयां व अन्य सामान, मसाले, नूडल्स, पेय पदार्थ, नमक, सॉस गुटखा–पान मसाले जैसी चीजों में मिलावट हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिये प्रचलित कानून को अधिक कठोर बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद आगरा में दूध से बनने वाली मिठाईयों, मसाले, नूडल्स, पेय पदार्थ, पान मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में दिनांक 01–04–2014 से 31–07–2015 तक संग्रहीत कुल 424 नमूनों में से 149 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षण, छापों, अभियान के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम में अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत अर्थदण्ड से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग पद की प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितता

117–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–2016/ने0वि0द0/2013, दिनांक 21–11–2013 जो अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा संचालित आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग पद की प्रवेश परीक्षा में की गयी

अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) उ0प्र0 से करायी गयी। जांच आख्या के आधार पर सत्र 2012–13 एवं 2013–14 में प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित ओ0एम0आर0 शीट की फोंरेन्सिक जांच कराने हेतु दिनांक 15–04–2015 को आदेश निर्गत किया गया। तत्क्रम में अध्यक्ष, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26–3–2015 को ओ0एम0आर0 शीट नष्ट कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व के निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

यूनानी फार्मासिस्टों के पद पर की गयी नियुक्ति की गई अनियतिता विषयक–पत्र पर कार्यवाही

118–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–565 / ने0वि0द0 / 2015, दिनांक 26–05–2015, जो कि सितम्बर, 2014 की काउंसिलिंग में यूनानी फार्मासिस्टों के पद पर की गयी नियुक्ति में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण जांच निदेशक, यूनानी से करायी गयी। निदेशक, यूनानी से प्राप्त जांच आख्या दिनांक 10–08–2015 में अवगत कराया गया है कि यूनानी निदेशालय के पत्र संख्या–2774 / यू0नि0 / सा0–2010 / 2014–15, दिनांक 01–10–2014 के माध्यम से 89 अभ्यर्थियों को यूनानी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–6115 / एस0एस0 / 2014 श्याम मोहन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में दिनांक 17–10–2014 द्वारा नियुक्ति आदेश पर स्थगन आदेश पारित किये गये है। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के पुरानी बस्ती बाजार में डुमरियागंज चुंगी चौकी होते हुए एन0एच0 को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त मरम्मत की मांग

119–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की करेंगे कि जनपद बस्ती के पुरानी बस्ती बाजार से बस्ती डुमरियागंज चुंगी चौकी होते हुये एन0एच0 को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण हेतु जिला पंचायत बस्ती की बैठक दिनांक 11–4–2015 में अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। धनराशि प्राप्त होते ही नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार की नीति

120–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–474/पांच–6–14–1082/87टीसी, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 निर्गत की गयी है, जिसमें अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ–साथ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा निर्देश के क्रम में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से कराये गये चिकित्सीय उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु औषधियों के चिन्हांकन, आदि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रकरण

121–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–332/71–2–2005, दिनांक 25–01–2005 राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–2775/5–6–11–1082–87, दिनांक 20–09–2011 तथा संख्या–474/पांच–6–14–1082–87, दिनांक 04–03–2014 में विवरण वर्णित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजीवन कारावास के रूप में सजा काट चुके बन्दियों को रिहा किये जाने की सिफारिश

122–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0 और भारतीय संविधान में यह निहित है कि माननीय न्यायालय द्वारा आई0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत निर्धारित सजा देने का प्राविधान है और समयपूर्वक रिहाई का अधिकार राज्य सरकार की सिफारिश पर माननीय राज्यपाल महोदय को प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका संज्ञान लेकर ऐसे सिद्ध दोष बंदी जो 30 और 35 वर्ष तक की सजा आजीवन कारावास के रूप में काट चुके हैं, को रिहा किये जाने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय से सरकार सिफारिश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध 14 वर्ष की सजा काट चुके आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट–1938 की धारा–2 के अन्तर्गत लाइसेंस/फार्म–ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा–432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर–198 ए के अन्तर्गत नामीनल रोल, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर–195, 196 तथा 197 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल एवं संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन किसी भी अवधि की सजा काट चुके सिद्धदोष बन्दियों की समय पूर्व रिहाई पर विचारण किया जाता है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या–48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 09–07–2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समय पूर्व रिहाई किये जाने सम्बन्धी राज्यों की शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गयी है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23–07–2015 द्वारा अन्तिम निर्णय के अधीन कतिपय शर्तों सहित संशोधित कर दिया गया है। प्रकरण अभी भी मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

तीन वर्ष पूर्व जौनपुर मुख्यालय से शाहगंज के लिये परिवहन निगम की बसों की संख्या बढ़ाया जाना

123–श्री नदीम जावेद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में तीन वर्ष पूर्व जौनपुर मुख्यालय से शाहगंज के लिये परिवहन निगम की 34 बसें चलती थीं ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में जब यात्रियों की संख्या बढ़ी है तब भी जौनपुर डिपो से मात्र तीन बसों का ही संचालन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुये परिवहन निगम की बसों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

तीन वर्ष पूर्व जौनपुर मुख्यालय से शाहगंज के लिये परिवहन निगम की 34 बसों के बजाय 15 बसें संचालित थीं।

वर्तमान में यात्रियों की बढ़ी संख्या के दृष्टिगत जौनपुर मुख्यालय से शाहगंज मार्ग पर वाराणसी क्षेत्र की 18 बसें एवं आजमगढ़ क्षेत्र की 05 बसें, कुल 23 बसें संचालित हो रही है।

उक्त मार्ग पर यात्रियों की उपलब्धता के अनुरूप बसें संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या की जानकारी सर्वे कराकर नये कार्डों का बनवाया जाना

124–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या कितनी है तथा क्या सर्वे कराकर नये सिरे से कार्ड बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

प्रदेश में बी0पी0एल0 के 106.79 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिसमें से 6584500 बी0पी0एल0 श्रेणी के एवं 4094500 अन्त्योदय श्रेणी के प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त ए0पी0एल0 के 34342768 राशन कार्ड हैं। वर्तमान में प्रचलित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नये सिरे से सर्वे कराकर बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 राशन कार्ड बनवाये जाने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के पंचायती राज एक्ट में त्रिस्तरीय व्यवस्था पुनः लागू किया जाना

125–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पंचायती राज एक्ट में त्रिस्तरीय व्यवस्था में उपाध्यक्ष, उप प्रमुख और उप प्रधान की व्यवस्था होने के बाद भी बसपा सरकार द्वारा उक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पुनः लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष, उप प्रमुख और उप प्रधान की व्यवस्था नहीं है। पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में इन पदों की उपयोगिता नहीं है।

जिला अलीगढ़ ब्लाक–छर्रा का ग्राम पंचायत छर्रा का पुनः परिसीमन का लक्ष्य पूरा किया जाना

126–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगामी पंचायत के चुनाव को ध्यान में रखते हुये जिला अलीगढ़, ब्लाक–छर्रा का ग्राम पंचायत छर्रा का पुनः परिसीमन मार्च, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ? यदि हां, तो क्या लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा हुआ है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

जनपद अलीगढ़ में छर्रा नाम का विकास खण्ड व छर्रा नाम से कोई भी ग्राम पंचायत गठित नहीं है । अतः विकास खण्ड छर्रा तथा ग्राम पंचायत छर्रा गठित न होने के कारण उसके परिसीमन का कोई लक्ष्य नहीं है। अवगत कराना है कि कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या : 4/219/2014–4/90/(अलीगढ़)/2014 दिनांक 28 जनवरी, 2015 के अन्तर्गत जनपद–अलीगढ़ के विकास खण्ड गंगीरी में छर्रा रफायतपुर नाम से ग्राम पंचायत गठित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सामूहिक ग्रामीण शौचालय बनाने की योजना

127–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के जिन घरों में शौचालय के लिये जगह नहीं है या ऐसे ग्रामीण जिनके पास घर नहीं है, के लिये क्या सरकार सामूहिक ग्रामीण शौचालय बनवाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जिन घरों में शौचालय के भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक शौचालय बनाये जाने का प्राविधान है, ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक शौचालय का प्रस्ताव जिला स्वच्छता समिति

को उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर निर्माण कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–लखनऊ के अन्तर्गत फैजाबाद मार्ग पर मटियारी चौराहे पर दाहिनी तरफ खराब सड़क की मरम्मत कराया जाना

128–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत फैजाबाद मार्ग पर मटियारी चौराहे पर दाहिनी तरफ पाल पी0सी0ओ0 के बगल से टैम्पो स्टैण्ड से शंकर भगवान जी के मन्दिर होते हुये यशोदानगर में यादव जी के प्लाट व मकान तक सड़क निर्माण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5नं0/148841, दिनांक 01–10–2014 पर विशेष सचिव, मुख्य मंत्री अमित गुप्ता द्वारा दि0 02–10–2014 निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बहराइच के क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

129–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच के अन्तर्गत सड़कों के मरम्मत कराये जाने संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या– 5–5नं0/232406, दिनांक 19–08–2014 पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–503702/14, दिनांक 28–08–14 प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 19–08–2014 द्वारा तेरहवां वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत 18 खड़ंजों की मरम्मत हेतु लिखा गया है। तेरहवां वित्त योजना में इतनी धनराशि प्राप्त नहीं होती है कि वे सम्पर्क मार्ग के रूप में निर्मित खड़ण्जों की मरम्मत करा सकें। ग्राम पंचायत की आबादी के अन्दर निर्मित खड़ण्जों की मरम्मत आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव से करने में सक्षम होती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती में मिट्टी के तेल में आवंटन में की गयी अनियमितता

130–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती को आवंटित मिट्टी के तेल में कटौती कर बचे हुये मिट्टी के तेल को नगर पालिका क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में एक लीटर प्रति कार्ड बढ़ा कर आवंटन किये जाने का आदेश माह मई, 2015 में जिलापूर्ति अधिकारी, बस्ती द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन कारणों से निर्धारित आवंटन में कटौती कर शहरी क्षेत्रों के कार्डधारकों को एक लीटर बढ़ा कर मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया जबकि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आवश्यकता अधिक होती है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

वित्तीय वर्ष 2014–15 के चतुर्थ त्रैमास माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 2015 हेतु भारत सरकार से 396888 कि0ली0 मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष शासनादेश दिनांक 14–01–2015 द्वारा जनपद बस्ती हेतु कुल 1620 कि0ली0 मिट्टी का तेल आवंटित किया गया था। पुनः शासनादेश दिनांक 24–02–2015 द्वारा रिजर्व मिट्टी का तेल में से जनपद बस्ती हेतु माह फरवरी व मार्च, 2015 हेतु 24 कि0ली0 अतिरिक्त मिट्टी का तेल का आवंटन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रथम त्रैमास माह अप्रैल, मई व जून, 2015 हेतु भारत सरकार से 389400 कि0ली0 मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ, जो पूर्व त्रैमास के सापेक्ष 7488 कि0ली0 कम था। अतएव वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रथम त्रैमास माह अप्रैल, मई व जून, 2015 हेतु भारत सरकार से अपेक्षाकृत कम मिट्टी तेल प्राप्त होने के कारण शासनादेश दिनांक 16–04–2015 द्वारा जनपद बस्ती हेतु कुल 1572 कि0ली0 मिट्टी तेल आवंटित किया गया था।

उपरोक्त परिस्थितियों में जनपद बस्ती के 611806 कार्डों के सापेक्ष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी राशन कार्डों पर 2.62 लीटर प्रति कार्ड आवंटन को संशोधित करते हुए 2.54 लीटर प्रति कार्ड कर दिया गया।

शासनादेश दिनांक 24–02–2015 द्वारा जनपद बस्ती को माह फरवरी एवं मार्च, 2015 हेतु 24 के0एल0 अतिरिक्त आवंटित मिट्टी तेल अत्यन्त अल्प होने के कारण उसका वितरण समानुपातिक रूप से जनपद के सभी 1193 उचित दर विक्रेताओं में किया जाना अव्यवहारिक होने तथा भीषण गर्मी एवं अघोषित विद्युत कटौती के दृष्टिगत जनपद के नगरीय क्षेत्रों में जनजीवन की अपेक्षाकृत अधिक अस्त–व्यस्तता को देखते हुए 01 लीटर/कार्ड की समान दर से सभी राशन कार्डों पर अतिरिक्त रूप से नियमानुसार माह मई, 2015 में वितरण कराया गया।

जनपद–महराजगंज के नौतनवां बाजार से ढुठी बारी रूट पर अवैध संचालित आटो रिक्शा को बन्द किया जाना

131–श्री कौशल सिंह कुंवर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद महराजगंज के नौतनवां बाजार से ढुठी वाटी रूट पर अवैध रूप से संचालित आटो रिक्शा को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या–47811/2012, दिनांक

19–09–2012 एवं आदेश संख्या–39894/2013, दिनांक 24–07–2013 का अनुपालन करते हुये सरकार द्वारा उक्त अवैध आटो रिक्शा (टेम्पो) का संचालन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जनपद महाराजगंज के नौतनवां बाजार से ढुठी बारी मार्ग पर अवैध रूप से संचालित आटो रिक्शा को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या–47811/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित ओदश दिनांक 19–09–2012 के अनुपालन में दिनांक 31–03–2014 तक 118 आटो/टैम्पों टैक्सी का चालान कर 103 आटो/टैम्पो टैक्सी को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207(1) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया।

रिट याचिका संख्या–39894/2013 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–07–2013 के अनुपालन में 33 आटो/टैम्पों टैक्सी का चालान कर 27 आटो/टैम्पों टैक्सी चालान को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207(1) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया।

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के दोनों आदेशों के अनुपालन में नौतनवां बाजार ढुठी बारी मार्ग पर कुल 151 आटो/टैम्पों टैक्सी का चालान कर 130 आटो/टैम्पों टैक्सी को बन्द किया गया और 5.14 लाख प्रशमन शुल्क तथा रुपये 2.61 लाख कर के रूप में वसूल किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंचायतों के निर्वाचन में आरक्षण लागू होने की घोषणा करने के पूर्व जातीय आधार पर जनगणना कराकर आरक्षण पूर्ण किया जाना

132–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायतों के निर्वाचन में आरक्षण लागू है ? यदि हां, तो उसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उसके पास आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये जातीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और जातियों की जनगणना के लिये रैपिड सर्वे का अभियान चला रखा है ? यदि हां, तो रैपिड सर्वे कराये जाने का पूरा विवरण क्या है ?

श्री कैलाश–

जी हां।

अवगत कराना है कि प्रदेश के पंचायतों के निर्वाचन हेतु स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन विषयक शासनादेश संख्या–2121/33–3–2015–96/2015 टी0सी0 दिनांक 11–08–2015 को निर्गत कर दिया गया है।

आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जनगणना वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के श्रेणीवार आंकड़े उपलब्ध हैं एवं पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों की संख्या के अवधारण हेतु उ0प्र0 (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या के अवधारण और प्रकाशन) नियमावली, 1994 के प्राविधानों के अनुसार रैपिड सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों की संख्या के अवधारण हेतु उ0 प्र0 (पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों की संख्या का अवधारण और प्रकाशन) नियमावली, 1994 के प्राविधानों के अनुसार रैपिड सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जनपद–फिरोजाबाद में भाऊ का नगला स्थित औद्योगिक आस्थान की क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों का पुनः निर्माण कराया जाना

133–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में भाऊ का नगला स्थित औद्योगिक आस्थान की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण इस क्षेत्र में लेागों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भाऊ का नगला औद्योगिक आस्थान की टूटी एवं गड्ढा युकत सड़कों एवं नालियों का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार–

जनपद फिरोजाबाद स्थित औद्योगिक आस्थान, नगला भाऊ की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत हेतु वर्ष 2006 में एसाइड योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 155.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिससे उक्त औद्योगिक आस्थान की सड़कों एवं नालियों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया गया था।

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

फिरोजाबाद के कांच उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु आगरा–लखनऊ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे पर ग्लास म्यूजियम की स्थापना का प्रस्ताव

134–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर फिरोजाबाद के विश्व विख्यात कांच उत्पादों के प्रसार–प्रचार एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु फिरोजाबाद से होकर गुजरने वाले आगरा लखनऊ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे पर एक ग्लास म्यूजियम की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार–

ग्लास म्यूजियम की स्थापना से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विधायक निधि से लगाई गयी सौर ऊर्जा लाइटों के खराब होने की शिकायत फर्म से ठीक करवाया जाना

135–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विधायक निधि से लगाई गयी सौर ऊर्जा लाइटों में अधिकांश लाइटों के न जलने की शिकायत बराबर प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का भौतिक सत्यापन कराकर समस्त लाइटें ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विधायक निधि से वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 में स्थापित कुल 336 सोलर स्ट्रीट लाईटों में से 13 लाइटों की खराबी की शिकायत प्राप्त हुई थी।

उक्त अकार्यशील लाइटों का सत्यापन कराकर उन्हें, आपूर्तिकर्ता फर्म के स्थानीय सर्विस सेन्टर से ठीक करा दिया गया है।

वर्तमान में सभी लाईटें क्रियाशील हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मिर्जापुर में मेडिकल कालेज अथवा पी0जी0आई0 स्तर का चिकित्सालय स्थापित किया जाना

136–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, विन्ध्याचल मण्डल का मुख्यालय है ? यदि हां, तो क्या वहां अभी तक केवल संयुक्त चिकित्सालय स्तर का ही मुख्य सरकारी अस्पताल चल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निकटवर्ती मण्डल मुख्यालय, वाराणसी एवं इलाहाबाद में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा से युक्त सरकारी चिकित्सालयों के अलावा मेडिकल कालेज एवं अन्य हास्पिटल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद–मिर्जापुर की उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वहां मेडिकल कालेज अथवा पी0जी0आई0 स्तर का चिकित्सालय स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जी हां। इलाहाबाद एवं वाराणसी मण्डल मुख्यालयों में अन्य चिकित्सालयों के अतिरिक्त इलाहाबाद में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय मेडिकल कालेज एवं वाराणसी में भारत सरकार द्वारा संचालित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत जनपद मिर्जापुर में मेडिकल कालेज अथवा पी0जी0आई0 स्तर का चिकित्सालय स्थापित किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

137–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

खदिनांक 19–08–2015 को उत्तरित,

ग्रामीण क्षेत्र/ग्रामों में सफाई की नीति

138–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र/ग्रामों में सफाई की नीति क्या है तथा कितने घण्टे कर्मचारी को प्रतिदिन कार्य करने की अनुमन्यता है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रदेश के अधिकांश ग्रामों में सफाई कर्मचारी सफाई कार्य के लिये जाते ही नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी प्रत्येक ग्राम में आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारियों की तैनाती तथा निर्धारित घण्टों में प्रतिदिन सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मी की तैनाती की नीति है। सफाई कर्मचारियों का कार्य समय एक पाली में गर्मियों में प्रातः 7.00 बजे से 2.00 बजे तक तथा सर्दियों में 8.00 बजे से 3.00 बजे तक अर्थात 7.00 घंटे का सफाई कार्य करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। राजस्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से सफाई का कार्य किया जा रहा है, यदि किसी जनपद से सफाई कार्य न करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम स्तर से जांच कराकर दोषी सफाई कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

सफाई कर्मियों की तैनाती आबादी के अनुसार नहीं अपितु प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मी की तैनाती की नीति है। तैनात सफाई कर्मियों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयानुसार सफाई का कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया अन्तर्गत बलिया से मांझी घाट होकर पटना तक मैत्री बस सेवा चलाया जाना

139–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया अन्तर्गत बलिया से माझी घाट होकर पटना तक मैत्री बस सेवा चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सेवा कब तक उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया से मांझी घाट होकर पटना मार्ग उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के मध्य प्रस्तावित अन्तर्राज्जीय पारस्परिक परिवहन समझौते में नहीं है।

जनपद–झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम दोंन से ओडिया बाबा (म0प्र0 सीमा तक) मार्ग का निर्माण कराया जाना

140–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम दोंन से ओडिया बाबा (म0प्र0 सीमा तक) सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिलों में फूड व फ्रूट प्रोसेसिंग योजना के तहत स्माइल पार्क विकसित करने की योजना की जानकारी

141–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने जिलों में फूड व फ्रूट प्रोसेसिंग योजना के तहत स्माइल पार्क विकसित करने की योजना है ? उक्त योजना का प्रारूप क्या है ? क्या सरकार योजना का प्रारूप उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार–

प्रदेश के 25 जनपदों में योजना प्रस्तावित है।

मैसर्स स्माईल पार्क्स इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ एक निजी क्षेत्र की संस्था है। राज्य सरकार के साथ हुए एम0ओ0यू0 के अनुसार उक्त संस्था द्वारा प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, बुन्देल खण्ड क्षेत्र, तथा मध्य उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 5 की दर से फूड व फ्रूट प्रोसेसिंग से सम्बन्धित 25 उद्यम समूह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक समूह में एक इन्टीग्रेटेड कामन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त फैसिलिटी सेंटर में पावर बैकअप, पावर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, टूलरूम क्वालिटी लैब, पैकेजिंग एवं प्रिन्टिंग, परिवहन विपणन, प्रशासन तथा लेखा इत्यादि की व्यवस्था निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–इलाहाबाद में घूरपुर करमा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

142–श्री दीपक पटेल –

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में घूरपुर करमा मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत का कार्य जिला पंचायत द्वारा करा दिया गया है।

जनपद–सन्तकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में विकास खण्ड सेमिरियांवा के राजस्व ग्राम चयनपुरवा में मार्ग का निर्माण

143–डा0 मो0 अयूब–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में विकास–खण्ड सेमरियांवा के राजस्व ग्राम चयनपुरवा से ग्राम पंचायत गिरा अव्वल तक 01 कि0मी0 लम्बी सड़क जिसका खड़न्जा से लेपन कार्य किया गया है, को पिच मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का कार्य जिला पंचायत की किसी कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

144–श्री लोकेन्द्र सिंह–

ख्2सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

145– श्री सतीश महाना–

ख्2सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

146–श्री सुदेश शर्मा–

ख्2सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

147–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्2सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

148–श्री मनीष असीजा–

ख्2सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–05 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

149–डा0 अरुण कुमार–

ख्2सरे शुक्रवार के तारां 0प्र0सं0–06 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

150–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्2सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–07 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

151–श्री लोकेन्द्र सिंह–

ख्3सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

152–श्री सतीश महाना–

ख्3सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

153–श्री मनीष असीजा–

ख्3सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

154–डा0 अरूण कुमार–

ख्3सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

155–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्3सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–05 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

156–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्3सरे शुक्रवार के तारां0 प्र0सं0–06 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद–बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में उत्तर प्रदेश और बिहार प्रान्त से जोड़ने के लिये रोडवेज डिपो का निर्माण कराने विषयक

157–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में उत्तर प्रदेश और बिहार प्रान्त को जोड़ने के लिये रोडवेज डिपो का निर्माण जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बैरिया के पूरब तरफ मात्र मांझी घाट पुल स्थित है, जो बिहार प्रान्त से जुड़ा हुआ है। बैरिया से जो भी बसे संचालित होंगी वह बलिया जनपद मुख्यालय से ही होकर जायेंगी। बैरिया से अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उपरोक्त भौगोलिक स्थित के दृष्टिगत बैरिया में डिपो बनाया जाना निगम के लिये अलाभकारी होगा।

प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के स्वीकृत पदों के सापेक्ष फारमेसिस्ट पदों की भर्ती किया जाना

158–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के स्वीकृत पद हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त

आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पदों की भर्ती पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 2098 पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष दिनांक 30–06–15 तक 130 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ट्रकों द्वारा ओवर लोडिंग करने व उनके रास्ते में होने वाली अवैध वसूली को रोकने की सरकार की योजना

159–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिट्टी, मौरंग ढोने वाले ट्रकों द्वारा ओवर लोडिंग करने व उनसे रास्ते में होने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिये सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 में ओवर लोडिंग प्रतिबंधित है। गिट्टी, मोरंग ढोने वाले ट्रकों द्वारा ओवर लोडिंग किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा नियमित प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

स्वीकृत क्षमता से अधिक माल लेकर चलने वाले माल वाहनों के विरुद्ध केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 113 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित क्षमता से अधिक माल ले जा रहे वाहनों के विरुद्ध प्रशमन शुल्क वसूल करने और उक्त अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत अधिक भार माल वाहनों से उतार दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्साधिकारी यूनानी तथा आयुर्वेद को चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक की भांति समान वेतन विशिष्ट ए0सी0पी0 एवं एन0पी0ए0 दिये जाने का प्रकरण

160–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्साधिकारी, यूनानी तथा आयुर्वेद को चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक की भांति समान वेतन विशिष्ट ए0सी0पी0 एवं एन0पी0ए0 दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

यूनानी तथा आयुर्वेद विधा के चिकित्साधिकारी, प्राइवेट प्रैक्टिस करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

जनपद–जौनपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य का पूरा किया जाना

161–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य पूरा करते हुए शिक्षण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर में समस्त निर्माण एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के पूर्ण होने के उपरान्त मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। अतः वर्तमान में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अवधि इंगित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के खुर्जा में पोटरी उद्योग की मांग के अनुसार कोयले की सप्लाई सुनिश्चित किया जाना

162–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में पोटरी उद्योग को विगत दो वर्षों से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मांग के अनुरूप कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार–

जी हां।

पोटरी इण्डस्ट्री में लांग फ्लेम हाई ग्रेड के कोयले की आवश्यकता होती है। कोल इण्डिया लि0 से उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त कोयला जैसे–वाशरी ग्रेड–4 की मांग की गयी है, किन्तु कोल इण्डिया लि0 द्वारा निगम को निष्पादित ईंधन आपूर्ति संविदा के सापेक्ष जी0सी0वी0 वैल्यू 4901–5200 का ही कोयला उपलब्ध कराया गया है, जबकि खुर्जा पोटरी इकाईयों को जी0सी0वी0 6100–7000 युक्त कोयले की आवश्यकता होती है। इसी कारण खुर्जा पोटरी इकाईयों को तकनीकी गुणवत्तायुक्त कोयले की आपूर्ति सम्भव नहीं हो पर रही है।

उच्च गुणवत्ता युक्त कोयले की मांग कोल इण्डिया लि0 से की गयी है। उच्च गुणवत्तायुक्त कोयले का आवंटन प्राप्त हाने पर ही खुर्जा पोटरी उद्योग इकाईयों को आपूर्ति सम्भव हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–बस्ती के क्षेत्र रूधौली में राजस्व विभाग द्वारा बस स्टेशन भवन निर्माण कराया जाना

163–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में राजस्व विभाग द्वारा बस स्टेशन भवन निर्माण के लिए आरक्षित भूमि पर

जनहित में बस स्टेशन का निर्माण करवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी नहीं।

भूमि के सम्बन्ध में निगरानी वाद आयुक्त, बस्ती मण्डल के न्यायालय में लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के रूधौली विकास खण्ड के अम्बेडकर ग्राम में जल–भराव की समस्या के निराकरण हेतु नाली का निर्माण कराया जाना

164–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के रूधौली विकास खण्ड के ग्राम पंचायत डडवा के राजस्व गांव धरेला अम्बेडकर ग्राम घोषित होने के बावजूद एक भी नाली का निर्माण नहीं किया गया, जिससे जलभराव की समस्या के कारण जल जनित रोगों की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत डडवा के राजस्व गांव धरेला में नाली निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी नहीं, राजस्व ग्राम धरेला को कभी अम्बेडकर ग्राम घोषित नहीं किया गया है, अपितु राजस्व ग्राम धरेला में विजयनाथ पाण्डेय के घर से गड्ढे तक मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 150 मीटर लम्बी नाली का निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में इरादत नगर रोड गांव देवरी पेट्रोल पम्प से गांव ककरारी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

165–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इरादत नगर रोड गांव देवरी पेट्रोल पम्प से गांव ककरारी तक क्षतिग्रस्त सड़क पर जगह–जगह गहरे गड्ढे हो गये हैं जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत व लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

धनराशि उपलब्ध होने पर प्रश्नगत निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में रखा जायेगा। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र में चकिया मार्ग बबुरी थाना से नगई गांव होते हुए नबाबपुर तक पिच रोड के पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्माण कराने की मांग

166–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकिया मार्ग बबुरी थाना से नगई गांव होते हुए नवाबपुर तक पिच रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे किसानों एवं जनहित को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का मरम्मत/डामरीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के मरम्मत/डामरीकरण का कार्य जिला पंचायत की किसी कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद–बुलन्दशहर के क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत आघर से ईदगाह तक जर्जर मार्ग होने के कारण मरम्मत किया जाना

167–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत आघर से ईदगाह तक जर्जर मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत जनहित में कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में रखकर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती के क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड सांऊघाट के अन्तर्गत बांसी रोड चुंगी से पालीटेक्निक चौराहा होते हुए गौरा चौराहे तक के मार्ग का निर्माण कराया जाना

168–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में 310, विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड–साऊंघाट के अन्तर्गत बांसी रोड चुंगी से पालीटेक्निक चौराहा होते हुए गौरा चौराहे तक मार्ग लगभग 3.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं सड़क में गड्ढे होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय वि0ख0–मोहम्मदी तक सड़क निर्माण

169–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत सहजनिया गुड्डू वर्मा, प्रधान के घर से उच्च प्राथमिक विद्यालय, वि0ख0 मोहम्मदी तक लम्बाई लगभग 500 मी0 सड़क नहीं बनी है जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहजनिया गुड्डू वर्मा, प्रधान के घर से उच्च प्राथमिक विद्यालय, वि0ख0 मोहम्मदी तक लगभग 500 मीटर सड़क का निर्माण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में शेरगढ़ होते हुए फतेहपुर बुर्जुग कच्चा गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण

170–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–तिलहर में शेरगढ़ होते हुए फतेहपुर बुजुर्ग कच्चा गड्ढायुक्त मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के डामरीकरण/मरम्मत का कार्य जिला पंचायत की किसी कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(सदन के वेल में पहले से मौजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मा0 सदस्यगण एवं राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यगण एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराने एवं बन्द चीनी मिलों को चालू कराने की मांग

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, कांग्रेस और लोकदल के मा0 सदस्यगण सदन की वेल में हैं, इनकी मांग है कि गन्ना किसानों का भुगतान किया जाय और गन्ना मिलों के जो मालिक हैं जिन्होंने अपनी मिले बन्द कर रखी हैं, उन मिलों को चालू करवाया जाय, यदि वह नहीं चलाते हैं तो उन मिल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय, इसलिए यह चाहते हैं मा0 मुख्य मंत्री जी यह आश्वस्त करें कि ये काम कब तक हो जायेगा, गन्ना किसानों का पेमेण्ट कब तक हो जायेगा, उन मिल मालिकों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी और जो आपकी कोआपरेटिव की मिलें हैं जिला प्रशासन उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कब तक करेगा जिससे कि गन्ना किसानों को राहत मिल सके और बन्द चीनी मिलों को कब चालू करवा दिया जायेगा।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीनी मिलें हैं, जितनी भी सरकारी, सहकारी और निजी चीनी मिलें हैं, उनका पूरा का पूरा गन्ने का भुगतान पड़ा हुआ है, किसानों की हालत बहुत खराब है। किसानों को अविलम्ब बकाया गन्ने मूल्य का भुगतान कराया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह सब बात तो कल हो गई, मा0 गन्ना मंत्री जी ने पूरी बात कह दी, सारी बातें हो गईं, उन्होंने यह भी कह दिया कि हम एक–एक बूंद पैसा गन्ने का मूल्य भुगतान करायेंगे, तो फिर अब क्यों आये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, इस तरह का आश्वासन पिछली बार भी सरकार ने दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी गन्ना किसानों का आज तक भुगतान नहीं हुआ।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अग्रह है, आप लोग अपने स्थान पर चलें।

श्री पूरन प्रकाश (वेल से)–

मान्यवर, मथुरा की छाता शुगर मिल और जितनी सहकारी चीनी मिलें हैं, इन सबका बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया जाय।

'श्री अजय कुमार लल्लू (वेल से)–

मान्यवर, पडरौना, भाटपार रानी, सेवरही और कुशीनगर की जितनी भी चीनी मिलें हैं इन सबके ऊपर जितना भी किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है, उसका भुगतान अविलम्ब कराया और यहां का बकाया डीफर का भी भुगतान कराया जाय।

'श्री पंकज कुमार मलिक (वेल से)–

मान्यवर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान परेशान है, शाहगंज शुगर मिल, औराई शुगर मिल सहित मुजफ्फरनगर की आठ शुगर मिल में से 3 शुगर मिल सहित पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही डीफर का भुगतान किया जा रहा है, सरकार इसका अविलम्ब भुगतान कराये।

'पं0 सुदेश शर्मा (वेल से)–

मान्यवर, मोदीनगर शुगर मिल का 170 करोड़ रूपया बकाया है और पूरे प्रदेश के किसानों का 777 करोड़ रूपये बकाया है, यह भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों को जो ब्याज मिलना चाहिए था, वह भी नहीं दिया जा रहा है, उसे दिलाया जाय और मा0 हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे मिल मालिकों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाय और उन्हें गिरफ्तार किया जाय। मा0 अध्यक्ष जी, कल साढ़े सात बजे आपने कहा था कि मा0 मुख्य मंत्री से मुलाकात करवायेंगे, वह भी नहीं करवाया, इसलिए हम लोग सदन के वेल में आये हैं।

श्री प्रदीप चौधरी (वेल से)–

मान्यवर, सहारनपुर में 08 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 03 पहले ही बन्द हो गई थीं और चौथी भी बन्द होने जा रही है, इन चीनी मिलों को बन्द होने से रोका जाय और जो पहले से बन्द हैं, उन्हें तत्काल चालू करवाया जाय ।

श्री ललितेशपति त्रिपाठी (वेल से)–

मान्यवर, औराई चीनी मिल 2004 से बन्द चल रही है, इसको तत्काल चालू करवाया जाय।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, प्रदेश सरकार, गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के प्रति बिल्कुल गम्भीर नहीं है और न ही सरकार ऐसे मिल मालिकों के खिलाफ कोई

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्रवाई करना चाहती है, सरकार के किसानों के प्रति इस असंवेदनशील रवैये के विरोध में हम सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप माथुर अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर गये।)

'नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना किसानों से सम्बन्धित इस गम्भीर मामले पर कल मा0 अध्यक्ष जी आपकी कृपा से चर्चा भी हो गई और बड़े विस्तार से सभी राजनीतिक पार्टियों की उस पर बातें भी आ गई थीं, लेकिन हमारे कुछ पार्टी विशेष के लोग समाजवादी पार्टी सरकार के बचाव के लिए विपक्ष का जो सबसे बड़ा इश्यू था, उसको खत्म करवा दिया और इनकी मंशा है कि सरकार को वाकओवर दिया जाय जिससे कि सरकार की कलई न खुलने पाये। मान्यवर, इसलिये ऐसे आचरण की बहुजन समाज पार्टी घोर निन्दा करती है। जिस विषय पर आपकी कृपा से चर्चा हो चुकी है और आपने आश्वासन भी दिया, इस पर आपने आश्वासन दिया पीठ से कि मा0 मुख्य मंत्री जी से बात करूंगा, हल निकाला जायेगा तो बीच में बार–बार उसी बात को ला करके गाड़ी के आगे काठ लाना है। हम समझते हैं कि ये सरकार को बचाने का पाप कर रहे हैं। हम इसकी निन्दा करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, कांग्रेस के इस बिल्कुल अनौचित्यपूर्ण रवैये की वजह से प्रश्नकाल चला गया। हम भी इनके इस कृत्य की निन्दा करते हैं और आपसे मांग करते हैं कि हाउस चलाया जाये और हम जिस प्रकार से हाउस चलाने में सहयोग करते हैं, वैसे ही हाउस चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि कानून–व्यवस्था पर भी चर्चा हो और जो बचा हुआ विधायी कार्य है उस पर भी चर्चा हो।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ी अजीब सूरत–ए–हाल है। नेता प्रतिपक्ष का बहुत अच्छा भाषण है और सरकार की आंखें खोलने वाला है कि हमसे मिलकर हमें वॉक ओवर देने के लिये कांग्रेस ने किया। एक दिन बहुजन समाज पार्टी ने पूरे दिन सदन नहीं चलने दिया। एक दिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलने दिया। दो दिन सदन नहीं चला, दो दिन सदन बढ़ाया गया। अगर ये दो दिन सदन चलने दिया गया होता तो ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा दो दिन खर्च न होता और अब हमें ये उपदेश दिया जा रहा है, हमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो कुछ किया है हमें वॉक ओवर देने के लिये किया है। मैं इन सारी बातों को खारिज करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये सदन को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। पार्लियामेण्ट जैसे हालात विधान सभा में न बनें तो अच्छा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने गलत सूचना दी है। एक दिन संयुक्त विपक्ष के साथ बहुजन समाज पार्टी ने सदन में व्यवधान डाला है। अन्यथा प्रत्येक दिन

बहुजन समाज पार्टी सदन के सुचारु रूप से संचालन में पूरा सहयोग आपके निर्देशन के मुताबिक दे रही है इसलिये आप इस गलत सूचना में थोड़ा सुधार कर लें। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सुधार किये लेता हूं। पहले दिन सबने नहीं चलने दिया। सुधार किये लेता हूं लेकिन क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं लिहाजा आपकी भूमिका तो सबसे अच्छी है, सबसे अहम है। आप तो पीछे रह ही नहीं सकते। आप उन्हें उठता देखते हैं कि वॉक आउट कर जाते हैं, ये बेचारे कई बार मुंह देखते रह जाते हैं। आप तो इस बार बराबर पटकी दे रहे हैं इन्हें। इनके तो सारे कार्यक्रम, इनकी तख्तियां सब रखी रह जाती हैं डेस्क के नीचे, आप बाहर होते हैं। मान्यवर, मुकाबला है कि जनता की गाढ़ी कमाई की बरबादी ये ज्यादा करेंगे या वे ज्यादा करेंगे। ये पहल करेंगे या वे पहल करेंगे। कभी ये कर देते हैं, कभी वे कर देते हैं।

ख्12.28 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21–08–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से कुल 17 सूचनायें स्वीकार की गईंः–

पहली सूचना श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद हाथरस में अलीगढ़–आगरा रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की वाराणसी नगर स्थित लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर–पटेल चौराहा होते हुये बसही रोड चौराहा तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)।

चौथी सूचना श्री गयादीन अनुरागी की प्रदेश के अर्द्धशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में मानक के विपरीत हो रहे कार्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा अन्तर्गत ग्राम मड़ारा विन्दवलिया के पंचायत भवन से श्याम नरायन टोला के नहर पुल तक लगभग 01 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)।

सातवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत लोडियारी एवं खीरी में नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री बृजेश वर्मा (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)।

नवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत लोहपूठ ग्वालरा सम्पर्क मार्ग को सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा अन्तर्गत ब्लाक बल्देव स्थित बल्देव बरौली मार्ग से रैपुरा मार्ग मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

ग्यारहवीं सूचना श्री लोकेश दीक्षित की जनपद बागपत अन्तर्गत ग्राम निवाड़ा एवं सिसना (बांगर) में किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

बारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे परिवारों के भवनों को ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मल्लावां अन्तर्गत ग्राम सौरा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

चौदहवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी अन्तर्गत भाटपार में नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

पन्द्रहवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के थाना गगहा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–75/15 के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

सोलहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)।

श्री उपेन्द्र तिवारी की जगह पर श्री राम मगन रावत, श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की जगह पर श्री मोहम्मद इरफान, श्री बृजेश वर्मा की जगह पर श्री नीरज कुशवाहा मौर्य, श्री भगवान सिंह कुशवाहा तथा डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जगह पर श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचनायें ली जाती हैं। शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद हाथरस में अलीगढ़–आगरा रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदा लाल चौधरी–

ख्महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद हाथरस में अलीगढ़–आगरा रोड पर तालाब चौराहे स्थित रेलवे फाटक, जो कि नगर का एक व्यस्ततम क्षेत्र है। वहां पर अधिकांशतः ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में कई सरकारी प्रतिष्ठान, स्कूल एवं बाजार भी है। जिससे प्रतिदिन हजारों व्यक्ति प्रभावित होते हैं।

नोट–रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अलीगढ़–आगरा रोड पर तालाब चौराहे स्थित रेलवे फाटक पर यथाशीघ्र एक फ्लाई–ओवर बनाये जाने की मांग करता हूं ताकि हजारों लोग इससे लाभान्वित हो सके,

वाराणसी नगर स्थित लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर–पटेल चौराहा होते हुये बसही रोड चौराहा तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

ख्महोदय, वाराणसी पर्यटन का बड़ा केन्द्र है। हजारों की संख्या की पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। वाराणसी नगर स्थित लक्ष्मणपुर–पटेल चौराहा होते हुये बसही रोड चौराहा मार्ग जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की गयी है, अत्यन्त ही जर्जर स्थिति में है। एक–एक फुट के गड्ढे हो गये हैं। बारिश में स्थिति और भी खराब हो जाती है। नागरिकों का इस मार्ग पर चलना भी दूभर हो जाता है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। कई बार स्थानीय अधिकारियों से इस सम्बन्ध में लिखने के बाद भी उक्त मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है जिससे स्थानीय जनता में अत्यन्त रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के अर्द्धशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में मानक के विपरीत हो रहे कार्यों से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी–

ख्महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि प्रदेश के अर्द्धशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में जो मानक शिक्षकों का शासन द्वारा तय किया गया है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे जूनियर हाई स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक तथा एक लिपिक रखे जाने का प्राविधान है। किन्तु प्रदेश के अनेक जनपदों में इसका पालन नहीं हो रहा है। जूनियर हाई स्कूल में कई वर्षों से शिक्षक नहीं भर्ती हुये हैं। जूनियर हाई स्कूलों में वर्तमान रिक्तियों एवं आवश्यक व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट भी शासन को भेजी गयी थी, फिर भी सरकार द्वारा इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाने से बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा अन्तर्गत ग्राम मड़ार विन्दवलिया के पंचायत भवन से श्याम नरायन टोला के नहर पुल तक लगभग 01 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद–कुशीनगर अन्तर्गत 329 विधान सभा खड्डा के ग्राम–मड़ार विन्दवलिया के पंचायत भवन से श्याम नरायन टोला नहर पुल तक लगभग 01 किमी0 कच्ची मार्ग होने के कारण दर्जनों गांव के ग्रामीणों के आवागमन में भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। उक्त सड़क का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं,

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत लेडियारी एवं खीरी में नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल–

ख्महोदय, कृपया सादर अवगत कराना है कि मेरे जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत लेडियारी एवं खीरी में बहुत बड़ा बाजार है। यह दोनों बाजार भारतगंज–प्रतापपुर मार्ग पर स्थित है। यह सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 के स्टेट सेक्टर की सड़क है। उक्त दोनों बाजार में सड़क के किनारे पक्की पानी के निर्माण न होने के कारण पूरे बाजार में जल भराव हो जाता है। सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। जल भराव के कारण लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं व्यापारियों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त बाजार में सड़क के किनारे दोनों तरफ पक्की नाली का निर्माण कराये जाने एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत लोहपूठ ग्वालरा सम्पर्क मार्ग को सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोहपूठ ग्वालरा सम्पर्क मार्ग पर ग्राम लोहपूठ के आबादी भाग में सम्पर्क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिये क्षेत्रीय जनता कई बार मांग कर चुकी है। इस सम्पर्क मार्ग से दर्जनों गांवों का आवागमन है। इस मार्ग पर हर समय पानी भरा रहता है। इस मार्ग से स्कूल जाने वाले बच्चों व मरीजों को निकलना असम्भव जैसा है।

अतः मैं उक्त सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा अन्तर्गत ब्लाक बल्देव स्थित बल्देव बरौली मार्ग से रैपुरा मार्ग मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोट–रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री पूरन प्रकाश–

ख्मान्यवर, जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक बल्देव में बल्देव बरौली मार्ग से रैपुरा मार्ग मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से नगला वेर से नगला राधे मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 है। जोकि मुख्य सड़क (एक तहसील से दूसरी तहसील) को जोड़ती है। नगला वेर से नगला राधे मार्ग के आसपास 50 गांव स्थित है तथा उक्त मार्ग कच्चा है। क्षेत्रीय जनता को आने–जाने में काफी कठिनाई होती है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये नगला वेर से नगला राधे मार्ग लम्बाई लगभग 2 किमी0 का नवनिर्माण कराने जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बागपत अन्तर्गत ग्राम निवाड़ा एवं सिसना (बांगर) में किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेश दीक्षित–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है। कि जनपद बागपत में ग्राम निवाड़ा व सिसाना (बांगर) तहसील बागपत के अन्तर्गत किसानों की जमीन को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। उक्त विभाग द्वारा किसानों को 41.46 रुपया प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा दिया था। जबकि उस संमय का सर्किल रेट रु0 550 था। उक्त ग्रामवासियों के भूमि को औद्योगिक प्रयोग के लिये अधिग्रहण किया गया था। इस प्रकार किसानों में तभी से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा दिये गये 41.46 रुपया प्रति वर्ग मीटर का मुआवजे की 15 फरवरी, 2012 को आपत्ति देकर विरोध किया गया था। कि हमें 1000 रुपया का मुआवजा दिया जाय जिस पर उक्त ग्रामों के मजदूर किसानों को किसी के द्वारा भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गयी। उक्त जमीन के मुआवजे के सम्बन्ध में किसान मजबूर होकर मा0 हाईकोर्ट में रिट दर्ज की गयी है। जिसमें मा0 हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24–8–2011 को जिलाधिकारी बागपत को आदेश दिया गया था। कि उक्त किसानों की समस्या को 21 दिन के अन्दर निस्तारण किया जाये। उक्त आदेश का भी अभी तक जिलाधिकारी बागपत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इसके उपरान्त उक्त ग्राम के किसानों द्वारा अनेकों बार जिलाधिकारी बागपत एवं मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 शासन को अवगत कराया गया परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न किये जाने से क्षेत्रीय किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण पर जांच कराकर प्रत्येक किसानों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोट–रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे परिवारों के भवनों को ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्महोदय कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे जनपद–शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की नगर पालिका में राष्ट्रीय मार्ग–24 के सैकड़ों भवनों को ध्वस्त किया गया सड़क मार्ग मुक्त कराया गया, सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ध्वस्त किये गये भवनों की भूमि अधिग्रहित की गयी। उसका मुआवजा सर्किल रेट से नहीं दिया जा रहा है। पुनः भवनों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया जबकि अधिग्रहित भूमि का सर्किल रेट 20 से 30 हजार रु0 वर्ग मी0 का है सर्किल रेट न देकर अपने मनमाने ढंग से मात्र 170 रु0 वर्ग मी0 का मुआवजा देने को कह रहे हैं। तथा टूटे हुए भवनों के ऊपर से 11 हजार के0वी0ए0 हाईटेन्शन लाइन के पोल मकानों से सटाकर लगाये जा रहे हैं, जो कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है जबकि नियमानुसार मकान से कम से कम 3 मी0 दूरी पर लगना चाहिए जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। जिस कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्ब विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मल्लावां अन्तर्गत ग्राम सौरा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद–फतेहपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र 239, बिन्दकी के विकास खण्ड–मल्वां के अन्तर्गत ग्राम सौरा मलेवा में पानी की टंकी कई वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी, उक्त टंकी से एक वर्ष पानी की सप्लाई हो सकी उसके बाद विगत कई वर्षों से पानी की सप्लाई पूर्णतया बंद है तथा विकास खण्ड–खजुहा के अन्तर्गत ग्राम सभा मडरांव में पानी की टंकी कई वर्ष पूर्व स्थापित की गयी थी, उक्त पानी की टंकी को अभी तक चालू ही नहीं किया गया है। उक्त पानी की टंकी के चालू नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। क्षेत्रीय जनता को पानी की उपलब्धता हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त पानी की टंकी से पानी की सप्लाई चालू किये जाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त बंद पड़ी पानी की टंकी से पानी की सप्लाई चालू नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट–रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से उपरोक्त बंद पड़ी पानी की टंकी में पानी की सप्लाई चालू कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी अन्तर्गत भाटपार में नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष उपाध्याय–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी जनपद देवरिया के अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद देवरिया के भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत भाटपार में नाली का निर्माण न होने के कारण भारी जल भराव की समस्या बनी रहती है। जल भराव के कारण क्षेत्रीय नगरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा जल भराव के ही कारण आम जनता एवं स्थानीय लोग तमाम तरह की गम्भीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। उक्त नाली निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है। नाली के निर्माण हेतु आगणन शासन में लम्बित हैं जबकि जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल नाली निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद गारेखपुर के थाना गगहा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–75/15 के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दिनांक 19–04–2015 को समय लगभग 8.30 बजे दिन में जिला गोरखपुर के थाना–गगहा के अन्तर्गत ग्राम बासूडीहा एवं ग्राम सिसायल के निवासीगण शैलेन्द्र सिंह, सोनू सिंह, पिन्टू सिंह, पवन उर्फ मोनू सिंह, शक्ति सिंह, विक्रम सिंह आदि सैकड़ों लोग हथियारों से लैस होकर ग्राम भाटपार (दलित बस्ती) को चारों तरफ से घेर कर हमला किया। उन लोगों ने फायरिंग भी की और दलित लोगों के घरों में लूटपाट भी तथा उनके आवासों में आग लगा दिया। पुलिस को सूचना देने स्थानीय पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उक्त सभी हमलावार भाग गये। उनके विरुद्ध थाना–गगहा में मु0अ0सं0–75/15, अ0धारा–147, 148, 149, 307, 323, 336, 352, 354, 395, 436, 452 भ0द0सं0 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 7 सी0एल0ए0 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज भी हुआ। उक्त अपराधियों ने पुलिस से सांठ–गांठ कर पीड़ित परिवार पर भी थाना–गगहा में फर्जी मु0अ0सं0–76/15, दर्ज करा दिया है, उक्त मुकदमें को लेकर पीड़ित परिवार पर जबरन दबाव डाला जा रहा है। जिनमें से कुछ ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और बाकी अपराधीगण खुलेआम घूम कर पीड़ित परिवारों को जानमाल की क्षति पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। जिससे पीड़ित परिवारों के साथ किसी भी समय

नोट–रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी हुई है। जिसके कारण पीड़ित परिवारों में अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक भय व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में वक्तव्य/कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ मण्डी समिति द्वारा निर्मित कतिपय मार्गों का नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन रावत–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र–हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मण्डी समिति के द्वारा लगभग 12 वर्ष पूर्व निर्मित निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग की सतह नवीनीकरण/मरम्मत न होने के कारण अत्याधिक क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हो गयी है जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में इन सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण एवं मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

1–बड़वल से गनहरी होते हुए देवीदास सम्पर्क मार्ग तक विकास खण्ड त्रिवेदीगंज।

2–बेहटा से रामपुर मोहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग विकास खण्ड–हैदरगढ़।

3–चौबीसी कमेला मार्ग से पिचूरी तक विकास खण्ड–हैदरगढ़।

4–चौबीसी कमेला मार्ग से वैसन तक विकास खण्ड–हैदरगढ़।

5–दतौली से खेरवा सम्पर्क मार्ग विकास खण्ड–हैदरगढ़।

6–बांदा बहराइच मार्ग से धनऊ का पुरवा सम्पर्क मार्ग वि0ख0–हैदरगढ़।

7–भेडिया से बाजपुरा सम्पर्क मार्ग विकास खण्ड–सिद्धौर।

8–दहिला पोखरा मार्ग से रामगंज हेतु बेनीगंज तक सम्पर्क मार्ग वि0ख0–त्रिवेदीगंज।

9–छोटी दतौली से सरांव रावत तक सम्पर्क मार्ग विकास खण्ड–हैदरगढ़।

10–शिवनाम से जरौली सम्पर्क मार्ग विकास खण्ड–त्रिवेदीगंज।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त मार्गों का नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।,

प्रदेश में समाज के सभी धर्मों व जाति के कम आय वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद इरफान–

नोट–रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पूर्व दशमोत्तर एवं उसके साथ पढ़ने वाले समस्त छात्रों को जो छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है उसका आधार छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय है। परन्तु धर्म के आधार पर पिछड़ी जाति, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक को अलग–अलग दायरे में लाकर काफी छात्र गरीब होने के बावजूद फीस की प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, इस विषमता को दूर करने के लिए सभी गरीब छात्रों को चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, फीस प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

अतः इस अवलिम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुए इसे धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर विषमता को दूर करने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं, ताकि गरीब सभी बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति हो, और सभी को छात्रवृत्ति मिल सके।,

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के ब्लाक मिर्जापुर अन्तर्गत गांव भरतपुर से उत्तर पैलानी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के ब्लाक मिर्जापुर अन्तर्गत गांव भरतपुर से उत्तर पैलानी मार्ग (ढाई घाट होते हुये) भरतपुर गांव में अत्यन्त ही जीर्ण–शीर्ण है, जिस कारण उक्त स्थान पर जलभराव की समस्या बनी रहती है तथा आवागमन में भी अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।,

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र जगनेर में व्याप्त पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का निराकरण कराये जाने हेतु गुंगाबद बंधा एवं रिछोहा बंधा को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में जलस्तर काफी नीचे गिर जाने से पीने के पानी व सिंचाई की गम्भीर समस्या है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बरसात का पानी बहकर चला जाता है। विकास खण्ड जगनेर में गुंगाबद बंधा एवं रिछोहा बंधा कच्चे बने हुये हैं। जो कि टूटे होने के कारण बरसात का पानी नहीं रुकता है। विकास खण्ड जगनेर की जनता एवं क्षेत्रीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति काफी रोष है।

नोट–रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं उक्त दोनों बन्धों का पक्का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ब्लाकों के जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 135, शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा का एक मार्ग पूरी तरह से कच्चा है। ग्राम रामापुर बरकतपुर से ग्राम पैंहतापुर तक लगभग पौने दो किलोमीटर का मार्ग कच्चा होने के कारण इस पर पानी भर जाता है। जिसके कारण इस पर चलने वाले वाहन रपट जाते हैं और कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। काफी समय से इसको बनवाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन सभी प्रयास निष्फल रहे हैं।

मेरे ही विधान सभा क्षेत्र ब्लाक ददरौल के अन्तर्गत सहवाज नगर रोड से ग्राम घूरखेड़ा जाने तक का मार्ग जनहित में लेपन स्तर तक बनना है इसकी मांग भी काफी दिनों से की जा रही है।

जनहित में उपरोक्त दोनों मार्गों को कोलतार युक्त डामर से बनना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त दोनों मार्गों का निर्माण लोक निर्माण से कोलतार युक्त डामर से बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 अगस्त, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 06 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से एक भी सूचना पर सुना नहीं जायेगा।

ख12.31 बजे, उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–16 का अनुपूरक) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–153 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 18 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 18 अगस्त, 2015 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त हो गया।

ख12.32 बजे, जनपद मथुरा के अन्तर्गत तहसील मथुरा में पिछले चार वर्षों में धारा–161 एवं धारा–143 के माध्यम से उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गित अनुमति दिये जाने की जांच कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–4।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मथुरा के अन्तर्गत तहसील मथुरा में पिछले चार वर्षों मे धारा–161 एवं धारा–143 के माध्यम से उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गित अनुमति दिये जाने की जांच कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह व श्री प्रेम सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत रूदौली रेलवे लाइन के समपार संख्या–143 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाये जाने विषयक श्री अजीत प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत रूदौली रेलवे लाइन के समपार संख्या–143 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाये जाने विषयक श्री अजीत प्रताप सिंह व श्री सत्य प्रकाश निवासीगण फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद वाराणसी में राजधानी मोड़ से धौरहरा, विकास खण्ड चोलापुर से हरिहरपुर मार्ग पर स्थित श्री रूदेश्वरनाथ महादेव एवं मां पार्वती जी के प्राचीनतम मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने विषयक श्री शिव नारायण यादव आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री त्रिभुवन राम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी में राजधानी मोड़ से धौरहरा, विकास खण्ड चोलापुर से हरिहरपुर मार्ग पर स्थित श्री रूदेश्वरनराथ महादेव एवं मां पार्वती जी के प्राचीनतम् मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने विषयक श्री शिव नारायण यादव व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

ख12.34 बजे, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है अब 8 कार्य–मंत्रणा।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 अगस्त, 2015 से 27 अगस्त, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :––

1–दिनांक 21 अगस्त, 2015 को असरकारी विधेयक उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन)(संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापन की मदें न ली जायें।

2–तद्नुसार दिनांक 21 अगस्त, 2015 से दिनांक 27 अगस्त, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाये :–

21 अगस्त, 2015 दिन शुक्रवार को असरकारी दिवस (आधा दिन–आधा दिन, दिनांक 14 अगस्त, 2015 के स्थान पर)

22 अगस्त, 2015 शनिवार,

23 अगस्त, 2015 रविवार,

24 अगस्त, 2015 सोमवार,

25 अगस्त, 2015 मंगलवार बैठक नहीं होगी

26 अगस्त, 2015 बुधवार

1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(1) एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधयेक, 2015

(2) उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2015

(3) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015

27 गुरुवार–विधायी कार्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख12.35 बजे, भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015[४]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–10।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर मै आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

४ दिनांक 7–9–2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

ख12.37 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21–08–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 की सत्र 2014–15 की परीक्षा के परिणामों की स्क्रूटनी न कराये जाने एवं अपूर्ण परिणाम घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसके बाद ध्यानाकर्षण हेतु दूसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर में नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद का सीमा विस्तार न होने के कारण वहां के निवासियों की मूलभूत सुविधायें मुहैया न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री सुरेश राणा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नदियों में फैक्ट्री के दूषित जल से हो रही मृत्युओं के उपरान्त कारखानों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, चौथी सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्रीमती पूजा पाल, मो0 जासमीर अंसारी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत घाघरा नदी में गिरिजा बैराज से पानी छोड़े जाने से आई बाढ़ एवं कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की प्रदेश में विमुक्त जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, छठी सूचना श्री वीरपाल राठी, श्री भगवती प्रसाद की प्रदेश में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीट वृद्धि व सांध्यकालीन कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयीं।

1–श्री प्रदीप माथुर, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री गयादीन अनुरागी, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री ललितेश त्रिपाठी

2–श्री राजीव गुम्बर

3–श्री मुकेश श्रीवास्तव

4–श्री मनीष असीजा

5–श्री अगयश राम सरन वर्मा

6–डा0 धर्मपाल सिंह

7–श्री उपेन्द्र तिवारी

8–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

9–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

10–श्री दलजीत सिंह

11–श्री बब्बन सिंह चौहान

12–श्री बृजेश कुमार, श्रीमती पूजा पाल, श्री राजबली जैसल, श्री दीपक पटेल

13–श्री अली युसुफ अली,

14–श्री संजय प्रताप जायसवाल

15–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल

16–श्री राजेश त्रिपाठी

17–श्री रोशन लाल वर्मा

18–श्री बाला अवस्थी प्रसाद

19–श्री जासमीर अंसारी

20–श्री राम चन्द्र यादव

21–डा0 अरूण कुमार

22–श्री रमेश चन्द्र बिन्द

(डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी का नाम नियम–56 की सूचना पर बोलने हेतु पुकारे जाने पर)

वह बोलने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया–

मान्यवर, घाघरा नदी पर कटान हो रही है बड़ी भयावह स्थित है कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

हमने पढ़ दिया उसका विषय भी आ गया ध्यान आकर्षित हो गया अब आप बैठिये।

देखिये चर्चा भी होनी है तो यह छोटे छोटे प्रस्ताव रखवा देते हैं उसके बाद शुरू कराते हैं।

ख12.38 बजे, जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला ट्रामा सेन्टर यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

'श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद देवरिया पूर्वान्चल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और स्वास्थ्य सुविधायें उत्तर प्रदेश में पूर्वान्चल में जितनी खराब हैं उत्तर प्रदेश कि किसी जनपद में उतनी स्वास्थ्य सुविधायें खराब नहीं हैं। जो जनगणना का घनत्व का मानक है वह पूरे उत्तर प्रदेश का यदि 700 आबादी पर एक कि0मी0 में है तो हमारे पूर्वान्चल में देवरिया में, पडरौना में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में 1100 आबादी है। जितना स्वास्थ्य सुविधायें होनी चाहिए जिस प्रतिशत में उस प्रतिशत के अनुपात में पूर्वान्चल में

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वास्थ्य सुविधायें 2 प्रतिशत भी नहीं है। जितने स्पेशल डाक्टर्स और एक्सपर्टस और जो बीमारियों की जांच पड़ताल के लैब और उससे संबंधित उपकरण और उससे संबंधित तमाम शोध संस्थायें, लैबोरेटरीज होनी चाहिए वह नहीं है और सबसे ज्यादा बीमारी पूर्वान्चल में पिछले कई दशकों से देखने को मिलती हैं जिसमें जलजनित बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा होता है और हमने इस प्रकरण में जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है दुर्घटना से संबंधित ट्रामा सेन्टर का है। कोई भी इलाके में अब यातायात इतना ज्यादा हो गया है कि दुर्घटनाओं का प्रतिशत बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है और वह दुर्घटनायें, अगर तत्काल कुछ राहत मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाया करे तो दुर्घटना में बहुत सी जानों को बचाया जा सकता है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि लखनऊ तक देवरिया के बाद लखनऊ और बनारस के बीच में कही भी ट्रामा सेन्टर या इस तरह की व्यवस्थायें नहीं हैं और यहां भी इतना ज्यादा होने के बावजूद बहुत से लोग दम इस बात के लिए तोड़ देते हैं कि उनको बेड नहीं मिलता है। पूरे पूर्वान्चल में आधी आबादी के लिए ट्रामा सेन्टर आज एक बहुत आवश्यक जरूरत बन गयी है लोगों की जानमाल की हिफाजत के लिए। हमने अपने जनपद में जहॉ की आबादी इतना ज्यादा है, सड़के यातायात के माध्यम से इतने घनत्व में हो गयी हैं कि हर सड़क पर वाहन बहुत बढ़ गये हैं। वाहन ऐसे आ गये हैं कि जिनकी स्पीड बहुत है। नौजवान लोगों का जो रेशियो है एक्सीडेंटल में उसमें नौजवानों की प्रसेन्टेज सबसे ज्यादा है तो हमारा ट्रामा सेन्टर एक देवरिया जिले में स्थापित होना चाहिए और सरकार से हमें जानकारी मिली है कि सरकार मिनी ट्रामा सेन्टर देने की योजना बना रही है लेकिन मिनी ट्रामा सेन्टर में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वह नहीं होती है। ट्रामा सेन्टर वाली उसमें जो वेन्टीलेटर्स हैं, डाक्टर्स है या उस तरह के एक्सपर्टस हैं वह नहीं होते हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है कि मिनी ट्रामा सेन्टर जो दे रहे हैं उसको अपग्रेड करके देवरिया में ट्रामा सेन्टर बनाया जाय जिससे जो हमारे देवरिया की सड़क बिहार जाती है आसाम तक जाती है बलिया तक जाती है तो उसमें ट्रैफिक दूर का आता है और 10–12 जिलों में कोई ट्रामा सेन्टर नहीं है हमारा मकसद सिर्फ यह था कि दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को मिनिमाइज किया जाये और सरकार की भी यह नीति है और केन्द्र सरकार ने भी तमाम तरह से योजनायें बनाई हैं, प्रदेश सरकार की भी यह नीति है कि दुर्घटना में जो मौंते होती हैं, उन्हें कम किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत समय से चल रहा है और बहुत लम्बा खिंच गया है, अब इसको आज खत्म कर दीजिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह खत्म तो तभी होगा जब सरकार आश्वासन दे देगी कि मिनी ट्रामा सेण्टर को भविष्य में या बाद में ट्रामा सेण्टर में कन्वर्ट कर देंगे। मान्यवर, यह जनता से जुड़ी समस्या है। हमारी सरकार और समाज की सबसे पहले प्राथमिकता यह होती है कि जो दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में त्वरित चिकित्सा की आवश्यकता होती है। बीमारियों में तो ठीक है, रिसर्च होता है, शोध होता है, जांच होती है, पड़ताल होती

है, आपरेशन होता है, उसमें मरीज तत्काल दवा के बगैर नहीं मरता है, लेकिन इसमें यदि तत्काल थोड़ी सी दवा या चिकित्सा की या उस तरह की व्यवस्था हो तो बचाया जा सकता है। इस डेथ रेट को कम करने के लिए ट्रामा सेण्टर ही एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां से इसे कम किया जा सकता है। मेरे पास सारे आंकड़े भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं सदन के समक्ष रख सकता हूं कि इस तरह की जितनी सुविधायें होनी चाहिये या मेडिकल सुविधायें होनी चाहिये, उस तरह की सुविधायें पूर्वान्चल में मात्र दो–ढ़ाई परसेण्ट ही हैं और इस पर बाकायदे रिसर्च भी आ चुकी है। तो हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि इसके बाद और भी मेरी चीजें निर्धारित हैं, लेकिन ट्रामा सेण्टर सबसे आवश्यक है। मान्यवर, सदन में माननीय मंत्रीगण बैठे हुये हैं और मेरा अनुरोध है कि ट्रामा सेण्टर को स्थापित कराये जाने हेतु आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब आप चर्चा समाप्त करिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम चर्चा समाप्त कर देंगे, लेकिन हमें कुछ आश्वासन मिले, कुछ हमारी समस्या का समाधान हो जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप इस पर कुछ बोलेंगे?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, संसाधनों में जितनी गुंजाइश होगी उसके आधार पर इसे देखेंगे। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं है और जिस तरह के हादसाह होते हैं, उसमें ट्रामा सेण्टर की वाकई बहुत सी जगहों पर बहुत जरूरत होती है और यहां भी है। देखते हैं जैसे संसाधन होते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब क्या आप वापस ले रहे हैं इसे ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि वहॉ पर मिनी ट्रामा सेण्टर दिया जा रहा है, तो जो आपने कहा वह सक्षम है आश्वासन बनने में और आगे काम होने में। हम बस यह चाहते हैं कि अपने विभाग को थोड़ा सा एक्टिव कर दें कि इसे देख लें। हम उस पर राजी हैं इन्होंने जो कहा है उसमें थोड़ा सा यह और इजाफा कर दें।

श्री अध्यक्ष–

श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं अथवा हम मतदान कराये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो हम भी सम्मान कर रहे हैं। मैं इसे वापस ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपने वापस ले लिया है, इसलिये इस पर अब मतदान कराने की आवश्यकता नहीं है।

ख्12.45 बजे, जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष–

यह संकल्प भी श्री अखिलेश प्रताप सिंह का है, जो जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने से संबंधित है। इसमें आपका क्या कहना है ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत दिनों से चला आ रहा है। जब यह सदन शुरू हुआ था तब मैंने एक प्रस्ताव रखा था जिस पर बहस भी हुई थी और माननीय शिवपाल यादव जी ने जवाब भी दिया था कि दो टेक्नीकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में थी और तीसरी बाद में गोरखपुर में बनाई गई और जो इंजीनियरिंग कालेज का परसेण्टेज है, जो रेसियो है वो पूर्वान्चल में सबसे कम है। जितने इंजीनियरिंग कालेज मध्य यू0पी0 या वेस्टर्न यू0पी0 में हैं, उसका दो–तीन परसेण्ट भी पूर्वान्चल में नहीं है, तो उसको प्रमोट करने के लिए गोरखपुर इंजीनियरिंग कालेज को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसी समय मैंने यह बात कही थी कि पूर्वान्चल के हर जनपद में या दो जनपदों के बीच में एक इंजीनियरिंग कालेज भी होना चाहिये, जैसे डिग्री कालेज या अन्य चीजें आप खोलते हैं, ब्लाक लेवेल पर, तहसील लेवेल पर, तो आज आवश्यकता है सरकार को खुद प्राइवेट नहीं सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों का विस्तार करने की, जैसे सरकारी डिग्री कालेजों का विस्तार कर रहे हैं। उस समय इसी लक्ष्य से बाद में गोरखपुर इंजीनियरिंग कालेज को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था। मान्यवर, हमारा अनुरोध सिर्फ इतना है कि सरकार हर जनपद में एक–एक इंजीनियरिंग कालेज अवश्य खोले। शासकीय इंजीनियरिंग कालेज खोले जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को तकनीक की शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य बन सके, नौजवान मुख्य मंत्री हैं और नौजवानों की परसेंन्टेज सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में है। नौजवान भटकता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में, बहुत से प्राइवेट डिग्री कालेज ऐसे हैं जो नौजवानों को शिक्षा के नाम पर उनका दोहन करते हैं और उनको उस स्तर की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उनकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो गर्वनमेंट डिग्री कालेज होते हैं, उनका एक मानक होता है, ऐसे कालेजों से पढ़कर निकलने के बाद छात्र की एक पूछ होती है और उस छात्र को भी लगता है कि हम किसी डिग्री कालेज से पढ़े हैं और हमारी इस डिग्री की वकत है और इससे उसको जॉब मिल जाता है। जितने भी गर्वन्मेंट डिग्री कालेज से पढ़कर छात्र निकलते हैं, उन छात्रों का जॉब एकमोडेशन में वहां का परसेंटेज ज्यादा

दिखेगा। वहां के छात्र मैक्सिमम एकामेडेट हो जाते हैं और जॉब पा जाते हैं। जो प्राइवेट कालेज होते हैं, उनमें उतनी शिक्षा नहीं होती है, उनका मानदंड सिर्फ इंजीनियरिंग कालेज खोलकर कुछ और होता है। इसलिये हम चाहते हैं कि पूर्वाचंल के हमारे जनपद के हमारी विधान सभा में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोला जाय और सरकार से यह दो तीन बार से बहस होती आ रही है, इसलिये भी हम चाहेंगे कि सरकार आज ऐलान करे कि जनहित में नौजवानों के लिये रूद्रपुर में एक राजकीय इंजीनयरिंग कालेज यथाशीघ्र स्थापित किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको वापस लेंगे ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

अरे सरकार इस पर कुछ तो बतायेगी। सरकार का इस पर कुछ वक्तव्य तो आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आप मंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी तो हैं नहीं, संसदीय कार्य मंत्री जी हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इधर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। बहुत से कालेजेज, डिग्री कालेजेज खोले गये हैं, इंटर कालेज भी खुले हैं पिछड़े इलाकों में, अल्पसंख्यक इलाकों में खासतौर से खुले हैं और यह इसलिये, कि इस वर्ग में शिक्षा काफी कम है तो उसको खास ध्यान दिया गया है। जहॉ तक प्राइवेट के बारे में आपने कहा है तो सभी प्राइवेट ऐसे नहीं हैं जैसी की आपकी मान्यता है। बहुत से प्राइवेट कालेजेज अच्छे भी हैं। जैसे हाईकोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, उस पर तो बड़ी बहस चल गयी है। लेकिन सी0बी0एस0ई0 के मामले में भी जो हमारी जानकारी है, उसमें ऐसा नहीं है कि शतप्रतिशत सी0बी0एस0ई0 के चलाने वाले सभी लुटेरे हैं। जो मिशनरीज स्कूल हैं, विशेष संस्थायें हैं, उनकी फीसें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो खालिस हिन्दुस्तानी लोग चलाते हैं, हम लोग, आप लोग चलाते हैं, उनमें बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां आज भी बहुत अच्छा एजूकेशन स्टेन्डर्ड होने के साथ–साथ फीसें बहुत कम हैं। बहुत फीसें कम हैं, सी0बी0एस0ई0 के बहुत से स्कूल ऐसे हैं। तो हर जगह एक ही बात सही नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह

आप थोड़ा विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं उसके साथ जोड़कर कह रहा हूं। शिक्षा के मामले में जो आपने डिग्री कालेजेज की बात की है उसमें सभी डिग्री कालेजेज खराब नहीं हैं और सभी महंगे नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जो लोग सेवाभाव से चलाते हैं और जो मिशन के तौर पर चलाते हैं, उनके कालेजेज आज भी बहुत अच्छे हैं, उनका एजूकेशन स्टेन्डर्ड बहुत अच्छा है। फीसें कम हैं, उतनी तो कम नहीं हो सकतीं, जितनी सरकारी स्कूल कालेजेज की हैं। बरहाल

आपका सवाल बहुत हद तक वाजिब है, शिक्षा मिलनी ही चाहिये। मिलना तो बहुत कुछ चाहिये, जीवन का अधिकार भी मिलना चाहिये उसी के बाद तो शिक्षा मिलेगी। तो मान्यवर, अच्छा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप वापस ले रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, अगर सरकार ने कहा है कि अच्छा प्रश्न है इसका मतलब सरकार मान रही है कि इसकी आवश्यकता है और यह सरकार की प्राथमिकता अपने आप बनती है कि इसे करेंगे। तो जब अब अच्छा मान लिया है तो अच्छे पर तो सरकार को अच्छा करना चाहिये। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आधा मान चुके हैं कि अच्छा है तो आधा और बचा है, हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा दरियादिली और अच्छे के लिये बता दें।

श्री अध्यक्ष–

आप वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी कुछ बताने वाले हैं। सरकार ने स्वंय स्वीकारा है कि मुद्दा अच्छा है। माननीय मंत्री जी ने इसे जेनविन बताया है तो जो चीज जेनविन है तो वह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको पूरा करवाये। जब मान रहे हैं कि जनभावना है तो सरकार तो जनभावनाओं के अनुरूप चलती है, सरकार जनभावना के विपरीत तो जा ही नहीं सकती है और आजम खां साहब तो जनभावनाओं के विपरीत जाते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब अभी आपका मद संख्या–19 पर भी है। आप इन दोनों को वापस लो ।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

थोड़ा सा इसमें सरकार और आगे बढ़ जाए, हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

हम कैसे कह दें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन यह पीठ किसी मंत्री या सरकार को नहीं कह सकती है कि इसमें आश्वासन दीजिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मैं आश्वासन के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप कह सकते हैं, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि मा0 मंत्री जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं क्योंकि उन्होंने इस चीज को स्वीकारा है कि अच्छा है, बहुत जरूरी है, बहुत नौजवानों की आवश्यकता है, तो कुछ आगे सरकार की मंशा और बता दें।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, बता रहे हैं, वह खड़े हो रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं, वह नहीं खड़े हो रहे हैं, आप बैठिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

नहीं, नहीं, मान्यवर, खड़े हो रहे हैं, जरूर खड़े होंगे, आप देखियेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप टाइम ना वेस्ट कीजिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, वह सोच रहे हैं कि क्या कहना है, अभी वह कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप वापस ले रहे हैं दोनों संकल्पों को।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

भाई देखिये, कुछ वह बोलें तब ना हम वापस लें। हम तो तैयार हैं लेकिन कुछ आश्वासन दें। ठीक है, नहीं चार महीने तो छः महीने साल भर में करें अन्यथा फिर वोटिंग होगी और हम क्या करें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। पहला तो मद सं0–13 जो आपका है आप उसे वापस ले लिये हैं इसलिए मैं सदन की अनुज्ञा के लिए प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेन्टर यथाशीघ्र खुलवाया जाय'' विषयक संकल्प को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

मद सं0–14 भी मा0 सदस्य श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी का है चूंकि उन्होंने इस संकल्प को वापस नहीं लिया है इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यथाशीघ्र खुलवाया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक मिनट। यदि हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो हमारा अनुरोध है कि यदि विकास के विरुद्ध सरकार को जाना है तो मतदान से करायें।

श्री अध्यक्ष–

मतदान हो गया, ध्वनि मतदान हो गया, यह बात आपको उस समय कहनी चाहिए थी जिस समय आपने प्रस्तुत किया था। अब आपको जो भी कहना है मद सं0–19 में कहियेगा, यह मद भी आपकी है।

ख्12.55 बजे, नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवायें एवं छात्र–छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान कराये जाने हेतु जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की निष्प्रयोज्य भूमि पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प

'श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एवं छात्र–छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान कराये जाने हेतु जनपद–फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की निष्प्रयोज्य भूमि पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए।

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद् देता हूं कि फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना विषयक संकल्प पर आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारा फिरोजाबाद शहर पूरे भारत में एक औद्योगिक शहर के नाम से प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोग मिल जुल कर कांच की चूड़ी के कारोबार में साथ–साथ लगते हैं। पिछले 50–100 सालों से शहर की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वह एक कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो गई हैं। कारण यह है कि पूरे नगर में काम करने की व्यापार करने की पद्धति इतनी अधिक हो गई कि कहीं न कहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में वह प्रगति नहीं कर पाये जो कि अपेक्षित है। 25 लाख से ऊपर की आबादी का हमारा जिला है। जहां निजी क्षेत्र में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है और ना ही सरकारी क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज है तो मेरा विचार है कि यदि हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाए तो पूरे शहर में एक दूसरे प्रकार की संस्कृति विकसित हो जायेगी। जहां बड़ी संख्या में नगर के निवासियों को, नगर के नागरिकों को अच्छी चिकित्सा की सुविधा मिलेगी वहीं लाखों की संख्या में जो हमारे जिले के बच्चे–बच्चियां हैं उनको चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा लेने का भी एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। इस नाते ही मैं यह संकल्प लाया हूं कि हमारा जिला अस्पताल बहुत पुराना है, दो सौ बेड से ऊपर की क्षमता का है और वहां एक बहुत बड़ी भूमि भी ऐसी है जिसका सदुपयोग हम मेडिकल कॉलेज के लिए कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को अवगत कराते हुए यह हर्ष का अनुभव हो रहा है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अपने–अपने पक्ष के शत–प्रतिशत योगदान के चलते 'इस्टैब्लिशमेण्ट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैचमेंट एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पीटल' इस योजना में हमारे फिरोजाबाद के जिला अस्पताल का चयन हो गया और इस चयन को हुए लगभग डेढ़ वर्ष हो गये। अब समस्या यह आ रही है कि योजना अभी तक कागजों में ही रुकी पड़ी हुई है। केन्द्र सरकार में मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से सम्पर्क किया, वहां के अधिकारियों से सम्पर्क किया तो अवगत कराया गया कि जब तक इस परियोजना की डी0पी0आर0 केन्द्र सरकार को नहीं पहुंचेगी तब तक इसमें धन का आवंटन नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 189 करोड़ रूपये की इस योजना में 75 प्रतिशत केन्द्रांश रू0 141.75 करोड़ का है, जो हमें केन्द्र सरकार से मिलने वाला है। राज्यांश 25 प्रतिशत 47.25 करोड़, वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना है। मेरे द्वारा लगातार विभागों से सम्पर्क के माध्यम से फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के लिए जो वांछित 20 एकड़ की भूमि है, उसका प्रस्ताव भी प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है। वह राजस्व विभाग की भूमि है और उस प्रस्ताव के साथ यह प्रतिबंध लगा है कि इसकी जो लगभग 6 करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि है वह राज्य सरकार के द्वारा दी जाए तब वह राजस्व विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को भूमि स्थानान्तरित हो। माननीय अध्यक्ष जी, अत्यन्त लोक कल्याणकारी, लोक महत्व का काम है, इसका दूरगामी प्रभाव न केवल हमारे जनपद पर पड़ेगा, हमारे बच्चे–बच्चियों की शिक्षा पर पड़ेगा अपितु सरकार की जो चिकित्सा सुविधायें देने की योजनायें हैं उसमें जो चिकित्सकों की कमी है इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना से उसकी पूर्ति होगी। मैं आपके माध्यम से विभाग से यह अपेक्षा करता हूं कि यदि इसकी डी0पी0आर0 शीघ्रातिशीघ्र बना ली जाए और उसको केन्द्र सरकार को भेज दी जाए तो लगभग 150 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से हमें अनुदान के रूप में मिल सकेगा और फिरोजाबाद नगर के लिए एक ऐसी सौगात राज्य सरकार के खाते में भी जायेगी जो आने वाले लम्बे समय में हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से, विभाग के मंत्रियों से यह अपेक्षा करता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना को वरीयता पर लेते हुए और जो डेढ़ साल से यह अभी कागजों में अटकी हुई है उसको यथाशीघ्र पूरी कराने की कृपा करायें, यह मेरी अपेक्षा है।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की निष्प्रयोज्य भूमि पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से संबंधित असरकारी संकल्प के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाने सम्बन्धी केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद सहित 05 जनपदों–फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्र की धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु आगणन गठित कर भारत सरकार को दिनांक 10–02–2015 को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा

डी0पी0आर0 गठित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु दिनांक 17–08–2015 को उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था को डी0पी0आर0 गठित कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। डी0पी0आर0 प्रेषण के उपरांत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही की जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार उक्त असरकारी संकल्प का विरोध करती है।

श्री अध्यक्ष–

असीजा जी, आप इसे वापस ले रहे हैं ? जब वहां हो गया, घोषणा कर दिया कि वहां बन रहा है, डी0पी0आर0 भी बन रही है तो आप इसको वापस ले लीजिये।

श्री मनीष असीजा–

मैं बस एक अनुरोध करना चाहता हूं। इसमें अभी एक समस्या माननीय मंत्री जी यह सामने है कि जो राजस्व विभाग की जो भूमि है, 20 एकड़ का जो प्रस्ताव आया है, वह हमारे विभाग के माध्यम से भूमि को निःशुल्क ले कर क्योंकि इससे बजट बढ़ेगा जो मैं लगातार पिछले डेढ़ वर्षों से संबंधित अधिकारियों से इस विषय में बात करता हूं तो हर बार यह बात आती है कि जितनी देर हो रही है इस योजना में उतना ही इसका बजट बढ़ने वाला है। तो उस पर 6 करोड़ रुपये का जो अलग से भी बजट बढ़ता है। चूंकि राज्य सरकार से ही राज्य सरकार के स्थान पर ही यह मेडिकल कालेज की स्थापना होनी है। राजस्व विभाग से अगर निःशुल्क भूमि स्थानान्तरित हो जाय तो मैं समझता हूं कि इस योजना की गति को और अधिक तीव्रता मिलेगी और जो यह पैसा बचेगा वह भी मेडिकल कालेज की अवस्थापना के काम आयेगा। तो क्या इस काम के लिये भी आश्वासन दिला देंगे।

श्री अध्यक्ष–

देखिये जब वहां पर बन रहा है तो आप इसको वापस ले लीजिये। मतदान कराने की क्या जरूरत है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मैं यह कह रहा था माननीय सदस्य से कि यह इतना अहम नहीं है, क्योंकि सरकार से सरकार को पैसा आना है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। असल तो यह है कि इसमें थोड़ी गति हो जाय। मैं जानकारी चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से कि यह निजी क्षेत्र में भी क्या सम्भव है अगर आप लोग सिफारिश करें तो जो लोग निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज बनाना चाहते हैं पहले क्योंकि यह तरीका था कि जहां 250 बेड का हॉस्पिटल होगा वहां मेडिकल कालेज से अटैच कर दिया जायेगा और एक समय सीमा रख दी जाती थी 3 साल की 5 साल की कि इस बीच में वह अपना हॉस्पिटल बना लें। पिछले सालों से यह सुविधा खत्म हो गई तो अगर आप साहिबान ऐसी कोशिश करें तो मैं समझता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी संस्थाएं भी हैं तो यह प्राइवेट मेडिकल कालेज बनने का रास्ता खुल सकता है। इसमें बड़ी मदद मिल जायेगी क्योंकि जो मैचिंग ग्रान्ट आप 200 करोड़ की। क्यों मना कर रहे हैं महाना जी। क्यों मना कर रहे हैं ? देखिये यह किसी राजनैतिक दल की बात नहीं है। मैं तो सारी बात कर

रहा हूं और जब मेडिकल कालेज खुलेंगे तो ज्यादातर आप ही के लोग खोलेंगे, हमारे जैसे फकीर लोग कहां से खोलेंगे। तो इसमें भी कुछ कोशिश अगर हो तो।

श्री अध्यक्ष–

आप बतायें यह वापिस ले रहे हैं अपना।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी..

श्री अध्यक्ष–

इसको बतायें वापस ले रहे हैं ? भाषण न दें।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद सहित इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं इस अपेक्षा के साथ कि इसमें अति शीघ्र गति मिलेगी और एक बात और कहता हूं कि आश्वासन के लिये तरसते इस इलाके में आज आश्वासन मांगा गया है। मैं बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज में भी यदि इस प्रकार की कोई योजनाएं बनती है या बनवाने की बात आती है तो मैं स्वंय अपने निजी प्रयासों से लगातार यह प्रयास करूंगा कि किस प्रकार कितने क्षेत्रों में मेडिकल कालेज स्थापित हो जायं सरकारी मदद से, अच्छी छवि के एन0जी0ओज या जो ऐसी संस्थाएं हैं जो लोक कल्याण में मेडिकल कालेज स्थापित करना चाहती हैं ना मेडिकल कोटे से सीटें बेचना चाहती हैं तो यह निश्चित रूप से अच्छा सुझाव है और मेरे को इसमें काम करने में हर्ष होगा।

श्री अध्यक्ष–

वापस ले रहे हैं ? मैं पूछ रहा हूं कि आप इसे वापस ले रहे हैं।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एवं छात्र–छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान कराये जाने हेतु जनपद–फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की निष्प्रयोज्य भूमि पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख्1.05 बजे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना की जाय।''

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण समस्या पर, महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। बहुत लम्बे अरसे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की शाखा की मांग चलती आ रही है। पूरा सदन वाकिफ है कई–कई बार हर तरह से विभिन्न दलों के नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की शाखा खोलने के लिये मांग की है और यहां तक है कि बड़े लम्बे समय से पूरे प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा तक लगभग 22 जिलों में आज भी हमारे वकील साहिबान 1 बजे से प्रतिदिन हड़ताल पर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन से मांग करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुलभ न्याय के लिए, क्योंकि एक–एक व्यक्ति को न्याय के लिए इलाहाबाद आने के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा के लोगों को चार–चार सौ, पांच–पांच सौ किलीमोटर जाना पड़ता है। जब एक बेंच हाईकोर्ट की लखनऊ में खोली जा सकती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने में क्या अड़चन और क्या अड़ंगा है। हमारी मांग है और यह सदन सर्वसम्मत से प्रस्ताव करे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इसमें कई बार, मा0 सदस्य वाकिफ हैं हर सत्र में यह सवाल उठता है और राज्य सरकार कई बार चिट्ठी लिख चुकी है केन्द्र सरकार को, बुनियादी तौर पर यह केन्द्र का मामला है, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे हैं जिसमें सरकार को ऊंची अदालतों से जब कोई निर्देश मिल जाता है तो सरकारों को मानना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसी कोशिश करें, बहुत से वकील भी आपके हैं कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप कोई ऐसी रिट कर दें तो हाई कोर्ट तय कर दे, जहां तय कर दे वहां हो जाएगी।

श्री दलवीर सिंह–

मैं सरकार का स्पष्ट मत चाहता हूं यह सरकार हां करे या ना करे, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार प्रस्ताव करेगी या नहीं करेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह प्रस्ताव तो कई बार जा चुका है। मैं तो आपको इतना अच्छा रास्ता बता रहा हूं आप देखें मान्यवर, सरकारों को बड़ा आसान हो गया है काम, हाई कोर्ट से आदेश हो जाता है और सरकार उसका पालन कर देती है। हम इधर से भी बचे, उधर से भी बचे, हमें रास्ता मिल जाता है। इलाहाबाद के वकील ही बहुत ज्यादा इसकी मुखालिफत करते हैं लिहाजा इलाहाबाद से ही इसमें कुछ रोशनी मिलेगी तो पूरे प्रदेश को फायदा होगा।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि सरकार प्रस्ताव कई बार कर चुकी है। लेकिन वर्तमान सरकार जो इस वक्त है उसकी तरफ से एक बार भी प्रस्ताव नहीं गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की शाखा खोलने का प्रस्ताव करती है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव को करने के लिए इच्छाशक्ति रखती है या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

सरकार ने तो बता दिया कि हाईकोर्ट में पिटीशन करिए वहां से जो निर्देश होगा पालन हो जाएगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

ठाकुर दलवीर सिंह जी ने जो सिफारिश की है संकल्प के माध्यम से, यद्यपि यह प्रकरण इस सदन में कई बार उठ चुका है और सही मायने में जो संवैधानिक प्रक्रिया है एक प्रदेश, एक उच्च न्यायालय। बेंच विशेष परिस्थितियों में सामाजिक रूप से ज्यादा भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर कभी–कभी यह निर्णय लिया जाता है। विशेष रूप से प्रदेश सरकारों का इसमें कोई विशेष हाथ नहीं रहता है लेकिन प्रदेश सरकार इसके लिए मददगार हो सकती है। पूर्व में इसी सदन से एक प्रस्ताव भेजा गया था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चार प्रदेशों में बांटने का, और स्वभाविक रूप से जब प्रदेश के चार भाग होंगे और चार प्रदेश बनेंगे तो हर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय अपने आप स्थापित हो जाएगा। मैं मानता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी इसके लिए आश्वासन नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि प्रस्ताव इस आशय का ला करके कि उत्तर प्रदेश के चार भाग पूर्वांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर यह चार भाग चार प्रदेश बनते हैं तो स्वभाविक रूप से पूर्वांचल प्रदेश में भी एक उच्च न्यायालय हो जाएगा, बुन्देलखंड में भी एक उच्च न्यायालय हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक उच्च न्यायालय हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में पहले से उच्च न्यायालय है। तो मान्यवर सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी यानी सरकार को अनायास बिना किसी मेहनत के इस समस्या को हल करने का एक रास्ता निकल आएगा। इसलिए जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ज्यादातर ठाकुर दलबीर सिंह पर कृपापूर्वक सहयोग करते रहते हैं तो मैं ठाकुर दलबीर सिंह को कृपापूर्वक सहयोग करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी से सुझाव रखता हूं कि उत्तर प्रदेश को चार प्रदेश में बांटने का जो पूर्व में प्रस्ताव गया है उसको यहां से पारित करा दें और फिर ठाकुर दलबीर सिंह अपने पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी जिनकी केन्द्र में सरकार है उनसे अनुरोध करके उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे वैसे यह रास्ता अगर तय हो जाए तो बेहतर होगा सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और दलबीर सिंह के संकल्प को भी बल मिलेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी इतनी समझदारी का सुझाव दिया है माशाअल्लाह सांप भी आपका और लाठी भी आपकी मैं तो कहता हूं कि सांप भी आप लाठी भी आप। मान्यवर, पहले गुलामी में राजे रजवाड़े हुआ करते थे हमारी बहुत छोटी सी रियासत थी रामपुर लेकिन इतनी पहुंच थी अंग्रेजी शासन में हमारे नवाब की कि रामपुर का अपना हाईकोर्ट था इतनी छोटी सी रियासत का तो मैं तो उम्मीद यह कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष चार हिस्सों में नहीं बांटेंगे अगर हर मण्डल में एक हाईकोर्ट हो जाती तो न्याय और अच्छा होता ऐसा कोई वह सुझाव दें कि हर मण्डल ही नहीं हर जिले में हो जाए तो और भी अच्छा यानी न्याय वह जो घर के दरवाजे पर खड़ा हो तो ऐसा बढ़िया सुझाव कि हाई कोर्ट बनाने के लिए प्रदेश के चार टुकड़े किए जाएं दूसरी सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए

देश के टुकड़े किए जाएं तो इस पर भी विचार कर लें एक सुप्रीम कोर्ट और हो जाए वहां भी बहुत से मुकदमें पेंडिंग हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी केवल इतना ही निवेदन है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश के टुकड़े हुए हैं उत्तराखण्ड प्रदेश इसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था हरियाणा पंजाब हुए हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हुए हैं झारखण्ड बिहार हुए हैं तो और प्रदेश क्यों नहीं इसलिए मान्यवर, पहले इसको करें उसके बाद और प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तय करना है तो इकट्ठा करिए। हर जिला एक राज्य।

श्री दलबीर सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव मेरा है बहस कहां हो रही है मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है मैं आपके माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूं अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि प्रत्येक प्रदेश में एक हाईकोर्ट की व्यवस्था है यह नियम है लेकिन यह नियम उस वक्त टूट गया जब लखनऊ में हाईकोर्ट की एक बेंच खुल गई। जब लखनऊ में शाखा खोली जा सकती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाखा खोलने में क्या आपत्ति हो सकती है। वहां से आदमी 600–700 कि0मी0 दूर न्याय के लिए जाता है रास्ते में चलते–चलते कई लोग मर भी जाते हैं मैं आपके माध्यम से सरकार का इस पर स्पष्ट मत चाहता हूं आप चाहें इस पर बोटिंग कराएं या किसी तरह से कराएं लेकिन यह आश्वासन जरूर दें कि हाईकोर्ट की शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने के लिए सरकार सहमत है, सदन सहमत है या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा करते हैं कि इस पर अग्रेतर चर्चा चलेगी।

प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

प्रदेश के जनपद उन्नाव की ग्राम सभा ओरहर, पडरीकला, निबईगैर एहतमाली, कोरारीकला, तारगांव एवं कुलहाबगहा में चकबन्दी अधिनियम की धारा–6 (1) के अन्तर्गत नियमित रूप से स्थगित की गई चकबन्दी प्रक्रिया को किसानों के हित में यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)

(श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

जनपद–देवरिया में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना यथाशीघ्र कराने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा को प्रस्तुत संकल्प

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, यह सब पुराना पेंडिंग चला आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आज इस सबको खत्म कर देते हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी आपने हमारे संकल्प पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपके माध्यम से हम सदन से यह अपेक्षा करते हैं और यह मांग करते हैं कि जनपद देवरिया में एक सरकारी मेडिकल कालेज खोला जाय माननीय अध्यक्ष जी इसका आधार भी है। मा0 अध्यक्ष जी, देवरिया जनपद या पूर्वांचल हिन्दुस्तान का सबसे हाइयेस्ट पापुलेशन डेन्सिटी वाला इलाका है, सबसे कम शिक्षा का इलाका है, सबसे कम परकैपिटा जी0डी0पी0 का इलाका है और उत्तर प्रदेश की सबसे कम इण्डस्ट्रीज यहां पर हैं। यहां पर सबसे कम हास्पिटल तथा मेडिकल सुविधायें हैं। जो मानक है, एक लाख पर 27 डाक्टर हैं जबकि 1700 होने चाहियें। जो इंटरनल मेडिसिन के डाक्टर 1138 होने चाहिये वहॉ 18 हैं। हास्पिटेलिटीज जो 264 होनी चाहिये इस पॉपुलेशन में सिर्फ 4 हैं। पीडियाट्रिक जो 541 होने चाहिये सिर्फ 8 हैं। मान्यवर, यह आंकड़े मैं सिर्फ इसलिये गिना रहा हूं कि हमारे देवरिया और पूर्वांचल में मेडिकल सुविधाओं के लिये कितनी क्राईसिस है। मैंने एक–दो बार मिलकर के जब यह सरकार बनी थी तब और भारत सरकार से अनुरोध किया था। मैंने स्वयं श्री गुलाम नबी आजाद साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे मिलकर अनुरोध किया था कि देवरिया में एक मेडिकल कालेज बनाया जाये और सरकार की एक योजना थी, अभी यह योजना है भी कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज बनाया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना भी चाहता हूं कि जनपद देवरिया का उसमें चयन भी हुआ था। शासन से एक विशेष सचिव गये भी थे वहां के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितनी जमीन चाहिये थी उस जमीन को प्राप्त करने के लिये, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने उसमें थोड़ी लापरवाही दिखायी तो देवरिया में जो मेडिकल कालेज बनाया जाना था वह शिफ्ट करके बस्ती कर दिया गया। मान्यवर, हम सरकार से यह चाहते हैं कि अभी भविष्य में हर साल तीन नये जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज में प्रमोट किया जा रहा है, केन्द्र की और प्रदेश सरकार की ऐसी योजना है। हमारे मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने 5–6 योजनाओं का अभी जिक्र भी किया। हम यह चाहते हैं कि दो साल पहले देवरिया जनपद के सदर अस्पताल को मेडिकल कालेज में परिवर्तित करने के लिये सरकार की तरफ से जो एक पहल हुयी थी और वह पूर्ण नहीं हो पायी, अगली बार जब भी जिला अस्पताल को मेडिकल कालेज बनाये जाने की प्रक्रिया शुरू हो जो हर साल लगभग तीन उत्तर प्रदेश के कोटे में आता है तो देवरिया जनपद को अवश्य बनाया जाये, क्योंकि मान्यवर, बीमारी की जो चार जड़ होती हैं जो पानी से, हवा से, खून से और बैक्टीरिया से, वह सबसे ज्यादा इसी पूर्वांचल में ही होती

है और इसका प्रकोप भी है। मान्यवर, आपने देखा होगा, आप भी पूर्वांचल से आते हैं। डेंगू से लेकर के, जे0ई0 से लेकर के, चिकनगुनिया से लेकर के, हेपेटाईटिस–बी से लेकर के सब तरह की मैक्सिमम बीमारियां घनत्व ज्यादा होने के कारण, पानी प्रदूषित होने के कारण और शिक्षा कम होने के नाते अपने स्वास्थ्य की जो केयर की जानी चाहिये वहां के लोग उतने अवेयर नहीं हैं, नहीं कर पाते हैं तो इससे जनित बीमारियां हमारे पूर्वांचल में बहुत ज्यादा हैं और पूर्वांचल के बाद लखनऊ के बीच में सिर्फ एक गोरखपुर मेडिकल कालेज है, उसमें भी बिस्तर इतने कम हैं उसके भी आंकड़े मेरे पास हैं। वहां फैसिलिटीज भी बहुत कम हैं, वहां पर डिपार्टमेन्ट भी कम हैं। उसके बाद बनारस पड़ता है। कोई भी राजकीय मेडिकल कालेज अभी वहां नहीं है, बस्ती में एक जिला अस्पताल का अपग्रेड हो रहा है। जो मानक होना चाहिये, जो आवश्यकता होनी चाहिये, देवरिया प्रायारिटी पर उस मानक के अनुरूप आता है और आपको जैसा मैंने पहले भी बताया कि देवरिया को अपग्रेड करने के लिये शासन से शिक्षा विभाग से दो साल पहले एक विशेष सचिव गये थे, वह नहीं हो पाया, लेकिन इन जरूरतों को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि देवरिया जनपद के सिविल अस्पताल को, जो भविष्य में जिला अस्पतालों को उच्चीकृत करने की योजना है उस योजना के तहत, उसे उच्चीकृत किया जाये। जो भी सुविधायें पूर्वांचल में मेडिकल से संबंधित हैं, चाहे वह बेड हो, चाहे वह डाक्टर हो, चाहे वह पैथालॉजी हो, सब जगह बहुत कम हैं।

एन0आर0एच0एम0 के तहत् मेडिकल सुविधाओं का आपने हश्र देख ही लिया है। अगर पीएचसी गए तो वहां डाक्टर बहुत कम हैं, अभी आप लोग संविदा पर डाक्टर ले रहे हैं, वह सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, न उसमें एडमिड कराया जा सकता है, न चेकअप हो सकता है, न कोई इमरजेंसी हो सकती है। तहसील मुख्यालय पर भी इसी तरह की समस्या है। लोग परेशान है। दवा और उपचार की कमी के कारण बहुत बड़ी तादाद में लोग अपंग हो रहे हैं और मर रहे हैं। जिस प्रकार आदमी के मौलिक अधिकार है, उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और मान्यवर, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। जब यह नीति है, केन्द्र सरकार की और प्रदेश सरकार की कि जिला अस्पताल जो 300 बेड से ज्यादा है और एक मेडिकल कालेज की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, वहां पर सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, देवरिया का सिविल अस्पताल वह सारे मानक पूरे करता है। सिर्फ 10 कि0मी0 के रेडियस में 25 एकड़ की जमीन का एक और मानक है कि जहां पर मेडिकल कालेज, मेडिकल शिक्षा के लिए स्थापित किया जा सके। हास्पिटल आलरेडी एक्जिस्ट कर रहा है और उस जगह के लिए प्रक्रिया शुरू भी हुई थी, मगर किसी कारण से नहीं हो पायी। हमारा अनुरोध यही है कि अगली बार जब यह प्रक्रिया इस वर्ष की शुरू हो तो उसमें देवरिया को मेडिकल कालेज का दर्जा प्रदान कर दिया जाय। आपका निर्देश मिल रहा है, आपका सम्मान है, हम चाहते हैं कि सरकार की प्रकरण में वक्तव्य दे, कुछ बताये और हमने जो अनुरोध किया है कि भविष्य में जब रखा जाए तो उसमें इसको टेकअप कर लें।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, जनपद देवरिया में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना से सम्बन्धित असरकारी संकल्प के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा

उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत देवरिया में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद देवरिया से सटे जनपद गोरखपुर में राजकीय मेडिकल कालेज संचालित है, जिससे निकटवर्ती जनपदों के मरीजों को उच्चकोटि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में मेडिकल कालेज गोरखपुर में 500 बिस्तर वाले बाल चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 01 हजार 500 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में रुपया 7879 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। मेडिकल कालेज गोरखपुर में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना हेतु 800 लाख की धनराशि एवं कोबाल्ट मशीन की स्थापना हेतु 4.500 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई है। इस मेडिकल कालेज में विषाणुजनित रोगों की जांचों के लिए रीजनल मेडिकल कालेज रिसर्च सेण्टर, क्लीनिकल रिसर्च विंग, ट्रामा सेण्टर की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पूर्वांचल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा एम्स की स्थापना हेतु गोरखपुर को चिन्हित करते हुए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया हैं इससे समस्त निकटवर्ती जनपदों के मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस सब को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार उक्त असरकारी संकल्प का विरोध करती है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने बताया कि वहां मेडिकल कालेज बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रस्तावित करें और जो बताया गया है, मैंने एक तथ्य बताया कि देवरिया के सदर अस्पताल को दो वर्ष पहले मेडिकल कालेज बनाये जाने के लिए यहां से आफिसर गए थे। उन्होंने आवश्यकता समझी होगी, तभी तो गए थे लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया और मंत्री जी जो एम्स की बात कह रहे हैं, मैंने मीडिया के माध्यम से पढ़ा है, हमारे पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, भारत सरकार के कि वह जो जमीन आपने दी थी, उस पर भारत सरकार ने आपत्ति लगा दी कि रास्ता नहीं है, उस पर नहीं बन सकता है। इसके बारे में हमको नहीं पता है कि आपके पास वह ऑफिशियली आया है, कि नहीं आया है। हम अपने जनपद देवरिया की बात कर रहे हैं। वह मानक के अनुरूप आता है। हम सरकार से यह चाहते हैं कि जब अस्पतालों को, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को मेडिकल कालेज बनाने की अगली किश्त में जो प्रक्रिया अपनायी जायेगी उसमें जनपद देवरिया को ले लिया जाये। हम मा0 मंत्री जी से इतना सा आश्वासन चाहते हैं कि जब दो साल पहले मेडिकल कालेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो हमारा देवरिया जिला किसी कारण से वंचित हो गया था। मा0 मंत्री जी इस बार जब मेडिकल कालेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो तो जनपद देवरिया को भी कंसीडर कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी का जवाब तो आ गया था, अब क्या है। यह भी तो आपको बल देना चाहते हैं लेकिन चर्चा तो खत्म हो गयी। सरकार का जवाब आ गया।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारे मा0 सदस्य ने गोरखपुर में स्थापित हो रहे एम्स के बारे में, अपने जिक्र के दौरान किया है और अपनी सूचना के आधार पर यह सूचना सदन को दे डाली है कि जो जमीन सरकार ने लिखकर के भारत सरकार को भेजी थी उसके रास्ते को लेकर भारत सरकार ने शायद अपनी कोई शंका जाहिर की है। चूंकि यह बात सदन में आ चुकी है इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बात में सरकारी पत्रावली जो भारत सरकार से आई है, दिखवा देनी चाहिए। वह जमीन जो चिन्हित की गयी है, जो लोग जांच करने आए थे हम लोगों की स्वयं उनसे बात हुयी थी। वह जमीन को लेकर पूरी तरह संतुष्ट थे। इसलिए उसके रिजेक्शन का प्रश्न नहीं है, प्रश्न एप्रोच मात्र का है। वह एप्रोच मार्ग का विषय तो जिलाधिकारी का विषय होता था। यह कोई बहुत बड़े विवाद का प्रश्न नहीं था। मा0 मंत्री जी चूंकि हर प्रश्न का बहुत ही गंभीरता के साथ जवाब दे रहे थे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपने अधिकारियों से बात करके अगर ऐसी कोई शंका आई है तो भी उसका समाधान ढूंढ लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। आप बैठिए। अब बताइए मतदान वापस लेंगे ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना आपसे अनुरोध है कि जो प्रक्रिया 02 साल पहले शुरू हुई थी, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, मा0 मंत्री जी कम से कम इतना तो आश्वासन दें कि जब वह उस मानक के अनुरूप आ रहा था, तभी तो प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगली किश्त में जो मेडिकल कालेज बनेंगे, जिला अस्पतालों को, जो मेडिकल कालेज उच्चीकृत किया जायेगा उसमें उसको कंसीडर कर लें। अगर वह मानक में आता है तो जरूर हो गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, आप बार–बार क्यों उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी को पता है। उन्होंने स्वयं मुझसे बातचीत में यह कहा था। हम यही चाहते हैं कि जनपद देवरिया को, सदर अस्पताल को उच्चीकृत करके मेडिकल कालेज बनाए जाने की प्रक्रिया जब अगले वर्ष में शुरू हो तब उसको भी कंसीडर कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ तो आश्वासन दें।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अब वह नहीं ले रहे हैं तो आप वापस नहीं लेंगे न ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मतदान करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब मतदान कराते हैं।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

वह श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' एक विशेष उल्लेख के जरिए अपने विचार रखना चाहती हैं तो वह रख लें।

ख1.30 बजे, केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार राज्य की भांति उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज के रूप में एक मुश्त धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्रा ''मोना'' द्वारा विशेष उल्लेख के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

'श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है और 70 प्रतिशत लोग यहां पर कृषि आधारित हैं। पिछले वर्ष पहले सूखा पड़ा, फिर अत्यधिक वर्षा हुई और अब वर्तमान समय में भी वर्षा ठीक नहीं हो रही है। ओलावृष्टि से भी देश की जनता और किसान प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती राज्य है। मैं विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव करना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार राज्य की भांति उत्तर प्रदेश को भी स्पेशल पैकेज के रूप में कम से कम 02 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए। मा0 मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं मैं कृपापूर्वक यह अनुरोध करना चाहती हूं कि जो भी आर्थिक पैकेज दिया जाये उसकी सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त एक ही वर्ष में दी जाये जिससे बिहार राज्य की तरह यहां पर आंकड़ों की बाजीगरी न हो पाए। मेरा अनुरोध है कि मा0 मुख्य मंत्री जी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं सब इसका समर्थन करें।

ख1.32 बजे, प्रदेश के महानगरों के बढ़ते स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए बाहरी क्षेत्रों में निर्मित कालोनियों का नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

'श्री सतीश महाना–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि–''प्रदेश के महानगरों के बढ़ते स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए बाहरी क्षेत्रों में निर्मित कालोनियों का नियमितीकरण किया जाय।'' अब बोल दूं कि इसको बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

दो लाइन बोल दो तब बढ़ायें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अधिकांशतः महानगरों में बाहरी क्षेत्रों में एक तरह से अनियोजित विकास पिछले लगभग 30–40 वर्षों से हो रहा है। और इस बात को प्रमाणिकता के साथ कहा जा सकता है कि आजादी के समय जितनी आबादी शहरों की होती थी उससे ज्यादा आबादी उन शहरों के बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत हो गयी है। कालांतर में जो शहरीकरण हो रहा था, जो गांव से शहरों की ओर लोगों के आने के कारण शहरीकरण हो रहा था उनके लिए उपयुक्त हाउसिंग स्कीम न आने के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं। उसमें मान्यवर, बहुत सारे विषय हैं उस पर अगर अलग–अलग बात की जाये तो आवास विकास परिषद् ने एक हाउसिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट बना दिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो चाहता था तो एक समूह बनाकर आवास विकास परिषद् में उस समय निवेदन करता था और उसका हाउसिंग स्कीम के नाते से रजिस्ट्रेशन हो जाता था। जिन्होंने इस हाउसिंग स्कीम के नाम से रजिस्ट्रेशन कराकर आवास विकास से अपना ले आउट प्लान पास कराकर मकान बना लिया, लेकिन उसके बाद उसके अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ और उसी के साथ–साथ बाहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की रिहायश शुरू हो गयी। कई स्थानों पर अवैध तरीके से प्लाट काटकर लोग वहां रहने लगे। दो बातें थी। एक तो इन हाउसिंग स्कीम के माध्यम से लोग रहने लगे और कई लोग धोखे में रहने लगे। धोखा उनके कारण हुआ जिन्होंने उस जमीन को बेचा था। और संबंधित जो अधिकारी थे वह उनको रोकते नहीं थे। उनके प्रश्रय के कारण उनके व्यक्तिगत लाभ के कारण मतलब की घूसखोरी के कारण वह बढ़ गया। इस प्रकार से 30–40 वर्षों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि जहां पर इन बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत अवस्थापना सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। भारत का संविधान यह कहता है कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए उसके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर जलभराव नहीं होना चाहिए। नाली, सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उसको भी पूरा करने का काम सरकारों के द्वारा कदाचित नहीं किया गया। जिसके कारण अगर एक दिन बारिश हो जाती है तो बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग दो महीने तक अपने घर नहीं जा सकते। यही परिस्थितियां हैं। उनके पीने के लिए पानी नहीं है। जल निकासी न होने के कारण जलजनित बीमारियां पैदा होती हैं। सड़क व सीवर की तो वहां पर कल्पना ही नहीं की जा सकती। मान्यवर, इन परिस्थितियों में कानपुर में आधे से ज्यादा आबादी इन क्षेत्रों में रह रही है।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात रख दी। इस पर प्रस्ताव करा दें ?

श्री सतीश महाना–

मैं अपनी बात कह लूं उसके बाद मतदान करा दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

जल्दी कहिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं इस विषय को पहले भी कई बार उठा चुका हूं और मा0 नगर विकास मंत्री जी ने बड़ी कृपापूर्वक इस बात के लिए यहां पर कहा था कि उस पर यह विचार कर रहे हैं और उसकी एक स्कीम बना रहे हैं। लेकिन वह स्कीम कभी भी नहीं आयी। इन क्षेत्रों के नियमितीकरण करने के लिए जो मिनिमम चार्जेज होते हैं उस आधार पर इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाये। कुछ सरकार कर दे और भारत सरकार चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत बहुत बड़ी राशि देने जा रही है। पहले लगभग तीन हजार करोड़ तेरहवें वित्त आयोग में आता था मैं नगरीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। अब नगरीय क्षेत्रों के लिए 10200 से ज्यादा करोड़ रुपया नगरीय क्षेत्रों में चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत आने वाला है। इसके साथ ही भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की स्कीम आती हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 आई, जिसके अंतर्गत पीने के पानी, सीवर की लाइन डाली थी। मान्यवर, वहां के लोगों को इस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है। मैं इस चर्चा के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन एरिया के उन लोगों को जिनको चाहे आप सोसायटी एरिया कह लो या कुछ कह लो मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता, उन एरिया के रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। मान्यवर, वह गरीब आदमी हैं, उन्होंने अपनी सारी उमर की कमाई इकट्ठी कर के वहां पर सौ गज का, डेढ़ सौ गज का प्लाट ले लिया, वह गरीब आदमी, बड़ी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है, उसके पास साधन नहीं है, इसलिए वह वहां पर रहने के लिए मजबूर है, यदि उसके पास साधन होते, धन होता, पैसा होता तो किसी बढ़िया जगह पर बड़ा सा मकान लेकर रहता। मान्यवर, उन परिस्थितियों में सरकार भी यही कहती है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को हम यह सुविधा देना चाहते हैं, मान्यवर सुविधा के हिसाब से इन्फ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वहां बहुत ज्यादा धन नहीं खर्च करना है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें, आप इस पर बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, चर्चा कर चुका हूं और इस पर आगे भी और चर्चा इसलिए करता रहूंगा क्योंकि इसमें कोई परिणाम नहीं निकलता।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा अब बैठ जांए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 नगर विकास मंत्री जी, यह सतीश महाना जी का प्रश्न है मद संख्या– 20 का (1) इस पर कुछ कहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, सतीश महाना जी का यह प्रश्न हर सत्र में आता है, मुझे इनका सवाल भी रट गया है और इसका जवाब भी रट गया है, अगर पुरानी कार्यवाही पढ़ लें तो न मुझे जहमत, न आपको जहमत। आपसे तो वैसे भी हमारा दिल का रिश्ता है, जो हो सकेगा, करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, क्योंकि मा0 मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए मैं अपना संकल्प बिना आपके प्रस्ताव के शुरू किये हुए, वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रश्न यह है कि प्रदेश के महानगरों के बढ़ते स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए बाहरी क्षेत्रों में निर्मित कालोनियों का नियमितीकरण किया जाय, के प्रस्ताव को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश को चार जोनों में बांटे जाने के अनुरूप प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौतिक एवं पिछड़ेपन के आधार पर अलग–अलग चार जोनल बजट बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी आप संकल्प प्रस्तुत कर दीजिए, मा0 मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि आज सबको जाना भी है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश को चार जोनों में बांटे जाने के अनुरूप प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौतिक एवं पिछड़ेपन के आधार पर अलग–अलग चार जोनल बजट बनाये जायं।''

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और जिस संजीदगी के साथ मा0 मंत्री जी अभी विभिन्न संकल्पों का जवाब दे रहे थे, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार भी कर ले और इसे आप अगले सत्र में बहस के लिए रख भी दें, जिससे कि इस पर हम लोग एक गम्भीर चर्चा कर लें, मतदान की इसमें आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

जनपद–झांसी में स्थापित पारीक्षा थर्मल पावर प्लाण्ट में भूमि अधिग्रहीत किसानों के आश्रितों को ऊर्जा विभाग में सेवायोजित करने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)

(सदस्य श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

श्री अध्यक्ष–

नहीं हैं।

ख1.40 बजे, यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष–

डा0 धर्मपाल सिंह, संकल्प प्रस्तुत करें।

'डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाये।''

मा0 अध्यक्ष जी हजारों साल से बहती यमुना नदी, यमुनोत्री से निकल कर इलाहाबाद में गंगा में मिलने वाली यह नदी, तभी इस यमुना नदी को जीवनदाइनी कहा गया, तभी इस नदी को मोक्षदाइनी कहा गया, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी आज दुर्भाग्य है कि यह यमुना नदी खुद अपने मोक्ष के लिए संघर्ष कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी यमुनोत्री से निकल कर यमुना नदी हरियाणा, अम्बाला और दिल्ली के साथ–साथ जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, आज मा0 अध्यक्ष जी पूरे दिल्ली का भी चाहे वह सीवर हो, चाहे वहां के निकलने वाले नालों का पानी हो, यमुना में सीधा प्रवाह कर रहा है और ओखला पर इस यमुना नदी का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है, चाहे हरियाणा की गूची ड्रेन हो जो पूरा हरियाणा का सीवर इस यमुना नदी में मिलाने का काम करती है, मान्यवर हिण्डन नदी से होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक कचड़ा भी इस नदी में मिलता है। मा0 अध्यक्ष जी आगरा और मथुरा के बहुत सारे नाले सीधे अभी भी यमुना नदी में गिर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आगरा के करीब 40 नाले अभी भी यमुना में सीधे डाले जा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आगरा में पीने के पानी का मुख्य स्रोत भी यमुना नदी ही है। यमुना नदी से लोगों की आस्थायें भी जुड़ी हुई हैं, आज प्रदेश में रहने वाला, देश में रहने वाला हर नागरिक चाह रहा है कि यमुना नदी जो 1909 तक एकदम स्वच्छ थी, जिसे क्लियर ब्लू कहा जाता था, कल–कल कर कहती थी यह नदी कि आने वाले दिनों में यमुना कब स्वच्छ होगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की इस मामले में कोई बात हुई ? यमुना नदी की सफाई के लिये कोई कार्य योजना बनी, अगर बनी तो क्या और कब तक नदी की सफाई का कार्य शुरू हो जायेगा ?

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)–

मा0 अध्यक्ष जी, डा0 साहब ने यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिये जो सुझाया है तो उसमें 12 शहरों में एस0टी0पी0 तो लगे ही हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, वृन्दावन, आगरा, इटावा, इलाहाबाद आदि में। देखिये जो मुख्य रूप से प्रदूषण का कारण है वह 10 परसेण्ट तो औद्योगिक इकाईयों से होता है और करीब 90 परसेण्ट प्रदूषण घरेलू जल–मल से होता है तो उसके लिये एस0टी0पी0 लगाये गये हैं। जहां तक सवाल है अभी एन0जी0टी0 में एक मनोज मिश्रा नामक व्यक्ति ने एक याचिका दायर की थी और उसके सम्बन्ध में एन0जी0टी0 ने निर्देश दिया था। 11 जून को निर्देश दिया गया था एन0जी0टी0 द्वारा और जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है एन0जी0टी0 का उसके तहत भारत सरकार के सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक प्रिंसिपल कमेटी गठित की गयी थी और 22 जून, 2015 को उसकी बैठक हुई थी। उस बैठक में सुझाव भी दिये गये थे जिसमें बिन्दु 12 उत्तर प्रदेश के लिये लागू होता है और उसका इम्प्लीमेण्ट करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 अगस्त, 2015 को एक बैठक हुई है। उस बैठक में जो सिंचाई विभाग है उसको 16 फरवरी, 2015 को नोडल एजेंसी बनाया गया था मुख्य सचिव के आदेश से। इसमें सिंचाई विभाग जो नोडल है उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि कई विभाग जो इससे सम्बन्धित हैं कि यमुना नदी का प्रदूषण कैसे रोका जाये, वह उन विभागों से को–ऑर्डिनेट करके कार्य योजना बनाये और कार्य योजना बनाने के लिये उसको निर्देशित कर दिया गया है। कार्य योजना बनाई जा रही है और उसके अनुसार प्रदूषण रोकने के लिये काम होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाये।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे प्रदूषण के फलस्वरूप प्रदेश की विकास में हो रही कमी को नियंत्रित करने के लिये एक समयबद्ध एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे प्रदूषण के फलस्वरूप प्रदेश के विकास में हो रही कमी को नियंत्रित करने के लिये एक समयबद्ध एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन कराया जाय।''

प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर स्थापित मण्डलीय चिकित्सालयों को उच्चीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इसको प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष–

आज इसको आप खत्म ही कर देते।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने इसे प्रस्तुत कर दिया है, आप इसे अग्रेतर जारी कर दीजिये बस, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा चलो, चलिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, थोड़ा विलम्ब हो गया मुझे।

श्री अध्यक्ष–

हम वह विलम्ब का कारण जानते हैं। अब वह हो गया। एक तरफा मुकदमा हो जाता है फिर से केस चलता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अध्यक्ष जी, जब मैं रहता हूं तब तो आप मेरा लेते नहीं हैं। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इसको कॉण्टीन्यू कर दें। मा0 अध्यक्ष जी, कॉण्टीन्यू कर दें उसे।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये।

ख1.45 बजे, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध से बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दो घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध से बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सभी मा0 नेताओं ने एक प्रस्ताव रखा था जिस पर दो घण्टे की चर्चा है। मा0 नेता विरोधी दल, अब चर्चा प्रारम्भ होनी है। ये चर्चा दो घण्टे की है और दो घण्टे से आगे नहीं बढ़ पायेगी क्योंकि आज सबको जाना है और हमको भी जाना है। इसमें दिक्कत यह है और मैं पहले बताये दे रहा हूं कि समय का ध्यान रखा जाये। इसी में सरकार को भी जवाब देना है, आप लोगों को अपनी बात कहनी है, सत्ता पक्ष के लोगों को भी कहनी है तो हम किसी के लिये समय निर्धारित नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग स्वयं 2 घण्टे का समय देखकर अपने हिसाब से बोलें। दो घण्टे की चर्चा है अभी पौने दो बज रहा है पौने चार बजे इस चर्चा को खत्म कर दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

दो घण्टे की है तो अब कैसे बढ़ा दें। मौर्या जी आप बोलिए। मौर्या जी आप समय का ध्यान रखेंगे। आपके लोगों को भी इस पर बोलना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 5 बजे तक कर दीजिए। सब बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

नहीं दो घण्टे की चर्चा है तो क्यों पांच बजे तक कर दें ? दो घण्टे पर्याप्त है बस। पहले आप लोग बोलिये तो, शुरू तो करिए कि पहले यही तय कर लीजियेगा। देखिए इसमें दो घण्टे का समय रहेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या कोई टाइम निर्धारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जो टाइम निर्धारित है उसमें नेता लोग अपने हिसाब से बोल लें 5 मिनट, 6 मिनट जो और सदस्य बोलेंगे वह 2–2 मिनट बोल लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कम से कम 15–15 मिनट तो कर दें। जब दो घण्टा का समय है और आप 5 नेता है, जब आप ही लोग बोल लीजियेगा, तो आपके सदस्यगण कैसे बोलेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, तभी तो कह रहे हैं कि इसको बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब दो घण्टे की चर्चा यह आप लोगों की सहमति से हुआ था, अब उसको नहीं बढ़ाया जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अराजक तत्व, ख ग ग ग , माफिया, अपराधी जिस तरीके से बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

गुण्डा शब्द इसमें से निकाल दिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं, प्रदेश की जनता पर कहर बरपा रहे हैं। अपराधियों की बाढ़ सी आई है, जिसके चलते पूरा प्रदेश अपराधमय हो गया है। आज जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती और साथ ही साथ जमीनों पर अवैध कब्जे का कारोबार चल रहा है। मान्यवर, प्रदेश की जनता उससे त्रस्त है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, अगर सरकार चाहती तो ऐसे अपराधियों पर नकेल लगाती, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करके उनको जेल की सलाखों में भेजती लेकिन मान्यवर, कहीं न कहीं आज सरकार भी बिल्कुल ही लुन्ज–पुन्ज है, शासन–प्रशासन का कोई भी प्रभाव कानून–व्यवस्था पर नहीं रह गया है और यहां तक की आज बड़े पैमाने पर ऐसी जघन्य घटनायें हो रही हैं। जिसमें केवल प्रदेश के अराजक तत्वों की हिस्सेदारी नहीं बल्कि इन कानून के रखवालों की भी है। आज कानून के रक्षक भक्षक बन गये हैं मान्यवर, आये–गये दिन तमाम ऐसी घटनायें होती हैं जिसमें खाकी पुलिस वर्दीधारी पर सवालिया निशान उठता है। इसी बाराबंकी जिले में कोठी थाने के अन्तर्गत एक थानाध्यक्ष और उसका सहयोगी दरोगा ने जिस तरीके से एक महिला पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का घिनौना खेल खेला, इससे मान्यवर, कहीं न कहीं खाकी वर्दीधारी कटघरे में दिखायी पड़ते हैं।

श्री राम मगन रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे यहां की घटना है जो माननीय मौर्या जी कह रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप अभी कह लीजियेगा। हमीरपुर में एक छात्रा जो ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी, कुछ मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी की, उसके अभिभावक थाने गये। थानेदार ने एफ0आई0आर0 लिखने के बजाय, उनको डांटकर भगा दिया। इससे क्षुब्ध होकर उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। मान्यवर, हमीरपुर थाना कस्बा की यह घटना ऐसी घटना है कि आज कानून के रखवाले पीड़ित के साथ नहीं, न्यायी के साथ नहीं बल्कि जुल्म और अत्याचार करने वाले अपराधियों के साथ हैं, अन्याय करने वाले अन्यायियों के साथ हैं इसलिए मान्यवर आज उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास उत्तर प्रदेश की पुलिस पर से उठता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, थानों मे बलात्कार की घटनायें आम होती जा रही हैं अभी इसी सत्र में विधान परिषद में प्रश्न यह था कि बलात्कार की कितनी घटनायें पुलिस द्वारा की गयीं तो सरकार ने जवाब दिया था, एक साल का ब्योरा था, 9 महीने का जिसमें जवाब आया था कि 23 बलात्कार की घटनायें पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी। मान्यवर यह सरकार का जवाब था, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाने में लग जायेंगे, यदि खुद बलात्कार की घटनाओं में अपराधी बन जायेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा,

पीड़ित परिवार का आसूं कैसे पोछा जायेगा और पीड़ित के घाव पर मरहम कैसे लगाया जायेगा। मान्यवर इसी सीतापुर के महमूदाबाद की कोतवाली में उसके शौचालय में लाश मिली। घटना के पीछे क्या राज है, यह तो जांच के बाद सामने आयेगा लेकिन शौचालय के अन्दर लाश मिलना कहीं न कहीं किसी शंका की ओर पुष्टि करती है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे जनपद के टी0पी0 नगर थाने में नौजवान फौजी को एक लड़की को छेड़खानी से बचाने में अपनी जान गवानी पड़ी। माननीय अध्यक्ष जी यही नहीं गोरखपुर में एक महिला सहित उसके तीन बच्चों को यानी चार–चार लोगों को सीधे पेट्रोल डालकर जला दिया उसका पति फौजी है। बाराबंकी के जैदपुर में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हरदोई में एक अगस्त को एक अनुसूचित जाति की लड़की कक्षा 9 की छात्रा थी काशी पुरवा की उसके साथ इस तरह से दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जाती है।

बांदा के बबेरू में दीनानाथ कुशवाहा को सरेआम उसके घर में दिन–दहाड़े लोग जिन्दा जला देते हैं। मुरादाबाद में अभी अभी जब हाउस चल रहा था दो लोगों की एक साथ हत्या हुई। छपरौली में दो सगे भाईयों की एक साथ हत्या करके गुण्डे माफिया उनका सिर काट कर ले गये। मान्यवर, यह जघन्नतम और क्रूरतम अपराधियों के बुलन्द हौसले को कहीं न कहीं इंगित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी इसी तरीके से बागपत में बड़ौत में दो सगे भाईयों की हत्या हुई। मान्यवर, इसी सरोजनी नगर के बिजनौर में दो की हत्या हुई जिस समय सदन चल रहा था। मैं हकीकत इसलिए बता रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे प्रकरणों का गम्भीरता से संज्ञान लेकर कठोरतम कानूनी कार्यवाही करके इन अपराधियों पर शिकंजा लगाने का काम करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है, उनकी जवाबदेही पर आप खरे उतर सकें। कल जब हम यहां सत्र में बैठे थे तो लखनऊ में राजधानी में सरकार की नाक के नीचे निशातगंज, महानगर में एक छात्रा को चार दरिन्दों ने बुरी तरीके से बलात्कार किया। मान्यवर बलात्कार किया, कुकृत्य किया लेकिन वहां के थाने में पहले एफ0आई0आर0 लिखने में टालमटोल की और जब क्षेत्रीय जनता का दबाव बना तो एफ0आई0आर0 लिखी गयी। इसी प्रकार रौजा थाने में एक लड़की जो कक्षा 9 की छात्रा थी, बलात्कार किया गया, और वहां पर भी आना कानी हुई बाद में जब गांव वालों ने दबाव बनाया तो एक को गिरफ्तार किया और बाकी भागे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गन हाउस में कल रायबरेली में 4 लोग आये और एक अनीसुद्दीन को दुकान में बैठे बैठे दिन में मार दिया गोली और उसे मारने में कौन था एक सिपाही भी था। माननीय अध्यक्ष जी, जब सिपाही पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस शामिल होगी ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)–

मान्यवर, यह एक दुर्घटना है एफ0आई0आर0 हुई है उनके विरुद्ध ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसका जवाब दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी घटना में शामिल होगी तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी कल के दिन बरेली में सब्जीपुर खाता गांव में एक महिला को निर्वस्त्र कर घसीटा गया, बुलन्दशहर में एक व्यापारी की हत्या हुई और कानपुर में विधुना में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। मान्यवर, क्रूरता की हद होती है अपराधियों के हौसले कैसे बुलन्द हैं अगर इनको कानून का भय होता, सरकार की हनक होती, सरकार का इकबाल होता, इनको खौफ होता कि हम अपराध करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं घूम पायेंगे तो शायद उस पर नियंत्रण होता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से मेरठ सरधना में जो कुछ हुआ हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते सरकार उसको गम्भीरता से लेकर संज्ञान लें और उस पर कार्यवाही करे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि गाजीपुर जनपद में इसी 17 जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका आजादी की लड़ाई में लम्बा योगदान रहा बलदाऊ पाडे जी जिनका औरिहार गाजीपुर में मकान बनाया जा रहा था, कुछ दबंगों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। उनके बेटे राम जी पण्डेय ने जब डी0एम0 के यहां गुहार लगाई तो डीएम के आदेश पर घर तो खाली कराया गया लेकिन एक महीना हो गया अभी तक चाभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बलदाऊ पाण्डेय के बेटे राम जी पाण्डेय को नहीं मिली।

आज भी सैदपुर कोतवाली के थानेदार के पास वह चाभी है। आखिर मंशा इसके पीछे क्या है। इसका मतलब है कि वहां का जो थानेदार है कहीं न कहीं दबंगों के दबाव में इसीलिए डी0एम0, एस0पी0 के आदेश के बावजूद भी चाभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में यह घटनाओं की बाढ़ आई है। घटनायें अपराधी घटित करते हैं सरकार का उस पर कोई बस नहीं लेकिन अपराधी अपराध घटित करता है उसके बाद सरकार की भूमिका सामने आती है। मान्यवर, आपके इसी गोरखपुर में सीकरीगंज थाने के अन्तर्गत सियर गांव में अपराधियों ने एक लड़की को दिनदहाड़े माता पिता के सामने उठा लिया, सामूहिक बलात्कार किया और यही नहीं उस लड़की को जला दिया अस्पताल में उसने दम तोड़ी मौत हो गयी। एफआईआर लिखी गयी 86/2015 लेकिन उसमें कई अपराधी थे उसमें एक अपराधी पकड़ा गया और शेष अपराधी थाने में बैठ करके पुलिस दारोगा के साथ चाय पीते हैं, मौजमस्ती करते हैं। उन अपराधियों के गिरेबान तक पुलिस का हाथ नहीं जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आगे इसी मामले में हमारे विधायक भाई शेरू जी ने सूचना के माध्यम से आपके संज्ञान में लाया था एक लड़की की शादी थी। ग्राम सरसड़ा धौरहरा खीरी में एक लड़की की शादी थी शिवनारायण की बेटी की और जिस दिन बारात आनी थी उस दिन दबंगों ने उसको उठा लिया थाने में ये लोग गुहार करते रहे थानेदार उसकी खोजबीन करने नहीं गये और उसकी शादी नहीं हो पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरह से दंबगों के हौसले बुलन्द हैं कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जमीन हड़पी जा रही है कहीं किसी व्यापारी की जमीन हड़पी जा रही है।

मान्यवर, इसी सदन के दौरान ही आगरा में एक व्यापारी की हत्या हुई थी उसके मॉ और बेटे लगातार एस0एस0पी0 से गुहार करती रही कि हमारी भी हत्या हो जायेगी सुरक्षा की व्यवस्था करिये। एस0पी0 आनाकानी करता रहा और अभी एक हफ्ता हुआ उसके बेटे की भी हत्या हो गयी। बाप की पहले हत्या हो गयी बेटे की अभी हत्या हुई मां की हत्या कब हो जायेगी यह अपराधियों के हिसाब किताब में होगा। हम समझते हैं कि सरकार इस पर आंख मूंद करके तमाशबीन दिखाई पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जल रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, जिस प्रकार से गुण्डे–माफिया, अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं, जिस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से आज पुलिस बेलगाम है, मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, आपका 12 मिनट हो गया है। कृपया अब आप संक्षिप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत शार्ट में कहूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछले ही सत्र में जवाब दिया था, इसी पुलिस के ऐसे ही गलत आचरण से इन पर आज जनता द्वारा हमले हो रहे हैं। 642 हमले की सूचना पिछले सत्र में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है। अभी सरकार ने बलात्कार की 23 घटनाओं की सूचना उच्च सदन में दी है। मान्यवर, एक साल के अंदर 01–08–2014 से लेकर 30.04. 2015 तक अपराधियों के व्यापरियों से रंगदारी वसूलने के 118 अभियोगों की सूचना सरकार ने सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है।

श्री अध्यक्ष–

आपके 12 मिनट से ज्यादा हो गये हैं। कृपया अब आप समाप्त करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। कभी–कभी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बहुत भोला है। भोला इसलिये कि या तो आपके आदेश का कोई महत्व नहीं है, या सरकार का इकबाल खत्म है, या आपको आपके लोग ख ग ग ग , समझ करके आपके आदेशों का क्रियान्वयन नहीं करते हैं।

(सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर टोकाटाकी करने लगे और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कहे गये उपरोक्त शब्दों को कार्यवाही से निकालने की मांग करने लगे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के कई आदेश एक प्रकरण पर हैं, जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अगर ख ग ग ग , शब्द से आपको आपत्ति है तो इसे आप निकलवा दें।

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कहे गये शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग शान्त रहें। इस शब्द को हम निकलवा देंगे, यह शब्द नहीं लिखा जायेगा और कार्यवाही का अंग भी नहीं माना जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह इसलिये कहा क्योंकि एक जिला स्तर के अधिकारी को हटाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 आदेश दिये हैं और इतने आदेशों को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, अगर आप चाहेंगे तो आपको हम अलग से भिजवा देंगे कि आपके द्वारा और आपके कार्यालय के द्वारा 20 आदेश भिन्न–भिन्न तारीखों में दिये गये हैं, दिनांक 20.01.2015, 13.02.2015, 09.02.2015, 12.03.2015, 21.04.2015, 01.05.2015, 07.05.2015, 13.06.2015 और 14.06.2015, 30.06.2015, 01.08.2015, 04.08.2015 आदि हैं।

श्री अखिलेश यादव–

अरे यह जिला देवरिया का है, यह भी बता दो आप।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जिला देवरिया का बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके बीस आदेश पर भारी पड़ रहा है।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

हमारे ही लोग आपको कागज दे आये हैं। आप हमारी पार्टी के बीच में मत पड़िये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट से अधिक हो गये हैं, अब आप समाप्त करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी लाचारी खुद बयान कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मेरा काम अनुरोध करना है और सोती हुई सरकार को जगाना है। एक दूसरा प्रकरण है, इसमें भी आपके द्वारा किये गये आदेश हैं। हम यह दोनों आदेश आपके पास इसलिये भिजवा देता हूं, क्योंकि मेरा आरोप केवल हवा में नहीं है, निराधार नहीं है, तथ्यात्मक है और आप अपने उन आदेशों का क्रियान्वयन अगर करा देंगे तो हम अगली बार आपको मजबूत मुख्य मंत्री कह करके मान लेंगे कि आपने काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता को तरजीह दिया है, अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा में भाग लेने के लिए

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर टोकाटाकी किये जाने पर)

मैं कह रहा हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्री को मजबूत मुख्य मंत्री मानूंगा, उनके साथी कह रहे हैं कि मजबूर मुख्य मंत्री हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, अगली बार की जो आपकी दुआ है, उसके लिये आपका धन्यवाद ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कानून व्यवस्था पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, हमारे यहां का एक प्रश्न है, मुझे उसका जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष–

अरे जब आयेगा तो आपको दिला देंगे।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया')–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी मेहनत से काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट बनाई, मैं उस सूची का प्रतिवाद नहीं करना चाहता हूं इसलिये, कि वह अंताक्षरी की स्थिति बनेगी। मैं नहीं कहना चाहता कि औरैया से क्या हुआ था। मैं नहीं कहना चाहता कि लखीमपुर से क्या हुआ था। यह सारी चीजें मैं नहीं कहना चाहता। यह अखबारों का कलेक्शन जो उत्तर प्रदेश की सम्मानित विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है, वह पूरी तरह से सत्य नहीं है। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उस स्थिति में मैं सम्पूर्ण सदन से एक मांग करना चाहता हूं मैं नहीं कहना चाहता हूं कि बसपा के कार्यकाल में क्या हुआ था, भाजपा के कार्यकाल में क्या हुआ था, यह एक बहुत लम्बी एवं अंतहीन चर्चा होगी। सभी सम्मानित सदस्य और नेता यहां बैठे हैं, मैं बड़ी गंभीरता से आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश देश में जिस तेजी से ऊंचे सोपान की तरफ बढ़ रहा है। मुझे महसूस होता है कि कहीं न कहीं यह गलत लोगों की दुरभिसंधि है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संरक्षकत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उस सरकार के कामों का जवाब विकास से देना चाहिये उसमें कहीं न कहीं आपको कदम ब कदम साथ खड़े होकर सकारात्मक राजनीति का एक संदेश देना चाहिये। कल बिजली पर चर्चा हुयी थी, मान्यवर, आपने एक घन्टे का समय दिया था, माननीय अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं उन्होंने बढ़ाकर समय ढाई घन्टे कर दिया। आधे घन्टे की चर्चा थी गन्ने पर, उसे बढ़ाकर पौने दो घन्टे कर दिया। तो सरकार कहीं पीछे नहीं भाग रही है, सरकार कहीं आपकी बात सुनने से पीछे नहीं हट रही है।

लेकिन जो आज हम कर रहे हैं जैसे आज हम पुलिस का आधुनिकीकरण कर रहे हैं 1090 की परिकल्पना किसने की थी, किस बेटी ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश के

मुख्यमंत्री इस बात को महसूस करेंगे कि हमारी बहन और बेटी के साथ यदि दुर्व्यवहार होता है तो उसकी पहचान छुपाकर कैसे उस पर कार्यवाही की जाय। 1090 में जो 7 लाख बेटियों की शिकायतें आई हैं, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज थानों का आधुनिकीकरण हो रहा है, हम नई गाड़ियां दे रहे हैं, नये शस्त्र दे रहे हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है फिर अभी आपके सामने बात आयेगी जिस तरह से 108 एम्बुलेंस हमारी आधे घन्टे में पहुंच रही है, मुख्य मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इसी प्रकार आधे घन्टे के भीतर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचनी चाहिये। हम इस पर आपका सहयोग चाहते हैं। इन गाथाओं से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभानी है तो आप आइये समाजवादी पेंशन की बात कीजिये। आप आइये लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे की बात कीजिये। आप लखनऊ मेट्रो की बात कीजिये, आप लखनऊ आई0टी0 सिटी की बात कीजिये। आप आइये कैंसर हास्पिटल की बात कीजिये। आप आइये आसरा योजना की बात कीजिये, अभी गरीबों को ई–रिक्शा बंटा है, हमने डा0 लोहिया की उस भावना का आदर किया है कि आदमी आदमी को न खीचें। आदमी आदमी का बोझा न ढोये। इस भावना को समाजवादी पार्टी की सरकार ने महसूस किया है। आपको कहीं न कहीं इन बांतो की तारीफ करनी चाहिये। यह जो उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, अभी परसों अमेरिका के राजदूत आये थे, माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर गये हैं, उन्होंने निवेश की इच्छा जाहिर की है, मुख्य मंत्री जी कई दौरे खुद कर चुके हैं। आस्ट्रेलिया हालैण्ड से ले करके कईए देशों की यात्रा पर जा चुके हैं। आपने नये निवेश को आकर्षित किया है, 9 हजार करोड़ रुपए के अभी नये एम0ओ0यू0 हुए हैं। हम विद्युत में काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं और आरोप हम पर लग रहा है कानून–व्यवस्था का। कानून–व्यवस्था एक सतत् प्रक्रिया है जो न कभी बन्द हुई है और न कभी बन्द होगी। आपने बदायूं की चर्चा की थी विपक्षी नेताओं ने यू0एन0ओ0 पहुंचा दिया था उसको, निकला क्या ढाक के तीन पात। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कई उदाहरण दिये, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे साथी हैं बाराबंकी के, कोठी में क्या घटना हुई, उसको कौन नहीं जानता, हम लोग बगल के निवासी हैं, किस तरह से घटना हुई थी। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप घटनाओं की आलोचना कीजिए, हम पर वार कीजिए, हमको समझाइये, हमको और निर्देश दीजिए लेकिन तथ्य समझ करके, तथ्यों की अनदेखी करके नहीं। जो पुलिस पर उंगली उठा करके कहते हैं कि पुलिस यह कर रही है। पुलिस जो कर रही है यदि वह आपको गलत लगे तो आप मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लायें, कार्रवाई होगी लेकिन केवल प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए हम कानून–व्यवस्था पर नहीं बात करना चाहते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आज जो प्रदेश का सकारात्मक माहौल बना है, हमने एक एक्सप्रेस–वे का संकल्प लिया था लखनऊ से आगरा के लिए, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने संसाधन से केन्द्र सरकार का कोई असिस्टेंस नहीं मिला, आज हम उसको बना रहे हैं, मेट्रो को हम बना रहे हैं कितनी लेट हमको पी0आई0वी0 की स्वीकृति मिली है यह मा0 मुख्य मंत्री जी जानते हैं शासन जानता है। उसके बाद हम लखनऊ से लेकर बलिया तक का एक्सप्रेस–वे बनाने जा रहे हैं। किसानों की फसलों की क्षति का पैसा हम

दे रहे हैं। अभी बात आई थी गन्ना के भुगतान की, गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी का सकारात्मक रुख है। मैं अकेले कानून–व्यवस्था की चर्चा पर ही नहीं जाना चाहता हूं मैं केवल इतना कहना चाहता हूं।

(सदस्य श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया के कुछ कहने पर)

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'–

आप आदत डालिये सुनने की, विपक्ष की भूमिका केवल तेज बोलना ही नहीं है। आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आइये, आज जिस तरीके से प्रदेश की उन्नति हो रही है, मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि विकास की इस गंगा को केवल कानून–व्यवस्था के नाम पर अवरोधित ना करें, धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने कानून–व्यवस्था की इस चर्चा पर भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, अपराध हर सरकार में होते हैं लेकिन कार्रवाई से सरकार की और जो एक्जीक्यूटिव एजेंसी है उसकी मंशा जाहिर होती है कि सरकार क्या चाहती है और एजेंसी क्या चाहती है। जब से यह सरकार आई है, अपराधों के सम्बन्ध में कार्रवाई तो बहुतों में की गई है लेकिन मान्यवर कोई मैसेज देने वाली, संदेश देने वाली कार्रवाई नहीं की गई यदि गम्भीर अपराध हुआ तो अगर उसी क्वांटम में गम्भीर सजा मैसेज देने वाली होती तो अपराधों की इतनी बाढ़ नहीं आई होती। मान्यवर, आपने कहा था कि हम एक पारदर्शी सरकार देंगे, आपने कहा था कि हर स्तर पर हम पारदर्शिता का अनुकरण करेंगे। आज पुलिस की वेबसाइट पर इसका आंकड़ा नहीं है कि कितने अपराध हो रहे हैं। मैंने आर0टी0आई0 के माध्यम से जो सूचना ली है वह मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, यह 1 जनवरी से लेकर 15 जून तक के आंकड़े हैं। डकैती–113, जिसमें 66 में आरोप–पत्र लग गये और 47 विचाराधीन हैं, लूट–1442, हत्या–2076 यानी कि 12–13 हत्याएं रोज हो रही हैं।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सच्चाई से भागना है, सच्चाई सुन लीजिए यह मेरे घर के आंकड़े नहीं बल्कि आपके आंकड़े हैं। गृहभेदन–2757, फिरौती हेतु अपहरण–22, अन्य अपहरण–5056, दहेज मृत्यु–1016, बलात्कार–1264, महिला उत्पीड़न–4510, वाहन चोरी–12336 और चोरी–20710। मान्यवर, इस पर दो बातें हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ने कोई मैसेज देने वाली कार्रवाई की होती। तो अपराधों का आंकड़ा यह नहीं होता, इससे कम होता। दूसरी बात, आज किसी को सर्टीफिकेट देने या लेने की जरूरत नहीं है। वर्तमान सरकार के जो पुलिस मुखिया हैं उन्होंने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में कुछ बातें कही हैं, अगर अनुमति हो तो उन बातों को आपके सामने सदन में दोहरा दें। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में पुलिस के मुखिया ने क्या कहा–'गंध मचा रखी है कई अफसरों ने,

कुछ कप्तान तो लूटेरे जैसे हैं।' यह मेरी भाषा नहीं है, पुलिस के मुखिया की भाषा है जिसके कमाण्ड में सारी पुलिस है। अभी 14–08–2015 की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग है, इसी हफ्ते की है। कानून–व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कई कप्तान तो लुटेरे से भी खराब हैं, रेंज के आई0जी0 व डी0आई0जी0 क्या कर रहे हैं ? उन्हें नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है ? सबकी जिम्मेदारी तय होती है यह आखिरी चेतावनी है उसके बाद कार्रवाई होगी। ऐसे अफसरों के खिलाफ एण्टी करप्शन की जांच होगी। ये शब्द हैं सूबे के पुलिस के मुखिया डी0जी0पी0 जगमोहन यादव जी के। ''कुछ जिलों में अफसर कप्तान न होकर लुटेरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग देने के लिए लाखों की वसूली करते हैं, जमीन के मामलों में गैर जरूरी हस्तक्षेप करते हैं, अपने आपको राजा समझ लिया है, कुछ अफसर ऐसे हैं जो न समय से दफ्तर पहुंचते हैं और न लोगों से सही व्यवहार करते हैं। इन अफसरों ने अपने–आपको किसी रियासत का राजा समझ लिया है। सरकारी सेवक हो तो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करो।''

श्री सुधाकर–

अध्यक्ष जी, अखबार व मीडिया की खबरों का यहां पर संज्ञान नहीं लिया जाता है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांत रहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

कोई अखबार नहीं है मान्यवर। मा0 नेता विरोधी दल ने जो कहा है उन घटनाओं को मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन इन तीन–चार घटनाओं की ओर जिसमें पुलिस की सड़ियल लापरवाही से वो घटनायें घटीं, अगर लापरवाही नहीं होती तो वो घटनायें नहीं घटती। हमीरपुर की घटना है, इतनी बड़ी घटना हो गयी। 15–07–2015 को, इन्हीं दो लड़कों ने जिनको मुल्जिम बनाया गया है उस बड़ी वाली घटना में, इन्हीं लड़कों ने 15–07–2015 को एक औरत के घर में घुसकर जिसका पति कानपुर में सर्विस करता था उसके यहॉ छेडखानी की, श्रीमती रेखा पत्नी श्री जुगुल किशोर सोनी। इन्होंने बिम्बार थाने के, बिम्बार गॉव में उसके घर में घुसकर उसके साथ छेडखानी की और वह सब कुछ किया जो नहीं किया जाना चाहिए था। यह 14/15 की रात की यह घटना है। 15 तारीख को सबेरे यही रेखा जब थाने में रिपोर्ट लिखाने गयी तो पहले तो उसका माखौल उड़ाया गया, रिपोर्ट लेकर रख लिया गया और कहा कि रिपोर्ट से क्या होगा? उसके बाद इन्हीं दोनों लड़कों ने 24 तारीख को जिस लड़की से छेडखानी की, उसके संग मारपीट भी की तो उस स्वीकृति खरे नाम की लड़की ने दो घण्टे के बाद जाकर आत्महत्या कर ली। यह 24 जुलाई, 2015 की घटना है। मान्यवर, अगर 15 जुलाई, 2015 की घटना में पुलिस ने कार्रवाई कर दी होती तो यह घटना इतनी बड़ी नहीं होती जो हमीरपुर की घटना हुई। तीसरी बात, मान्यवर आगरा की एक घटना है हेमन्तदास एक व्यापारी है, उसने नवम्बर, 2014 में अपने थाना लोहामण्डी को यह सूचित किया कि

प्रांजल दिवाकर हमसे रंगदारी मॉगता है और हमसे यह भी कहा है कि अगर रंगदारी नहीं दोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। मान्यवर, रंगदारी मॉगी गयी नवम्बर, 2014 की घटना है। उसके बाद हेमन्तदास की हत्या होती है और हेमन्तदास की हत्या में सुशील और मनोज, मान्यवर, सुशील उसका लड़का और मनोज गवाह। सुशील ने रिपोर्ट लिखायी और गवाही के रूप में सुरक्षा मांगता रहा, हथियार मॉगता रहा कि निजी हथियार दे दो, सुरक्षा दे दो, 6 से 8 महीने तक वह मॉगता रहा, न उसको हथियार दिया गया, न उसको सुरक्षा दी गयी। उसका परिणाम यह हुआ कि 12–08–2015 को उसकी हत्या कर दी गयी। उसकी हत्या हो गयी। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उस हत्या का जिम्मेदार कौन है ? इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था कि गवाहों की पूरी सुरक्षा की जायेगी। अगर चाहेंगे तो आपके वो शब्द और कार्यवाही हम आपके सामने रख देंगे। गवाहों की सुरक्षा प्रापर तरीके से नहीं होती है, किसी भी क्राइम में अगर गवाह को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आजकल गवाह तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर गवाह नहीं मिलेगें तो पूरी की पूरी क्रिमिनल की जितनी भी सजा है वह सब कुछ एविडेंस पर निर्भर करती है। अगर एविडेंस प्रापर हो गई तो मान्यवर सजा होगी और अगर एविडेंस प्रापर नहीं होती तो सजा नहीं होती मान्यवर। तीसरी घटना मान्यवर, हम केवल इसी बात को कहना चाहते हैं कि जिसमें पुलिस की लापरवाही की वजह से यह सब हो रहा है। मान्यवर, बलिया और गोरखपुर की दो घटनाएं हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मान्यवर, यह सोनौली में अभी चार दिन पहले एक डकैती पड़ी। थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। दो भाई हैं मान्यवर, एक विनोद सिंह और दूसरे महेन्द्र सिंह। व्यवसायी हैं। बड़े भाई की उम्र 53 साल की है। उनके घर में 14–15 डकैत घुसे और कुल्हाड़ी से उनकी कुन्डी काट देते हैं और सीधे सीधे उसको तमंचे से उसको गोली मार देते हैं। दूसरे भाई के कमरे में जाने लगे तो उसकी पत्नी ने उन डकैतों के पैर पकड़ लिये कि जो कुछ लूटना हो लूट ले जाओ लेकिन इनको मत मारो। मान्यवर, मनोज सिंह को उसकी पत्नी ने बहादुरी के साथ खुशामद करके उसको बचा लिया। मान्यवर, 27 लाख रुपये के जेवर और तीन लाख रूपये नकद, यह 30 लाख रुपया अभी लूटा गया है। मान्यवर, यह अभी 17.8.15 की घटना है। कोई पुरानी घटना नहीं है।

मान्यवर, पुलिस जो पहुंची थी, अगर वह हुंकार देती, खाली चिल्ला देती, पुलिस की गाड़ी अगर साइरन बजा देती तो वह भाग जाते। थाने से 100 मीटर की दूरी पर मान्यवर यह घटना होती है और पुलिस को जो करना चाहिए था वह नहीं किया। इसके बाद आई0जी0 ने सब इन्स्पेक्टर से कहा कि तुम पिस्टल को लोड करके दिखाओ। वह इन्स्पेक्टर अपनी पिस्टल को लोड नहीं कर पाये मान्यवर। यह पुलिस की कमी से अपराध हुआ। अगर पुलिस सक्रिय होती या खाली हुंकार देती तो यह घटना मान्यवर नहीं होती। बलिया की दो घटनाएं हमारे सामने हैं मान्यवर। यह थाना उभाव में नीरज राम एक शिड्यूल कास्ट लड़का एक कोचिंग में जाता था वहां सीट पर बैठने को लेकर वाद–विवाद थोड़ा सा हुआ और वाद–विवाद के बाद मान्यवर, यह बात पहुंचा दी गई पुलिस चौकी पर। लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई और उसके बाद चाकुओं से, मान्यवर, 28 चाकू उसको मारे गये अगर शुरू में ही 151 या किसी ऐसी दफा में उसका

चालान कर दिया जाता तो शायद नीरज नाम के लड़के की हत्या न होती। मान्यवर, आज भी इस घटना को लेकर चूंकि बच्चा मारा गया था, लड़का मारा गया था अभी भी दो दर्जन लोग जेल में हैं। और अभी मुख्य अभियुक्त गिरफ्तारी से बाहर है मान्यवर। यह बलिया एभाव का केस है। दूसरा मान्यवर, थाना सिकन्दरपुर का जमीन का विवाद है। यह गणेश राय पूर्व प्रधान की हत्या हुई। हत्या इसलिये हुई कि यह जमीन का विवाद था और उसने लगातार थाने से विनती की कि आप कब देंगे नाप। कब देंगे, कब देंगे और पता चला कि जिस दिन नाप करने गये उसी दिन मौके के ऊपर हत्या कर दी गई और इस मामले में किशनगंज के पारिवारिक कोर्ट के न्यायाधीश आये थे बलिया में और उन्होंने तहसील दिवस पर जो एक्टिंग जिलाधिकारी थे उनसे प्रार्थना भी की। मान्यवर, अगर इसमें देरी न होती तो उसकी जान बच जाती। मान्यवर, ऐसा है मैं इसीलिये कह रहा था।

(दो तीन सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुधाकर–

मान्यवर, भाजपा पार्टी के चेयरमैन हैं, वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने यह घटना कराया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जब से यह सरकार सत्ता में आई है 25 ए0टी0एम0 तोड़े जा चुके हैं और 25 चोरी गये। मान्यवर, बरेली में..

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, बरेली में थाना शीशगढ़ जनपद बरेली में मुकदमा संख्या–64/15, 457/329 में श्रीमन् 15 लाख 56 हजार रुपया पुलिस की मौजूदगी में ए0टी0एम0 से ग्राम सहोड़ा में लूटा गया। मान्यवर, रंगदारी के लिए लखनऊ में कितने अपराध हुए चिनहट में हुए, किसान से रंगदारी मांगी गई रंगदारी नहीं मिली तो उसकी हत्या हो गई। मान्यवर, एक बाराबंकी की घटना है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वह सी0बी0आई0 चली गई। शाहजहांपुर में अगर पुलिस एक छोटे से मामले में चली जाती तो जो हत्या हुई वह न होती। पुलिस की लापरवाही शिथिलता और पुलिस का खराब व्यवहार ही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़े। पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है दूसरी बात उसको काम करने की छूट भी नहीं है। उसको अपने हिसाब से काम करने के लिए

प्रेरित किया जाता है अधिकारी चाहे आई0जी0 हों चाहे डी0आई0जी0 हों, राजनैतिक संरक्षण इतना ज्यादा प्राप्त है कि न्याय नहीं हो रहा है। उनको अपने हिसाब से काम करने की छूट नहीं है। अन्त में मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। पूरनपुर की घटना है मान्यवर, उसमें दो सम्प्रदायों के बीच में झगड़ा हुआ और 12 लोग जेल भेजे गये और लोग जेल में हैं। इसी तरह से मान्यवर, धर्मपाल जी की नौ भैंसे चोरी हुईं चोर भी बताये उन्होंने..

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समाप्त। आप बैठिए।

'बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कानून व्यवस्था के संबंध में जो चर्चा की अनुमति दी है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने एक बढ़िया काम किया कि एक लम्बे अरसे से प्रतिपक्ष, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है तबसे कानून–व्यवस्था को लेकर के हमारे विकास के कामों को अनदेखी करने का और जनता में गलत प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पर चर्चा कराके इनके मन्सूबे पर पानी फेरने का काम किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

यह उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। हम लोग अखबार भी पढ़ते हैं और टी0वी0 भी देखते हैं चेनलों को भी देखते हैं, कानून–व्यवस्था उत्तर प्रदेश की हिन्दुस्तान में जितनी भी प्रदेश की सरकारें हैं। उससे सबसे अच्छी चुस्त और दुरस्त कानून–व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। अगर आज यह आंकड़ा पूरे देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उसको निकाल करके देख लिया जाय। पुलिस पर भी आरोप है मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं श्रीमन कि जिस पुलिस के जिम्मे जिम्मेदारी है हिन्दुस्तान से सबसे बढ़िया और सबसे जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी0ए0सी0मानी गई है। ऐसी बढ़िया पुलिस को प्रतिपक्ष के लोगों ने उसको इंगित करके उसके मनोबल को डाउन करने का काम किया है। जब हम विकास की बात करते हैं कि हम प्रदेश का चौतरफा विकास करेंगे जब हर जिले चार लेन सड़क से जोड़े जा रहे हैं तो यह कानून–व्यवस्था की बात करते हैं राजस्थान की कानून–व्यवस्था क्या है, महाराष्ट्र की कानून–व्यवस्था क्या है बिहार की कानून–व्यवस्था क्या है हरियाणा की कानून–व्यवस्था क्या है यहां तक दिल्ली की कानून व्यवस्था क्या है। देश में किसी भी प्रदेश में मेट्रो की योजना नहीं चल रही है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी मेट्रो की योजना चला रहे हैं तो कानून व्यवस्था खराब जब आज आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेस–वे बनाया जा रहा है तो कानून–व्यवस्था का सवाल उठाते हैं श्रीमन् एक पशुपालक ने एक आदमी से कर्ज लिया और कर्ज अदा नहीं किया तो उसने मुकदमा किया कोर्ट में वहां पर वकील ने अपने मुल्जिम से कहा कि तुम किसी जानवर की भाषा जानते हो तो उसने कहा कि हम म्यां बोलना जानते हैं जज साहब ने पूछा तुमने कर्ज लिया है तो उसने कहा म्यां जब जज ने

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीन बार पूछा कि तुमने कर्ज लिया है तो उसने तीन बार म्यां कहा जज ने कहा कि यह पागल है इसे हटाओ बाहर आया तो वकील ने कहा कि हमारी फीस दो तो उसने कहा म्यां उन्होंने कहा कि यह कोर्ट की बात है बाहर हमारी फीस दो तो वह बोला म्यां हम चारों तरफ विकास का काम करते हैं लेकिन इनको है म्यां जितने प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री हैं अगर हमारे मुख्य मंत्री के पसंगा में भी विकास का काम किए हों हर क्षेत्र में काम किए हों तो कोई सरकार बता दे विपक्ष के लोगों की अन्य प्रदेशों में सरकारें हैं केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार किसी प्रदेश में नहीं है इनकी भी सरकार है, उनकी भी सरकार है वहां क्या हो रहा है हम राजस्थान के बारे में देख रहे थे जितने अपराध आपने गिनाए हैं एक दिन में पचास अपराध हमने टी0वी0 में देखे हैं थाने में बलात्कार हुआ है तीन बलात्कार थाने में हुए हैं आपने देखा नेता विरोधी दल मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं आप हैं भी सम्मान के योग्य अच्छी बात उठाते हैं लेकिन कानून–व्यवस्था की बात हमसे ही क्यों करते हैं अध्यक्ष जी यह साजिस है जब से समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है समाजवादी पार्टी की सरकार हर जाति धर्म और विकास के लिए काम करती है।

पुल सड़क हास्पिटल मेडिकल कालेज सब क्षेत्रों में काम होता है नेता विरोधी दल आपको केवल कानून–व्यवस्था दिखाई देती है। श्रीमन् प्रदेश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। मान्यवर नए तरह के अपराध हो रहे हैं पहले जो अपराध होते थे थाने में हिस्ट्रीशीटर पहचाने हुए होते थे कौन डकैती कर रहा है पहचाना हुआ व्यक्ति होता था कौन मवेशी चोर है पहचाना हुआ व्यक्ति होता था कौन सेंध करता है पहचाना हुआ व्यक्ति होता था थाने के लोग जानते थे। गिरफ्तार करते थे इधर हाईटेक अपराध हुआ है अपराधी कौन है एम0बी0बी0एस0 का छात्र, उस अपराध में कौन पकड़ा गया एम0बी0ए0 का छात्र, कौन पकड़ा गया पता चला इंजीनियरिंग का छात्र परिचित है नहीं। नये तरह के अपराधी तो नये तरह के हमारे मुख्य मंत्री जी नये तरह के अपराधियों पर नकेल कसने के लिये नयी टेक्नॉलाजी पुलिस विभाग में लाकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को बढ़िया स्थिति में ले आये हैं। श्रीमन्, इनके कहने से जनता समझ रही है और जनता ने देखा भी है कि हम किसान को उसके खेत के नुकसान का मुआवजा दे रहे हैं, यह कानून–व्यवस्था की बात उठा रहे हैं, कभी आपने दिया। मा0 नेता विरोधी दल, आप चार बार सरकार में रहे, सूखा पड़ा, बाढ़ आई, अतिवृष्टि आई, ओला पड़ा, एक पैसा कभी किसानों को दिया ? भारतीय जनता पार्टी के तीन–तीन मुख्य मंत्री इस प्रदेश में रहे, ओला पड़ा, सूखा पड़ा, एक पैसा किसी को दिया ? कांग्रेस पार्टी 40–45 वर्ष केंद्र में, प्रदेश में सरकार चलायी, सूखा पड़ा, ओला पड़ा, वर्षा हुयी, एक पैसा किसी को दिया ? नहीं दिया, नहीं दिया।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। शांत रहिये, शांत रहिये। बात सुनिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जब हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी किसानों को राहत देने की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था हिन्दुस्तान के सभी राज्यों से बढ़िया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस से अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य से 100 गुना विकास का काम कर रही है। श्रीमन्, हमारे सभी जाति, धर्म के लोगों के विकास का काम करने में यह रुकावट डालते हैं। कानून–व्यवस्था दुरुस्त है, बढ़िया है। प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता कांग्रेस।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे कानून–व्यवस्था की चर्चा में बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, बात इस बात की है हम इस बात को कह रहे हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी विकास करा रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेस–वे बनवा रहे हैं और आई0टी0 सेक्टर को ला रहे हैं, तमाम एम0ओ0यू0 साईन कर रहे हैं, उस बात को कौन नकार रहा है। हम उस बात की बधाई दे रहे हैं, परन्तु आप सेकेण्ड साईड आफ प्वाइंट को देखिये, सिक्के के दूसरे पहलू को देखिये कि हालात इतने खराब हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी की सारी मेहनत पानी–पानी हो गयी है। हम आपको बता रहे हैं, आप यथार्थ में नहीं जीते। हम मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम असलियत और यथार्थ को बता रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आम आदमी सुरक्षित नहीं है। महिलायें सुरक्षित नहीं हैं, छात्रायें सुरक्षित नहीं हैं और रोज डकैती, लूट, बलात्कार जैसी घटनायें प्रदेश में हो रही हैं। एक लम्बी फेहरिस्त मा0 नेता प्रतिपक्ष ने गिनायी, भारतीय जनता पाटी के मा0 नेता ने गिनायी और हम भी आपको गिनाकर बताते हैं। आज स्थिति यह है कि थाने बिक रहे हैं। आज यदि मा0 मुख्य मंत्री जी इस बात पर गौर करें कि क्या कारण है कि तीन साल में चाहते हुये भी वह कानून–व्यवस्था कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी गहराई में जायें। मा0 अध्यक्ष जी, कारण यह है मा0 मुख्य मंत्री जी, यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश जोन में बंटा हुआ है और रियासतें बंटी हुयी हैं कानून–व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिये। जो आपके यहां के पावर सेन्टर्स हैं उनके नाम से दरोगाओं की पोस्टिंग होती है और दरोगा न डी0जी0पी0 की सुनता है न एस0एस0पी0 की सुनता है न आई0जी0 की सुनता है न डी0आई0जी0 की सुनता है। आज यह हालत है कि सी0यू0जी0 फोन न आपके एस0एस0पी0 उठाते हैं, डी0आई0जी0 को फोन कर लीजिये, न एस0ओ0 उठाते हैं। आज स्थिति यह है कि मर्डर होते रहते हैं, हम लोग और आम जनता फोन करती रहती है पर आपके पुलिस के अधिकारी टेलीफोन उठाने में भी अपनी जेहमत समझते हैं। यह बात कड़वा सच है। आज स्थिति यह है कि आपने महिलाओं के लिये 1090 की हेल्पलाईन खोल रखी है, 100 नम्बर की सेवा है, फोन मिलाकर देखिये कितनी बार फोन उठते हैं।

मा0 मुख्य मंत्री जी, इस बात पर सख्ती करिये। मा0 मुख्य मंत्री जी, हम आपसे कह रहे हैं, हम आपकी सी0यू0जी0 की बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्री जी।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें। आप लोग सुनें।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको खुद अपनी बीती बताऊं। दो लोगों को झूठा फॅसाया जाता है, थाना–कोसी में मैं फोन करता हूं तो वह उस व्यक्ति को घमकाता है कि तुम फोन कराते हो। बाद में पता चलता है कि वह उस व्यक्ति का ज्यादा पावर का कनेक्टेड दरोगा था। मा0 मुख्य मंत्री जी खुद चाहते हैं कि कानून–व्यवस्था सुधरे, परन्तु पॉवर सेन्टर्स से वह लोग हालात सुधरने नहीं देते और यही कारण है कि इनकी की गई मेहनत पर सारा का सारा पानी फिर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप घटनाओं को उठाकर देखें, 20 अगस्त को कल ही निशातगंज में एक कक्षा–8 की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, सरकार की नाक के नीचे, 17 अगस्त को कांग्रेसी शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, दमनकारी नीतियों से उनको पीटा गया। इसी प्रकार 10 अगस्त को बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में दबंगों की मार से मृत व्यक्ति को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। 14 अगस्त को मेरठ में एक फौजी जो लड़की जो बचा रहा था, दबंगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। 10 अगस्त को 18 वर्षीय नवयुवती जीनत का शव सीतापुर कोतवाली के परिसर में लटका हुआ मिला। इसी प्रकार 25 जुलाई को हमीरपुर में थाना–बिवार में कोचिंग पढ़ने वाली कु0 स्वीकृति खरे ने छेड़खानी से परेशान होकर खुद आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार जिला अस्पताल, मथुरा में एक विकलांग नाबालिक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। जनपद मथुरा में ही एक ठाकुर परिवार की लड़की के साथ वाल्मीकि परिवार के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसकी आंखे निकाल लीं और उसको चाकूओं से गोद कर मार डाला। मान्यवर, इसी प्रकार एक दिन पत्रकार जोगिन्दर सिंह की हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार जनपद कुशीनगर में एक लड़की के साथ जबरन बलात्कार किया जाता है, कोई कार्यवाई नहीं होती है। इसी प्रकार जनपद शाहजहांपुर के कस्बा रामपुर में रात्रि में लुटेरे घर में घुस जाते हैं और घर मालिक और उसकी पत्नी तथा अन्य सदस्यों को वनकटी से बुरी तरह मारा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष जी, हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का इम्प्रेशन अच्छा हो। अध्यक्ष जी, इसी प्रकार 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के लोग लक्ष्मण मेला मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार की दमनकारी नीति के तहत् कांग्रेसियों को मारा गया, जिसमें

हमारे प्रदेश अध्यक्ष घायल हुए। मान्यवर, आज हालत यह है कि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही कानून–व्यवस्था के कारण पीछे जा रहे हैं। स्थिति यह है कि जब हम किसी अधिकारी से लिखवाते हैं तो उस पर कोई राहत नहीं मिलती है। कोई आदेश कराते हैं तो लालफीताशाही के चलते हुए कोई भी राहत जनता को नहीं मिल पाती है। इस मामले में हम मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आपकी तरक्की में यह बाधा यह कानून–व्यवस्था बन रही है। आप कानून–व्यवस्था को सुधार लीजिए, पूरे देश और प्रदेश में आपकी बल्ले–बल्ले होगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब मा0 अम्बिका चौधरी जी बोलना चाहते हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं।

'पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह कानून–व्यवस्था पर चर्चा की नोटिस जो दी गयी और आपने पहले ही दिन उसको स्वीकार किया, तीन दिन किसी प्रकार विपक्ष इससे भागता रहा। आज भी ऐसी परिस्थिति थी, किन्तु आज फिर अवसर मिल गया, इसके लिए हम सब का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसा माहौल दे दिया कि इस पर चर्चा हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, जब से समाज बना है। मा0 अध्यक्ष जी, जब से समाज बना है, इतिहास साक्षी है कि किसी भी दौर में जीरो क्राइम की कोई सोसायटी कभी सारी दुनिया में नहीं रही। शून्य अपराध का कोई कान्सेप्ट सिविल सोसायटी में नहीं है। कभी न कभी अपराध होते हैं। अपराध ज्यादा हों, अपराध कम हों कैसे अपराधों को नियंत्रित किया जाये यह सरकार का विषय है। स्टेट पावर की जो सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है, वह यह है कि किस प्रकार अपराधों में कमी की जाए और अपराधी को दण्डित किया जाये। किन्तु लॉ एण्ड आर्डर को इस क्राइम डेटा से जोड़ना एक अलग बात है। कानून–व्यवस्था एक दूसरी स्थिति है और अपराध नियंत्रण एक दूसरी स्थिति है। हमारे तमाम नेताओं ने मिला–जुला कर और हमारे हमारे विपक्ष के नेता जी ने भी कई घटनाओं का जिक्र किया था। मान्यवर, इस लिस्ट को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर वह लिस्ट पढ़नी है तो आपको सम्यक् रूप से यह विचार करना पड़ेगा कि अपराध नियंत्रण की दिशा में स्थिति सकारात्मक है या स्थिति नकारात्मक है।

अपराध नियंत्रण की दिशा में सरकार प्रभावी कदम उठाते हुए उनको कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, अपराधियों को दण्ड दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है यह एक अलग बात है। कानून–व्यवस्था की जो स्थिति है वह मात्र इतने से नहीं होती। अपराध अलग है। जहां खाद नहीं मिलती हो और उसके लिए जब लोग इकट्ठा हो कर जाएं तो और कहें कि हमारे पैसे से हमें खाद दे दी जाए तो आप उन पर लाठी चलाइए और लोग उसका प्रतिरोध करें तो यह लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है। बिजली नहीं मिलती हो और बिजली के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन हो तो उस आंदोलन का रूप यदि विस्फोटक हो जाए तो वह एक कानून–व्यवस्था की स्थिति है।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कानून का समुचित रूप से पालन होने में जहां बड़ी दखलंदाजी होती हो तो वहां कानून व्यवस्था की स्थिति है। अपराध नियंत्रण और कानून–व्यवस्था दोनों को मिला कर के नहीं मैं दो–दो मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बाकी की व्यवस्था ठीक रखनी पड़ेगी। मा0 मंत्री जी श्री राम गोविंद चौधरी जी ने और योगेश जी ने यह बात बहुत स्पष्टता से बतायी है। जब विकास का एजेण्डा चलता रहेगा तो कानून–व्यवस्था की स्थिति कम पैदा होगी और जब विकास को रोक कर के झूठे वायदे किए जाएंगे, किसानों को समय पर खाद नहीं मिलेगी, उनकी फसलों के नुकसान के समय मुआवजा नहीं दिया जायेगा, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिलेगी, बिजली की आपूर्ति नहीं होगी, विकास का कार्य ठप हो जायेगा, विद्यालय बंद हो जाएंगे, अस्पताल बेकार हो जाएंगे, मान्यवर, तब कानून–व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। कानून–व्यवस्था की स्थिति सरकार में और विशेषकर इस दौर में सर्वोत्तम इसलिए भी है क्योंकि इन सारी व्यवस्थाओं पर सरकार ने सकारात्मक तरीके से कदम उठाएं हैं। मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं, तुलना सबके सामने है। लेकिन इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस देश के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में हुई। अगर तुलना करके देखें, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा और अगर कहेंगे तो मैं आंकड़े आपको दूंगा लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते किसी किसान ने आत्महत्या इस कारण से नहीं की, कि उसकी दुर्दशा हो रही है। इसका कारण क्या है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

आप अपनी बात कहिएगा मैं आपकी बात में दखल नहीं देता। आपका जब समय आए तब कहिएगा। मा0 अध्यक्ष जी, किसान की दुर्घटना होने की स्थिति में सबसे पहले हमारे नेता जी मा0 मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने किसान के परिवार के रोते–बिलखते बच्चों को सांत्वना देने के लिए एक लाख रुपये से किसान दुर्घटना बीमा उन्होंने शुरू किया। मान्यवर, अपने चुनावी घोषणा–पत्र के वायदे को पूरा करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी ने 375 करोड़ रुपये सलाना बजट की व्यवस्था करके एक लाख की धनराशि को 05 लाख करके किसान दुर्घटना बीमा में देने का काम किया। किसान उससे संतुष्ट भी होगा। यह सभी जानते हैं कि दैवीय आपदा का पैसा देना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं यह नहीं कहता कि इससे पहले किसी ने नहीं दिया, दिया होगा परन्तु बहुत कम दिया। हम लोगों ने देखा है, कभी सूखा पड़ा तो कितना दिया दो रुपये, चार रुपये, आठ रुपये के चेक, सात रुपये के चेक, पांच रुपये के चेक इस तरह के चेक मिलते थे। लेकिन चाहे न्यूनतम दो बिसवा भी खेत हों लेकिन ओलावृष्टि से उसकी फसल का नुकसान हुआ हो तो 15 सौ रुपये, डेढ़ हजार रुपये न्यूनतम देने का फैसला मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया। इसलिए किसान के यहां अनरेस्ट नहीं है। जब अनरेस्ट नहीं होगा तो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी और दूसरी बात यह है कि काननू–व्यवस्था की मशीनरी का ठीक होना। मशीनरी ठीक होने

के लिए हम अपना सिस्टम स्ट्रेंथन करते हैं। जहां 100 नम्बर की बात आयी है। 100 नम्बर तो बहुत पुराना नम्बर है। यह पूरे देश में है। पुलिस बुलाने के लिए 100 नम्बर कोई नया नम्बर नहीं है।

लेकिन मान्यवर, 100 नम्बर के साथ क्या हुआ। 100 नम्बर को एक मार्डन कंट्रोल रूम बनाकर इस प्रकार से जोड़ा गया कि उस 100 नम्बर को डायल करते ही न सिर्फ पुलिस वहां पहुंचेगी बल्कि किसने उस फोन को उठाया, सबसे नजदीक कौन सी गाड़ी क्यू0आर0टी0 की है, उसके किस सिपाही को उसकी सूचना मिली उसका नाम क्या है, गाड़ी का नम्बर क्या है, कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकेंण्ड पर वह काल रिसीव हुयी और कितने बजकर कितने सेकेण्ड पर वह कम्प्लेन अटैण्ड हो गयी। यह व्यवस्था है। अगर यह व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी तो इसकी मानीटरिंग हो पायेगी कि 100 नम्बर का क्या मतलब है और 100 नम्बर का मतलब अब सिर्फ लखनऊ नहीं है। 100 नम्बर का मतलब अब सिर्फ लखनऊ, कानपुर, आगरा और बनारस नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जिसमें 100 नम्बर डायल करने पर उसमें प्रदेश के सभी जिलों का डेटा इस प्रकार से रहेगा कि प्रदेश के कोने–कोने में दूरस्थ गांवों तक का भी कोई व्यक्ति 100 नम्बर डायल करेगा तो उसकी मानीटरिंग होगी कि पुलिस ने पहुंचने में देर की या जल्दी पहुंची। यह व्यवस्था है। मान्यवर, जहां गाड़ियां नहीं थी। वहां प्रत्येक थाने में दो–दो जीपें देने का काम किया है। सबके यहां पहुंच गयीं हैं। आपने कहा कि पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी यही है कि पुलिस थाने में आने–जाने वाले व्यक्ति का, अगर कोई आपत्तिजनक व्यक्ति से कोई थाने का दारोगा सम्पर्क करता है। पहले थाने में दलाली होती थी। तो अब थाने में कोई दलाल इसलिए नहीं जा सकता कि दो–दो सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये हैं जो 24 घण्टा इस बात को रिकार्ड करते हैं कि कौन व्यक्ति थाने में कब आया और कब थाने से निकलकर बाहर गया। यह बन्दोबस्त है। सिपाहियों की, सब इंस्टपेक्टर की कमी को पूरा करने के लिए इनकी भर्ती करने का काम किया। उनका मनोबल नहीं टूटे इसलिए उनका प्रमोशन करने का काम किया। यह महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी उस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना चाहते हैं और कानून–व्यवस्था को समझते भी हैं। परिणाम क्या है। परिणाम है। अभी माथुर साहब मथुरा का जिक्र कर रहे थे और अभी हमारे किसी साथी ने याद दिलाया कि करोड़ों लोग आपके यहां मेले में आये। कोई लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुयी। नहीं हुयी और मान्यवर, महत्वपूर्ण त्योहार भी थे, रमजान का महिना भी था और दूसरे तमाम त्योहार बीते हैं। पूरे प्रदेश में एक भी स्थिति कानून व्यवस्था की नहीं पैदा हुयी। ऐसा इसलिए हुआ कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने सिर्फ झूठे वायदे करने का काम नहीं किया। जहां कमियां थी वहां स्वीकार किया। उन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाये। उनके लिए समुचित बंदोबस्त किया। और मान्यवर, एक ओर फोर्स का मनोबल बढ़ाया और उसके साथ–साथ जो उसका हक था उसको प्रमोशन भी दिया, उसको साधन भी दिये, उनको संख्या भी दी। इन कार्यों से मान्यवर, कानून–व्यवस्था होती है।

मान्यवर, सीतापुर में एक घटना, अलीगंज में एक घटना। ऐसे थोड़े ही काम चलेगा। एक घटना बताने से नहीं चलेगा। हम सिर्फ पुलिस को बढ़ाने या छूट देने की

बात नहीं करते। उसके अलावा भी यह बात करते हैं कि अगर हमीरपुर में कोई घटना किसी थाना क्षेत्र में छेड़खानी की घटना की, युवती की हत्या की शिकायत आती है तो पुलिस अधीक्षक को हटा दिया और मान्यवर, सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की किसी ने मांग नहीं की थी, आन्दोलन नहीं था। मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं सी0बी0आई0 जांच के लिए संस्तुति के लिए भेजा। कोई करता है क्या, कोई नही करता। मान्यवर, सी0बी0आई0 जांच के लिए दुनियाभर के आन्दोलन होते हैं, तमाशे होते हैं। मान्यवर, 06 जुलाई को कोठी में, फर्जी घटना है अभी योगेश जी ने बताया है। लेकिन बावजूद इसके अगर उस घटना में कोई संदिग्ध स्थिति है तो जांच होनी चाहिए। मान्यवर, दोषी पुलिसकर्मियों को तुरन्त निलंबित किया, बल्कि जांच में जो बात आएगी, पता चलेगा। लेकिन मान्यवर, उनको तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। मान्यवर, सदर कोतवाली, कन्नौज में दो समुदायों में कब्जे का विवाद था। इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए नियंत्रित किया गया, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उनको निलंबित करने का काम किया। गोरखपुर में 07 जून को एक घटना हुयी, बहुत गंभीर घटना बनाने का काम किया गया। लेकिन लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट होने दी और उसको नियंत्रित करने का काम किया। मान्यवर, प्रत्येक स्थिति में किया, मैं अगर लिस्ट पढ़ूं तो ज्यादा हो जायेगा, लेकिन एक बात का आपसे उल्लेख करना चाहूंगा, अभी खन्ना साहब ने बलिया का नाम लिया, मैं बलिया से आता हूं, इसलिए बलिया की बात नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे बलिया का उन्होंने सवाल उठाया, आपने जवाब नहीं दिया। बलिया की जिस घटना का आपने उल्लेख किया, क्या घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और नौजवान की हत्या हो गई, लेकिन उसको साम्प्रदायिक रंग देने का जो प्रयास हुआ, पुलिस ने उसको नहीं कामयाब होने दिया, इसलिए हम अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत ही सराहना करते हैं कि बहुत जोरदार तैयारी हुई, गोरखपुर से तैयारी हुई, दूसरी जगहों से तैयारी हुई, डा0 अग्रवाल साहब गोरखपुर से ऐसी तैयारियां हुई आप पता लगा लीजिएगा कि उसको साम्प्रदायिक तरीके से विद्वेष की स्थिति पैदा कर के और रंग दिया जाय, नहीं होने दिया, पुलिस ने मजबूती से उसको कन्ट्रोल करने का काम किया, ये लॉ एण्ड आर्डर के कण्ट्रोलिंग का सिस्टम है हमारी सरकार का, उसको नहीं होने दिया। मान्यवर एक हत्या हुई उसमें जो अपराधी थे गिरफ्तार हुए, उनके विरूद्ध कार्यवाही हो रही है, वह जेल जायेंगे और परिणाम क्या निकला, परिणाम यह है मान्यवर आप आंकड़े दिखवा लें, मैं कोड करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, 52 फीसदी आज की तारीख में रेट ऑफ कन्विक्शन है, 52 फीसदी रेट ऑफ कन्विक्शन क्यों हुआ, खन्ना साहब ने ठीक कहा कि सजा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम सजा की बात बताना चाहते हैं आपको, हम स्वीकार करते हैं आपकी बात को कि सजा नहीं मिलेगी, तो अपराध पर नियंत्रण नहीं होगा। कानून का कोई भय नहीं रह जायेगा अगर सजा नहीं मिलेगी, तो मान्यवर यह जो रेट ऑफ कन्विक्शन इतना गिर गया था, सुदृढ़ तरीके से सिर्फ गवाहों को संरक्षण की वजह से यह घटना हुई है, अगर घटना है तो उस पर कार्यवाही हो रही है, लेकिन गवाहों को सिर्फ संरक्षण देने का मामला नहीं है, ठीक ढंग से तफ्तीश हो, ठीक ढंग से उसकी मॉनीटरिंग हो, उससे बेहतर उसका पर्यवेक्षण हो, बेहतर ढंग से उसका प्रासीक्यूशन हो और उसको एक निर्णायक अन्त तक, एक तार्किक अन्त तक ले जा कर के अपराधियों

को सजा मिले, ये बन्दोबस्त है सरकार का और उसको करने का काम मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है, इसलिए मान्यवर हम बधाई देना चाहते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति में विशेष तौर पर मा0 मुख्य मंत्री जी का जो विकासोन्मुखी रवैया है और विकास पर जोर देकर के सबका विश्वास हासिल कर के प्रदेश को आगे की ओर चला कर के लोगों की तकलीफ को दूर कर के और अपनी पुलिस को सुदृढ़ करके कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया मान्यवर, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं और कानून–व्यवस्था पर जो ये छोटे–मोटे अपराधों का जिक्र के बजाय मैं चाहूंगा कि कोई बात कीजिए, क्योंकि प्रदेश हमारा आपका सबका है, सरकार की कमियों को बताइये, कोई हर्ज नहीं विपक्ष में हैं, लेकिन कोई सकारात्मक बात कीजिए कि इस कानून–व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उन सुझावों को भी लेकर के आइये तब इस चर्चा का कोई महत्व निकलेगा। मा0 अध्यक्ष जी आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री वीरपाल राठी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कानून–व्यवस्था की चर्चा में भाग लेने के लिए बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और यह भी सच्चाई है कि जो मा0 अम्बिका चौधरी जी अभी बोल रहे थे, बिल्कुल सच्ची बात बोल रहे थे और मैं यह भी बात कहूंगा कि आज जिस मंत्री के पास हम लोग जाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन साथ में एक निवेदन करूंगा आपसे कि आज अखबार पढ़िये, सच्चाई पर भी आ जाइये कि सच्चाई क्या है, अपराध कैसे बढ़े हुए हैं और क्यों बढ़े हुए हैं। हम मानते हैं कि जो सत्ता पक्ष में है वह कहेगा कि कानून–व्यवस्था ठीक है, जो विरोध में है वह विरोध की बात करेगा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन हमे सच्चाई को जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है, आप अखबार पढ़िये सुबह उठिये, रोजाना लूट, हत्या, डकैती आदि की खबरे पढ़ने को मिलती हैं। मा0 अध्यक्ष जी, अभी आगरा की एक घटना मैं आपके सामने कहूंगा, सब बता चुके, मैं भी बता दूं, आगरा की एक घटना है मकदई थाना है जगदीशपुर जनपद आगरा मे, एक व्यक्ति का वारण्ट लेकर के पुलिस जाती है, उसी परिवार ने पुलिस पर हमला बोल दिया, पुलिस की उनकी गुत्थम–गुत्था हुई, लेकिन कार्रवाई पी0ए0सी0 को बुलाकर के पूरे गांव की पिटाई, अगर नहीं हुई हो तो मैं सदन से इस्तीफा देकर के चला जाऊंगा, जांच करा लीजिए, सच्चाई यह है। अभी मेरे थाना क्षेत्र बड़ौत के अन्तर्गत दो किसान रात्रि में जब उन्हें बिजली नहीं मिली तो धरने पर बैठे थे और पुलिस ने उनको जबरदस्ती बुला करके बन्द कर दिया। आज क्योंकि वह पुलिस का व्यक्ति किस जाति का है, यह भी जॉच कर लेनी चाहिये। आज यह जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो मैं मुख्य मंत्री जी की सराहना करूंगा कि इनका दोष नहीं है लेकिन दोष उन व्यक्तियों का है जो थाने में जाति विशेष का लाभ ले रहे हैं। उनको भी आप देखिये कि उनकी कार्यवाही क्या है। वे जातिवाद के आधार पर कार्यवाही करते हैं। मान्यवर, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और झूठा मुकदमा दर्ज करके उन किसानों को जेल भेज दिया गया। मैं गया और थाने में बैठा, मैंने थाने में बैठ करके, जा

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके कहा कि ये गलत कार्यवाही हो रही है तो पुलिस वाले ने कहा कि विधायक जी जो करना है कर लीजिये। मैं किस जाति का हूं और किस जाति का राज है, ये भी सोच लीजिये।

श्री वीरपाल राठी–

यह सही है। यही हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ बड़ौत थाने में हुआ है।

(सत्तापक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

आप मेरी बात सुन लीजिये। मान्यवर, जो मैंने बात की, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जांच करा लीजिये। एक बात और कहना चाहूंगा। अभी कानून–व्यवस्था पर आप जेलों में जाईये, जेलों में जाईये।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य द्वारा वॉट्स–अप कहने पर)

वॉट्स अप पर मैं जानता हूं कि क्या है ? मुझे खूब पता है। मान्यवर, जेलों में जाईये, वहां से अपराध संचालित हो रहे हैं। जितने गुण्डे बैठे हैं वहां से अपराध कर रहे हैं। मैंने जो जेल के अधिकारी थे उनसे वार्ता की, मैंने अपने एस0पी0 से कहा कि मेरे जिले के अन्दर रोजाना के अपराधी फिरौती मांग रहे हैं, रोजाना मांग रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमें कायम कीजिये और उनके टेलीफोन छीनिये। एक का भी टेलीफोन आज तक नहीं छीना गया। मान्यवर, अभी हमारे वहां एक मर्डर हुआ और कैसे खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। एक बात की चर्चा सदन में करूंगा कि वे मेरे भी नेता हैं, मैं भी आदर करता हूं, इस सदन में रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, देश के बहुत बड़े नेता हैं लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द कहे कि नौजवान हैं, फिसल जाते हैं।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

अध्यक्ष जी, मुझे बोलने दिया जाये, मुझे अपनी बात कहने दें।

श्री अध्यक्ष–

अरे, आप लोग शान्त हो जायें।

श्री वीरपाल राठी–

अभी समय खत्म नहीं हुआ। बयान आया कि जो औरत के साथ बलात्कार होगा तो नौकरी देंगे। ऐसे बयान जब एक बहुत बड़ा नेता देगा जिसने देश और दुनिया में एक संदेश दिया हो, जिस नेता ने प्रदेश को एक स्तर पर पहुंचाया हो और जिसने ऐसे–ऐसे कार्य किये हों जिनकी सराहना पूरा प्रदेश करता है और उसके ऐसे बयान, उसके ऐसे बयान से क्या प्रदेश में उकसावा नहीं होगा ?

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अरे, मा0 सदस्यगण, इनको बोलने दीजिये न। इनको बोलने दीजिये 02 मिनट में खत्म हो जायेगा। अब टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग बैठ जाओ। राठी साहब, आप बोलो, जल्दी खत्म करो।

श्री वीरपाल राठी–

अध्यक्ष जी, जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, जहां मैंने तारीफ की, जहां मैंने सरकार की तारीफ की, आप बोलो मैंने तारीफ की कि नहीं की और जहां मुझे सरकार के निगेटिव काम लगे तो मैंने उसकी आलोचना भी की। मैं निवेदन करूंगा कि झगड़े हुये, हिन्दू–मुस्लिम झगड़े हुये। मान्यवर, हिन्दू–मुस्लिम झगड़े हुये तो कार्यवाही एक पक्षीय हुई, कार्यवाही केवल एक पक्षीय हुई। सरकार से मेरा निवेदन है।

(सत्ता पक्ष द्वारा सदन में शोर की स्थिति)

श्री वीरपाल राठी–

चलिये, ठीक है, आप लोगों की इच्छा नहीं है तो मैं नहीं बोलता। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी आदर करता हूं सरकार का।

(शोर के मध्य)

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, वह हिन्दू–मुस्लिम दंगा नहीं था, वह जातीय दंगा था।

श्री वीरपाल राठी–

वह जातीय दंगा नहीं था, वह जातीय दंगा नहीं था। मुझे अपनी बात कहने दो। मान्यवर, मैं यह बात कहना चाहता हूं और मेरे कुछ सुझाव हैं। कानून–व्यवस्था के मुद्दे पर मेरा एक सुझाव है। मान्यवर, आप देख लीजिये, पूरे प्रदेश के अन्दर कितने ही मुकदमें है, जिन लोगों के ऊपर उनको सुरक्षा दी हुई है, वह सुरक्षा में बैठकर अपराध कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर के 6 महीने के अन्दर–अन्दर अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, कानून–व्यवस्था पर अंकुश लग नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति सिंह वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कानून–व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी, मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने भी शाहजहांपुर की घटना का नाम लिया और हमारे मित्र माननीय नेता भाजपा खन्ना जी ने भी शाहजहांपुर के पत्रकार जोगेन्द्र सिंह की घटना के बारे में कहा और कांग्रेस के नेता माननीय माथुर जी ने भी कहा कि जोगेन्द्र की हत्या हुई। मान्यवर, मैं इस सदन के सम्मुख कहना चाहता हूं कि इस घटना को हमारे विरोधियों ने हमसे तिकड़म करके जोड़ने का काम किया और जो भी घटना का रूप है, माननीय खन्ना जी को एक–एक प्वांइटवाइज उसकी पूरी जानकारी है कि कैसी घटना थी क्या था। हत्या की बात जो कही गई, यह आत्महत्या थी और एक बहुत बड़ा षडयंत्र रचकर विरोधी दल के लोगों ने मान्यवर, सरकार को बदनाम करने का काम किया। जांच चल रही है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। ये मान्यवर, हत्या नहीं है, ये आत्महत्या की गई है। इसमें पहली तारीख से लेकर मान्यवर, जब जोगेन्द्र सिंह ने

आत्महत्या की अपने को आग लगाने का काम किया, तब से लेकर जब वह यहां लखनऊ में इलाज कराने के लिये यहां पर आया, हमारे जिला प्रशासन ने उसे भर्ती कराके इलाज करवाने का काम किया, उसी समय से एक आई0पी0एस0 अधिकारी लगातार उनके घरवालों के सम्पर्क में रहे और लगतार उन लोगों को गुमराह करने का काम किया, उसमें हमारे विरोधियों का भी हाथ था। पूरी योजनाबद्ध तरीके से और मान्यवर, उन्होंने शाहजहांपुर तक पूरी योजना बनाई और सरकार को बदनाम करने की नीयत से, जब वह डेडबॉडी जोगेन्द्र सिंह के यहां शाहजहांपुर पहुंची तो सारे परिवार के लोग इकट्ठे हुये, समाज के लोग इकट्ठे हुये और दाह संस्कार करने की तैयारी हो रही थी, उसी समय लखनऊ से एक फोन जाता है और फोन जाने के बाद वहां पर जो पत्रकार मौजूद थे, उन्होंने विरोध किया कि पहले रिपोर्ट लिखी जायेगी उसके बाद दाह संस्कार होगा, चिता में आग लगेगी तो मान्यवर, बहुत ही सोची–समझी चाल के तह षडयंत्र के तहत हमको बदनाम करने की नीयत से, सरकार को बदनाम करने की नीयत से फंसाने का काम किया गया। यह हत्या नहीं है, यह आत्महत्या है एक बहुत बड़ा षडयंत्र है और एक अधिकारी ने 13 तारीख को वहां जाकर पूरी घटना को इस तरह से मोड़ दिया मान्यवर, कि धरना–प्रदर्शन करके और पूरी देश की मीडिया को बुलाकर सरकार को बदनाम करने का काम किया है। मैं सदन से यह चाहूंगा कि यह जो हत्या का अभी नाम लिया गया है, वह कार्यवाही से शब्द निकाला जाए। मान्यवर, आपने हमें मौका दिया, इसके लिये बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्रीमती रजनी तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कानून–व्यवस्था की चर्चा पर बोलने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपकी बहुत–बहुत आभारी हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति वाकई में बहुत खराब है। अभी सत्तापक्ष के लोगों ने बोला, अधिकतर लोगों ने यही बात कही कि कानून–व्यवस्था के विषय में क्या कहें, दूसरी बात रखी जाए। मान्यवर, इससे यह साबित होता है कि मान्यवर, सत्ता भी जानती है, हां सरकार भी जानती है कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। मान्यवर, एक अनुरोध मैं आपसे करना चाहती हूं कि सबसे पहले आप सत्ता पक्ष से यह कहिये कि अगर वह अपनी बात रखते हैं तो विपक्ष की बात सुनना भी सीखें। माननीय अध्यक्ष जी हम अपने जनपद की बात रखते हैं, मेरे जनपद में सुरसा थाना क्षेत्र में कल 13 साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद चाकुओं से गोद कर उसकी बुरी तरह से हत्या कर दी गयी। मान्यवर, यह एक घटना नहीं है। सिगमर में हरदोई जनपद की इस घटना का जिक्र करती हूं थाना पिहानी के करहल गांव में 13 साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी गयी। थाना बिलग्राम में 4 चार साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या हो गयी। मान्यवर, इस तरह के अपराध इतने बढ़ गये हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश क्राईम प्रदेश बन गया है। मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि हर सरकार में हर समय क्राईम होते हैं। अपराध होते रहे हैं लेकिन यह सत्य है कि इस सरकार में जितने अपराध बढ़ गये हैं इतने अपराध पहले कभी नहीं हुए। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में रूपापुर कस्बे में श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा जी की थोड़ी सी

जमीन है, तहसील प्रशासन भी इसको जानता है, वह लोग बहुत सज्जन व्यक्ति हैं लेकिन उनकी जगह पर अवैध कब्जा करवाया गया है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाकर तुरन्त कार्यवाही करवाई जाये ताकि उनके साथ अन्याय न हो। माननीय अध्यक्ष जी 23–24 जुलाई की रात्रि में हरपालपुर में सर्वेन्द्र पाण्डे की सर्राफा की दुकान में चोरी हो गयी, अभी तक उस उसमें कोई खुलासा न होने से व्यापारियों में काफी रोष है जिससे व्यापारी परेशान है। मान्यवर, आपसे कहना चाहते हैं कि अगर सरकार की बात होती है तो वह लोग आकड़े रख देते हैं, मान्यवर आंकड़े रख देने से सरकारें अच्छी नहीं हो जाती, सरकार की सोच अच्छी होनी चाहिए। जमीन पर कार्य दिखाई देना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए। आज अगर आप देखेंगे जन मानस से यही आवाज आ रही है कि प्रदेश में बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। मान्यवर, पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन मायावती जी के नेतृत्व की लोग सराहना कर रहे हैं। बहन मायावती जी की कानून व्यवस्था की लोग सराहना कर रहे हैं। इसी के साथ मै अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज पाण्डे)–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी यह सही है कि कानून व्यवस्था पर जो चर्चा हो रही है, उस पर कहीं न कही विकास का मामला भी आया है। हमारे कई सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, नेता भाजपा इन सभी ने खराब कानून व्यवस्था के विषय में कुछ आंकड़े दिये हैं। हम आंकड़ों पर तो नहीं बोलना चाहते है इसलिए कि जब आंकड़ों की बात होगी तो हमको लगता है कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन यहां बैठा है और जो भी सम्मानित सदस्य बैठे हैं वह अपने जिले की घटनाओं के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मैं रायबरेली की एक घटना से शुरू करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रायबरेली में कल एक व्यक्ति की दुकान पर चार गुण्डों ने घुस कर उसकी दुकान में उसकी हत्या कर दी। यह सही है कि घटना घटी है, घटना दुखद है लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद है कि घटना को जिस तरीके से यहां बताया गया वह सच्चाई से परे है। घटना होती है, एक बन्दूक के दुकानधारी, गन की दुकान है एक पिस्टल को साफ कर रहे थे, गोली चल गई और व्यक्ति की मृत्यु हो गयी।

मान्यवर, सवाल एक घटना का नहीं है माननीय अम्बिका जी ने कहा कि इस सृष्टि पर वह कौन सा समय रहा जब अपराध शून्य कोई काल रहा हो। अपराध हो रहे हैं अपराधियों की परिस्थितियां यह हो गयी है कि आज इस पूरे सदन को चाहे वह पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सबको यह सोचना पड़ेगा कि क्या जो परिस्थितियां पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पैदा की जा रही हैं यह एक साजिश नहीं है प्रदेश सरकार के खिलाफ, प्रदेश के विकास को रोकने का एक बड़ा षड़यन्त्र हो रहा है। जब आज उत्तर प्रदेश सरकार 102, 108 पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार उन किसानों को जिनकी तरफ कोई नहीं देखता था उन किसानों को 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा योजना दे रही है । 108 उन गरीब परिवारों को जिनके घर में गाड़ियां नहीं थी, बूढ़े पिता को और बूढ़ी मॉ को अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था, उस काम को आज उत्तर प्रदेश

के मुख्य मंत्री करने का काम कर रहे हैं। तो आज झूठी कानून व्यवस्था का सवाल उठा करके सरकार के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। अगर बात कानून व्यवस्था की होती तो आंकड़े हमारे पास भी है और आंकड़े इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध 9 प्रतिशत, राजस्थान में 7 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 2 प्रतिशत, छोटा सा राज्य हैं झारखण्ड कितनी घटनायें हो गयीं 27954 जिसमें महिलाओं के प्रति कितनी घटनायें हुई हैं 11000, आज उस पर चर्चा नहीं हो रही है। इसी उत्तर प्रदेश में महाकुम्भ हो गया। ला एण्ड आर्डर से जुड़ी बात है साढ़े तीन करोड़ लोग आते हैं क्या व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि खोये हुए साढ़े तीन लाख लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम किया गया। आज 1090 हम समझते हैं कि प्रदेश की बहुत बड़ी महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षा देने वाली योजना है। कहा जाता है कि फोन नहीं उठता अगर फोन नहीं उठता तो आज उन बहनों को कैसे सम्मान और न्याय मिल गया यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज थानों का आधुनिकीकरण किया गया। थानों में एक टूटी हुई जीप जो धक्का मारकर चलती थी पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं सोचा की अच्छी पुलिसिंग के लिए नई गाड़ी आये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि हर थाने में उन्होंने दो गाड़ी देने का काम किया। आज उनको नई गाड़ियां मिली है और अच्छी पुलिसिंग हो रही है क्या सोच है। 100 नम्बर अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है आज 100 नम्बर को आधुनिकता से जोड़ने का, समयबद्ध करने का और जवाबदेही का अगर किसी ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने किया है। हम सदन के बाहर की चर्चा यहां नहीं करना चाहते हैं कुछ लोग आसमान की तरफ मुंह करके थूकना चाहते हैं। कुछ नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जिनको पूरे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आपने चौधरी चरण सिंह की बात उठायी यहॉ पूरे देश का किसान चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करता है लेकिन यह याद रखिये कि चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में किसानों की बात किसी ने संसद से लेकर सड़क तक उठायी है तो वह नाम धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव का रहा है। यदि उनके नाम के साथ कोई ऐसी बात की जाय तो हम समझते हैं कि यह सदन की गरिमा के खिलाफ बात होगी। सड़क से लेकर संसद तक जितनी महिलाओं के अधिकार और सम्मान की लड़ाई हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने लड़ी है उतनी हिन्दोस्तान के किसी दूसरे नेता ने नहीं लड़ी है। आज कानून व्यवस्था पर माननीय मुख्य मंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वह इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में एक नये सिरे से आधुनिक रूप देने का काम कर रहे हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता है और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

'श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी हम आपके आपके आभारी हैं कि आपने मुझे कानून व्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी किसी भी

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार की कसौटी होती है और उसकी कसौटियों में आंका जाता है कि वह कसौटी में खरी उतर रही है या नहीं। कसौटी में दो बिन्दु होते हैं नम्बर एक सुरक्षा नम्बर दो विकास। माननीय अध्यक्ष जी, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति अपने को सुरक्षित अनुभव करे, खेत में काम करने वाला व्यक्ति अपने को सुरक्षित अनुभव करे, विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका और बालक अपने को सुरक्षित अनुभव करे, दुकान में काम करने वाला व्यक्ति अपने को सुरक्षित अनुभव करें तो माना जाता है कि वह शासन कसौटी में व्यवस्था में सुरक्षा में उत्तम माना जाता है। मान्यवर, विकास तो हो ही जायेगा। जब कोई व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित अनुभव करता है, सुरक्षित होगा तो अपना विकास कर लेगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सरकार की कसौटी के लिए कानून व्यवस्था बहुत आवश्यक होती है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कानून की आवश्यकता है और वह कानून स्वच्छ और निष्पक्ष होना चाहिये। सबको निष्पक्षता के आधार पर न्याय मिले। आज उत्तर प्रदेश में अपराध बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और कानून का राज समाप्त हो चुका है। यहां पर गुण्डाराज है और एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त हो चुका है। कत्ल, डकैती, अपहरण, बलात्कार, व्यभिचार जैसे अपराधों में रिकार्ड तोड़ वद्धि हुई है। सबसे खास बात यह है कि बलात्कार की घटनायें पुलिस कर रही है, आम जन करे तो समझ में आता है, पुलिस के सिपाही घरों से बेटियों को उठाकर लाते हैं और कहीं और बलात्कार नहीं करते बल्कि थानों में बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद फिर उनकी हत्या भी कर देते हैं। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की बनी है वह बद से बदतर होती चली जा रही है।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री धर्मपाल सिंह–

ज्यादा जोर से बोलने से आवाज को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, मैं बदायूं की घटना बता रहा हूं, एक सिपाही घर से बेटी को उठाकर लाया, थाने में बलात्कार किया और मुकदमा लिखा गया, लेकिन आज भी मुश्किल से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस तरीके से बेटियों के साथ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिनको सुने सुना नहीं जा रहा है। अपराधों के बढ़ने के कई कारण हैं। किसी सरकार में अपराध तब बढ़ते हैं जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। आज जिस तरीके से अराजकता का माहौल बना है उसका कारण है पुलिस से भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की सांठ–गांठ, राजनेताओं और नौकरशाहों की सांठ–गांठ, पुलिस से अपराधियों की सांठ–गांठ और पशु तस्करी। पशु तस्करी के मामले में आज बहुत स्थिति खराब है। इसमें सबसे बड़ी गौ–वंश की समस्या है, गौ–वंश की स्थिति इतनी खराब है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में सौ गायें काट दी गई, हमने वहां अपराध थाना सिरौली में दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज हो गया, महेश पाल सिंह ने जब मुकदमा दर्ज कराया, तो मुकदमा दर्ज होने के बाद एस0ओ0., सिरौली ने उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जहॉ

कसाइयों ने गाय काटी थी। मुकदमा दर्ज हो गया, इसके बाद एस.ओ. ने दो महीने के बाद धारा–182 में मुकदमा लिख दिया कि इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की।

मान्यवर, कानून एक होना चाहिये। मान्यवर, सत्ता की पहुंच की ऊंची रसूख रखने वाले माननीय मंत्री जी की भैंसों की चोरी हुई और भैंस बरामद हो गई और जब हमारी भैंसे चोरी हुई तो आज तक हमारी भैंसे नहीं मिली है। मान्यवर, हमने चोरों के नाम बता दिये, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी की भैंसों के जो चोर थे वह एक साल बाद पकड़ गये। माननीय अध्यक्ष जी, सच में हमने संभावित चोरों के नाम बताये तो भी उन चोरों को नहीं पकड़ा गया। इसी तरीके उत्तर प्रदेश में जो महा अपराध हो रहा है उससे स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की घटना बता रहा हूं। जनपद बिजनौर में मुकदमा अपराध संख्या– 33/2014 कोतवाली धामपुर, मुकदमा संख्या–24/2015 थाना नूरपुर, थाना छौहरा इसमें डकैती पड़ी है, लेकिन अभी तक इन घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ है। इसी तरीके से थाना शामली की एक घटना है इसमें दस्तूर नामक व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज माहौल बिगड़ा है और बहुत खराब है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात आचार्य चाणक्य जी की एक बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा। बुरे राजा के राज में न तो जनता सुखी होगी और न ही देश की जनता का भला होगा। मा0 अध्यक्ष जी, बुरे राजा से अच्छा है कि राजा ही ना हो। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था बहुत खराब है आपने इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री राम मगन रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस कोठी थाने की घटना का जिक्र आया वह कोठी थाना हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। 6 जुलाई को मैं बाराबंकी जाने के लिए घर से निकला था हम गाड़ी में आगे बैठे थे और कोठी थाने से करीब सौ मीटर पहले हमने देखा कि धुआं उड़ रहा है, हमने अपने साथी से कहा कि जाओ वहां जाकर देखो कि क्या है। हमारे साथियों ने कहा कि गाड़ी जल रही है थोड़ी देर के बाद कहा कि यह तो आदमी जल रहा है फिर तब तक मैं वहॉ पहुंच गया थाने से सौ मीटर की दूरी पर सड़क के दूसरे छोर पर। वहां पर मैंने देखा कि नीतू द्विवेदी जो आग से जल रही थी और उसका आदमी स्कूटी अपनी अलग हटा रहा था। हमने लोगों से गुहार लगाई कि इस आग को बुझाओ क्या हो गया, कैसे हो गया, तब लोगों ने दौड़कर आग बुझाना शुरू किया। इसके बाद वह उसी सड़क दूसरी तरफ पटरी पर गिर गई। उसके बाद मैंने देखा कि उसका बेटा अपनी मां के फोटो खींच रहा था। हमने अपनी जिन्दगी मैं ऐसी घटना पहली बार देखी है और यह बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी घटना को तोड़–मरोड़कर ऐसे न्याय के मन्दिर में पेश किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह घटना बिल्कुल असत्य है, उसकी आग को बुझवा करके उसे मैंने पुलिस की गाड़ी में अस्पताल भेजने का काम किया, वह अस्पताल में भर्ती हुई

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के पीछे जो कारण था वह जो मेरी जानकारी में आया उसे मैं बता रहा हूं कि उसका जो भाई था नीतू द्विवेदी का भाई और भतीजा, उसके भतीजे ने गंगाराम वर्मा जो सेमरावां के रहीमपुर गांव के हैं उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी उसने शिकायत की कि तुम्हारे लड़के ने इस तरह से बद्तमीजी की है उसके बाद उसने उसको गोलियों से दौड़ा–दौड़ा कर मारा और उसके चार गोली लगीं। यह घटना 4 तारीख को हुई थी, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया और शायद जो मुझे जानकारी मिली, पुलिस ने इसी घटना की जानकारी के लिए उनसे कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं बताओ कि मुल्जिम कहां है, पता चला है कि मुल्जिम तुम्हारे यहां है इसलिए उनको बुलाओ। आग लगा करके जिस प्रकार से घटना हुई उसे मैंने आपको बताया, मैंने इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, यह आत्महत्या हुई है, हत्या नहीं हुई है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने इस कानून–व्यवस्था की छोटी सी चर्चा पर मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, हम कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे जो कि लूट की हो, बलात्कार की हो, व्यभिचार की हो, पापाचार की हो या दुराचार की हो। इतने लोगों ने इतनी बातें जोड़ दी हैं कि अगर सरकार इतनी ही बातों पर आत्मचिन्तन और मन्थन करेगी और निष्कर्ष निकालेगी तो रामराज अपने आप आ जायेगा। मा0 अम्बिका चौधरी साहब ने जो कहा कि अलग हट करके बात करो, कन्स्ट्रक्टेड सोच रखो, रचनात्मक बात करो। जब सारी चीज हेराफेरी से हो रही है, सारी की सारी, सम्प्रभुता में हेराफेरी, रचना में हेराफेरी। निर्माण में हेराफेरी, विकास में हेराफेरी और इससे आगे अगर चलें तो बहुत बढ़िया सरकार ने किया नई जीप दे रही है, नये आयाम सुझा रही है लेकिन शासन के आदेशों के अनुरूप 2012 में जो शासनादेश निकला है, क्या शासन के उस आदेश के अनुरूप उस रीति और नीति से कहीं थानों में पोस्टिंग भी हो रही है? अगर गम्भीरता से चिन्तन और मन्थन करें तो आपको पता चलेगा। दूसरा हमारे आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी बड़े शिक्षाविद हैं उनको ढ़ेर सारा साधुवाद करते हैं और साधुवाद इस दृष्टि से करते हैं कि उन्होंने कहा कि बड़ा हाईटेक हो गया है। हाईटेक हो गया है, आज एम0बी0ए0 के छात्र, इन्जीनियरिंग के छात्र क्राइम कर रहे हैं और डाक्टर्स क्राइम कर रहे हैं। हम इनको ढ़ेर सारा साधुवाद देते हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर) बैठ जाईये। अगर हम बोल रहे हैं तो बगावत है, चुप रहें तो कयामत है। मेरी बात सुनिये। आप हर चीज में म्याऊं कर रहे हो। तो म्याऊं नहीं होगा, म्याऊं इसलिए नहीं होगा अल्टीमेटली इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि म्याऊं।) (हंसी) ''इन्टायर सिस्टम इज द रिस्पांस्बिल।'' जिम्मेदार सिस्टम ही माना जायेगा और इसलिए माना जायेगा कि शिक्षा में जब भगवाकरण की बात की जाए, तुष्टिकरण की बात की जाए, और शिक्षा में नकलीकरण की बात की जाए तो अपराध अवश्यम्भावी है। अब अगर आप म्याऊं करके इसे करेंगे तो बात अलग है। म्याऊं करने से काम नहीं चलेगा। अच्छा है कि सुनें चौधरी साहब। मैं हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बात नहीं कर रहा हूं। हाईकोर्ट की टिप्पणी आयी है, शिक्षा के मामले में सबके कान खड़े हो गये। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है। अब आप

कह रहे थे कि सरकार का वातावरण बड़ा अच्छा है। एकान्त में बात करके लोगों से देखिये। (सत्तापक्ष से आवाज आयी कि रोज एकान्त में बात करते हैं) आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। हिम्मत नहीं है किसी में, हिम्मत नहीं है एफ0आई0आर0 दर्ज करने की। मा0 धर्मपाल जी खुद ही कह रहे हैं, अब हमने इनसे सबक ले ली है।

श्री अध्यक्ष–

शर्मा जी, इसे हर हालत में 4.00 बजे तक खत्म कर देना है, आपका 05 मिनट का समय हो रहा है, जल्दी खत्म करिये।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

अध्यक्ष जी, सुन लीजिए। हम और किसकी बात करें। हम माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गये, मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी हमारे यहां चोरी हो गयी है, इसको दिखवा लें। अब ऐसे लोग हमें एक नहीं अनेकों मिले। हमारे यहां एल0आई0यू0 इंस्पेक्टर आया, कहा कि चोरी हो गयी बोला मैं क्या करूं, तो मैंने कहा कि तुम क्या करोगे ? उसने कहा कि मेरी मोटर साइकिल चोरी हो गयी, आप अपनी बात कर रहे हैं। श्री बाबूलाल, एम0पी0 मंत्री रहे हैं उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी भी चली गयी।

एक सदस्य–

मथुरा में पुलिस ने कुछ अच्छे काम भी किये हैं, अपराधों पर अंकुश लगाया है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

हम आलोचनात्मक बात नहीं कर रहे हैं, आलोचनात्मक बात हमने न कभी की है, न कभी करना चाहते हैं। समालोचना में अगर तुम्हारा विश्वास हो तो बात अलग है। समालोचनात्मक चिंतन करो, समालोचनात्मक मन्थन करो, समालोचनात्मक निष्कर्ष निकालो। इसलिए मानिये कि समुद्र का मंथन हुआ था और मंथन के बाद अमृत निकला था और अमृत बंटा था, बांटने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को मिली थी। उन्होंने कहा था कि अमृत बंटेगा और मात्र देवताओं में बॅटेगा। आप तो सारी चीजों में इतना हेराफेरी कर रहे हो कि भगवान विष्णु से भी बड़ी हेराफेरी कर रहे हो। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

शर्मा जी, अब आप समाप्त करिये, अभी और लोगों को बोलना है, आप अकेले मेम्बर हैं इसलिए आपको इतना समय मिल गया। अब बैठिये।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

अध्यक्ष जी, सुन लीजिए, हम कभी बोलते नहीं हैं। आप मेरी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

शर्मा जी, अब समाप्त करें। आपका समय समाप्त हुआ और लोगों को भी बोलना है।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने इतनी अच्छी बात कही इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। आपने समुद्र मन्थन से अमृत निकलने की बात कही। अब अमृत तो अब मिलता नहीं कहीं लेकिन वो दूसरी चीज जो मंथन से निकली उसका असर नजर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

शर्मा जी आप बैठिये। आप आप अकेले मेम्बर हैं आपको इतना समय मिल गया।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, हम तो वैसे ही नहीं आ रहे थे, परेशान थे। हम ज्यादा समय नहीं लेंगें। प्रदीप माथुर साहब भी कभी–कभी हमारा मजाक उड़ा देते हैं। हमारा कहना केवल इतना है कि अगर वाकई कानून व्यवस्था प्रदेश में ठीक है तो ढेर सारा साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यह जो आपके सिपहसलार हैं। प्रदीप माथुर जी ने एक बात उठाई कि अधिकारी लोग टेलीफोन नहीं उठाते तो उधर पीछे से सत्ता–रूढ़ दल के सदस्य हट्ट की आवाज कर रहे थे। कोई हिम्मतवाला हो तो आ जाना। मैं सुनवा दूंगा, एक नहीं दस। अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको मुबारक। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका चिन्तन करें, मंथन करें और निष्कर्ष निकालें। आप योग्य बाप की योग्य सन्तान हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें, यह मेरा आग्रह है।

'श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कानून व्यवस्था के मुददे पर बोलने का अवसर दिया, मै आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नेता प्रतिपक्ष, नेता भाजपा और नेता कांग्रेस की पूरी बातों को सुना है। इस सदन में आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने जब बोल रहे थे ढेर सारे आंकड़े उन्होंने सैकड़ों की तादात में गिनाये। लेकिन वह इस बात को भूल गये कि जब इनकी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी प्रदेश में। इन्होंने ढेर सारे बलात्कार के मुददों को उठाया लेकिन इस बात का बताना भूल गये कि जब इनकी बहिन जी की सरकार थी तो थानों में बलात्कार होता था। जो इनके विधायक थे, वह महिलाओं से अपने घर में ही बलात्कार कर लिया करते थे और इस सदन को गरिमा को खराब करने का काम किया करते थे। जो इनके विधायक थे, वह अधिकारियों से वसूली करते थे, इंजीनियरों की हत्या कराने का काम किया करते थे। इनकी सरकार में जेलों में सी0एम0ओ0 की हत्या कराने का काम किया गया। बहुजन समाज पार्टी के नेता इन सारी बातों को बताना भूल गये। नेता भाजपा चर्चा कर रहे थे अपराध की। हम पूछना चाहते हैं कि दंगों की बात करते हैं आज आप इतिहास के पन्नों को पढ़कर देख लीजिये। 2012 से लेकर आज तक जितने दंगे प्रदेश में हुए हैं, वह दंगे किसने कराये ? उन दंगों को कराने वाले कौन थे ? दंगों में पकड़कर जेल कौन गया। अभी मैं आपको तीन दिन पहले की घटना के बारे में बताना चाहता हूं अपने फैजाबाद की। हमारे फैजाबाद में मुगलपुरा है। मुगलपुरा में मगरी मस्जिद है। मगरी मस्जिद में रात में 1 बजे जो कुछ लाल गमछाधारी सिर में बांधकर

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मोटर साइकिल से चलते हैं। अपने आप को हिन्दुत्व का बहुत बड़ा नेता बताते हैं। रात में 1.00 बजे पेप्सी की बोतल में मस्जिद के ऊपर आग लगाने का काम किया। आप बताइये आज साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, हिन्दू मुस्लिम में दंगा कराना चाहते हैं, यह अपराध नहीं है तो क्या है। इस अपराध को जन्म देने का काम भाजपा के नेता हमारे अयोध्या फैजाबाद की धरती पर कर रहे हैं। इनको अपराध के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि नेता कांग्रेस भी अपनी बात को रख रहे थे इन्होंने भी अपराध, गुन्डा राज, बलात्कार के बारे में बोला। जिस प्रदेश में इनकी सरकार है खुले आम जब महिलाओं के साथ जब बलात्कार हुआ करता था जहां इनकी मुख्य मंत्री हुआ करती थीं कोई कदम नहीं उठा पाये, कोई रास्ता नहीं दिखा पाये लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिये, बालिकाओं, लड़कियों के सम्मान के लिये हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 1090 की योजना शुरू की है आज वह 1090 की योजना लाखों करोड़ों बहिनों की बात को, उनके सम्मान को, उनके वजूद को बचाने का काम करती है। इसके लिये हम माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं अपनी बात को खत्म करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कानून व्यवस्था को ठीक किया है, महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा की है तो वह उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री हैं, उनको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं और भाजपा से कहना चाहते हैं कि इनकी सरकार को एक साल से ज्यादा हो गया। एक साल हो गया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बने।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में विधान सभा का चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव आने वाले हैं यह धर्म के नाम पर दंगे कराते हैं।लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इसको रोकने का काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिए आप। आपका समय हो गया।

अयूब जी आप बोलें, दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

'डा0 मो0 अयूब–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कानून व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया। हम अपने आप को मा0 नेता प्रतिपक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी, भाजपा नेता खन्ना जी, और नेता कांग्रेस और नेता लोकदल से संबद्ध करते हुए, भाई श्याम सुन्दर शर्मा जी से संबद्ध करते हुये कहना चाहते हैं कि एक घटना हमारे विधान सभा क्षेत्र के आस–पास कसखल में सात जून को हुई। जिसमें निषाद समाज ने अपनी

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांगों को लेकर शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया और मांग की कि चार परसेन्ट आरक्षण के लिए अति पिछड़े वर्ग में उनको आरक्षण दिया जाए। उसकी एवज में पुलिस ने गोलियां चलाईं और एक व्यक्ति की उसमें हत्या हुई और उस कांड में हजार निषाद को मुजरिम बनाया गया और जिस पुलिस वाले ने उनकी हत्या की थी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष जी इतना ही नहीं हुआ बल्कि पूरे हमारे जिले में, पूरे जनपद में, विशेष तौर से सन्तकबीर नगर के खलीलाबाद विधान सभा में जितने भी निषाद बिरादरी के जितने भी गांव हैं जितने भी घर हैं रात में बारह बजे आज तक पुलिस के लोग छापा मारते हैं। कोई भी व्यक्ति आज अपने घरों में नहीं रह रहा है सिर्फ महिलायें रह रही हैं। आज भी गोरखपुर जिले में और संतकबीर नगर में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आज भी प्रदर्शन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। मौर्या जी आप बाइन्डअप करें। आप बोलेंगे या मुख्यमंत्री जी जवाब दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

आपके नेता बोल चुके हैं अब आप बैठें। दो घंटा हो रहा है।

एक सदस्य–

समय बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। बैठिए आप लोग। सब पार्टियों के दो लोग बोले हैं। आप लोग बैठें। भाजपा के दो बोले हैं खन्ना जी बोले हैं और डा0 धर्मपाल जी बोले हैं। आपके मौर्या जी बोले हैं रजनी जी बोली हैं। बैठिए अब।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)–

मान्यवर, आपने कानून–व्यवस्था पर चर्चा स्वीकार किया जिसमें मान्यवर सत्तापक्ष और विपक्ष के तमाम मा0 सदस्यों ने भाग लिया और मान्यवर, सभी लोगों ने चर्चा के दौरान अपने क्षेत्र की समस्याओं से और प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

माननीय अध्यक्ष जी हमारे एक माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार म्याऊं–म्याऊं कर रही है उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। माननीय अध्यक्ष जी एक मंत्री जी ने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त एवं दुरुस्त है अगर बिगड़ी कानून–व्यवस्था को आप चुस्त दुरुस्त मानते हैं तो यह आपको मुबारक हो। माननीय अध्यक्ष महोदय यह सही है कि जीरो अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन अपराधियों पर तत्काल नियंत्रण और कानूनी कार्यवाही हो सकती है कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद कानूनी कार्यवाही से बच जाता है जेल जाने से बच जाता है और एफ0आई0आर0 लिखने में आना–कानी होती है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कानून सो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे एक माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा थानों में दलाल नहीं हैं उसका जवाब तो माननीय मुख्य मंत्री जी पहले दे चुके हैं करीब एक महीना

पहले ही कहा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच कहा था यदि थानों और तहसीलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाना बन्द कर दें तो प्रदेश की बिगड़ी कानून–व्यवस्था दुरस्त हो सकती है।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा नहीं–नहीं कहने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर नहीं कहा है तो माननीय मुख्य मंत्री जी बताएं कि उन्होंने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी कल इसी लखनऊ में एक घटना घटित हुई प्रश्न प्रहर में मैंने इसे उठाने की कोशिश की माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय नहीं थे आज उनके संज्ञान में ला रहा हूं यहां पर एक सभासद सैकड़ों साथियों के साथ हिन्दुस्तान प्रेस में जमकर मारपीट किया तोड़फोड़ किया लेकिन अभी तक वह सभासद जिसके नेतृत्व में यह तोड़फोड़ हुआ उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई माननीय अध्यक्ष महोदय जी भू–माफियाओं का तो यह बोलबाला है सत्तापक्ष के एक नवनिर्वाचित एम0एल0सी0 के संरक्षण में वहॉ पर योगी सत्यम हैं झूंसी के सैकड़ों किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी भी नदी के 500 मीटर की तलहटी में कोई निर्माण नहीं होगा वह संगम तट पर स्थित गंगा के किनारे तक को अपने आश्रम में मिला लिया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसका संज्ञान लें।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

कल इलाहाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक पंते सोनकर जिसकी सत्तापक्ष के एक साथी के द्वारा उसकी सात बीघा जमीन कब्जा की गई है जिसके चलते कई बार फरियाद किया नहीं सुनवाई हुई तो कल उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया कल पुलिस वालों ने किसी तरह से उसको बचाया माननीय अध्यक्ष महोदय जी ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिए मुख्य मंत्री जी कब बोलेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो चर्चा के दौरान बातें आई हैं यह केवल इसलिए नहीं आईं कि सत्तापक्ष बड़ा या विपक्ष बड़ा इसलिए आई हैं कि इस चर्चा के दौरान जो भी घटनाएं आई हैं वह सरकार के संज्ञान में जाएं और सरकार मुस्तैदी से अगर कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर दे तो स्वाभाविक रूप से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे अपराध पर नियंत्रण होगा चूंकि सरकार कहीं न कहीं भले ही नीयत में खोंट न हो भले ही सरकार की नीयत कितनी साफ क्यों न हो लेकिन जिनके हाथ में कानूनी कार्यवाही करने का आपने अधिकार दे रखा है वह कहीं न कहीं खुद अराजक बन गये हैं इस पर आपको नियंत्रण करना है ।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा स्वीकार की ।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस और हमारे सत्ताधारी पक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने इस बहस में अपनी बात रखी जिसमें प्रमुखता से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी बात रखी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश कुमार खन्ना जी ने अपनी बात रखी माननीय सदस्य प्रदीप माथुर जी ने अपनी बात रखी माननीय सदस्य वीरपाल राठी जी ने भी अपनी बात रखी। मा0 सदस्य श्री श्याम सुन्दर शर्मा जी, मा0 सदस्य श्री धर्मपाल जी, मा0 सदस्या श्रीमती रजनी तिवारी जी, मा0 सदस्य डा0 अयूब जी और हमारे पक्ष से मा0 सदस्य श्री योगेश प्रताप जी, मा0 मंत्री श्री राम गोविन्द चौधरी जी, मा0 सदस्य श्री अम्बिका चौधरी जी, मा0 सदस्य श्री राममूर्ति वर्मा जी, मा0 सदस्य श्री मनोज पाण्डेय जी, मा0 सदस्य श्री राम मगन रावत जी और मा0 सदस्य श्री पवन पाण्डेय जी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं सभी मा0 सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबने अपनी बात भी रखी और आपकी जानकारी में जो चीजे थीं वह जानकारी सरकार तक पहुंचायी है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जहां तक सरकार चलाने की हम लोगों को जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहला उत्तर प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो? दूसरा बिन्दु कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि जो गरीब हैं, पिछड़े हैं चाहे किसी जाति–धर्म के हों, किसान हैं, मजदूर हैं, मुसलमान भाई हैं, सोशल सेक्टर में कितना बेहतर काम हो सकता है उस दिशा में भी सरकार ने काम किया है और तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है, क्राईम और लॉ एण्ड आर्डर। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 सदस्यों से कह सकता हूं कि विकास की जो गति है और जिस हिसाब से सरकार ने पिछले तीन–साढ़े तीन साल में काम किया है, चाहे वह सोशल सेक्टर में हो चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर में, सरकार की अपनी उपलब्धियॉ हैं। वहीं, लॉ एण्ड आर्डर और क्राईम कंट्रोल भी ऐसा ही है घटनाएं जब हो जाती हैं, तमाम मा0 सदस्यों ने बहुत सारी घटनाएं बतायी हैं। हमें भी सवेरे अखबार खोलकर वही देखने को मिलता है।

मा0 सदस्या तिवारी जी पीछे बैठी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, देखने को, पढ़ने को मिलती हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। हमें भी दुख है, तकलीफ है अगर महिला के साथ कोई घटना हो जाये, किसी बेटी के साथ घटना हो जाये, किसी छात्रा के साथ घटना हो जाये। मैं मा0 सदस्यों को तमाम वह घटनायें भी बता सकता हूं जब पुलिस ने अच्छा काम किया है। सरकार ने समय पर निर्णय लिया, फैसला लिया और उस पर कार्यवाही हुयी। मैं, मा0 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, वेस्टर्न यू0पी0 में बहुत नामी, वर्षों से जाने कितनों से एक्सटोर्शन किया जाता था। कितने लोगों को परेशान किया जाता था, कितना बड़ा गैंग था। मैं समझता हूं कि मा0 सदस्य या किसी को तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिये था। कितना बड़ा अपराधी था आप जानते ही होंगे और उससे कहां–कहां के लोग

परेशान नहीं थे। नोएडा, गाजियाबाद तमाम जगह सहारनपुर तक सब परेशान थे। वह दूसरा, चित्रकूट का मामला है। इसे मा0 सदस्य और मा0 नेता प्रतिपक्ष भी जानते होंगे। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश की पुलिस भी परेशान थी। क्या पुलिस ने या पुलिस के अधिकारियों ने वहां कार्यवाही नहीं की ? तो यह हम भी चाहते हैं कि कानून–व्यवस्था पर सरकार की छवि बने और हम यह भी स्वीकार करते हैं कि अभी और काम करना पड़ेगा और जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। मैं जानबूझ कर ऑकड़े नहीं लाया हूं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े, दूसरे प्रदेश के आंकड़े, अलग–अलग घटनाओं में हम कहॉ खड़े हैं ? सरकार ने काम किया और बेहतर काम किया और हमारी कोशिश है कि हम काम करें। मैं चाहूंगा कि उन घटनाओं के बारे में जरूर जानना चाहिये। कन्नौज की मान लीजिये घटना हुयी, मैं जानता हूं कि मेरा क्षेत्र है। आखिर घटना हुयी कैसे ? आप आंकड़े मंगा लें, पूरे प्रदेश के जितनी घटनाऍ हुयी अभी तक हमारी सरकार में, आपकी सरकार में, आपकी सरकार में जो घटनाएं हुयीं वह आप जानते हैं कि किस तरह की घटनाएं होती थीं, पुलिस क्या करती थी, क्या कार्यवाही होती थी। कुछ हमारे साथियों ने, मा0 सदस्यों ने, बात रखी है। कन्नौज की घटना हुयी, आप सच्चाई जानिये, क्या उनका आपस में परिचय नहीं था ? परिवार के सदस्यों का परिचय नहीं था ? एक–दूसरे को जानता था परिवार। कोई झगड़ा पहले हुआ था और किसी ने उसका लाभ उठाकर, घटना की होगी और अपराधियों ने जब मौका पाया होगा तो वह भी काम किया जो नहीं करना चाहिये था। पुलिस ने कार्यवाही की, सब गिरफ्तार हो गये । लखनऊ की हमनें भी खबर पढ़ी, अखबार में फ्रंट पर छपा है, लेकिन अखबारों की खबर पढ़कर हम यहॉ पढ़ दें कि कानून–व्यवस्था खराब है, मैं यह नहीं मानता हूं कि कानून–व्यवस्था का सवाल है अखबार और टी0वी0 में क्या दिखाया जाता है हम जानते हैं। माननीय सदस्य, आप सब जानते हैं। लाबी में बहुत से लोग हैं, सब जानते हैं कि अखबार क्या लिखता है। मथुरा के माननीय सदस्य ने सही कहा, बहुत सीनियर सदस्य हैं। अपनी बात नहीं कही है, उन्होंने, मुझे अकेले में उन्होंने बताया, मैंने खुद ताज्जुब किया कि कैसे यह घटना हो गई। मथुरा में मुझे याद है, 01 साल पहले की बात है, मन्दिर से मूर्तियां चोरी हो गई थी और धरना चल रहा था, महीनों धरना चला। वहां से गांव के लोग आए, उनसे मैंने जानकारी की, पुलिस लगाई और अलग से टीम गठित की और जब सच्चाई सामने आयी तो पता लगा कि जो लोग धरना दे रहे थे, वही लोग उसमें निकले और तीन महीने लगभग धरना चला। यहॉ फैजाबाद के माननीय सदस्य बैठे हैं, बताइये, मन्दिर से मूर्तियां चोरी हो गईं और दो महीना, तीन महीना हमारे खिलाफ आन्दोलन हुआ और बड़े–बड़े नेता आ करके हमारे खिलाफ बोले, सरकार के खिलाफ बोले और बाद में क्या निकला, सच्चाई सामने आ गई, मूर्तियां भी मिल गई, सब पकड़े गए।

मैं कितनी घटनाऍ बताऊं, एक गरीब मेरे पास आया था, श्रावस्ती का, जनता दरबार में, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ है ? उसने बताया कि मुझको किसी का फोन आया और कहा कि यह पैसे जमा कर दो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे और लगातार एक साल फोन आता रहा और वह बेचारा, वह गरीब पैसे

जमा कराता रहा। उसने 05 लाख रूपये जमा किए अपनी जमीन बेंच करके। मैंने उससे कहा कि किस फोन नम्बर से फोन आता था, बोला यह फोन था और पुलिस ने उसमें काम करके दिखाया और जो अपराधी थे, वह पकड़े गए और उसको 05 लाख रूपया हमने वापस कराया। पुलिस का अच्छा काम भी है, बुरा काम भी है, चित्रकूट की घटना में पुलिस ने अच्छा काम भी किया। हम और आप सुरक्षा की मांग करते हैं, किससे सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं, गनर से। अगर कहीं कोई घटना हो जाए, कोई एक गलत काम कर दे तो क्या पूरी पुलिस खराब है, पूरी सरकार खराब है ? माननीय नेता विरोधी दल, प्रेस के चक्कर में मत पड़िए, क्या हो रहा है, यह जनता तय करेगी लेकिन प्रेस के लोग कह दें कि न्यूज में यह घटना है तो आप भी वही कहने लगते हैं कि यह घटना हो गयी। कम से कम उसकी जमीन पर तो जाओ, जो हजारों साल पुरानी कहावत थी, मैंने अपने पड़ोसी से पूछा, उन्होंने सही करके बता दिया, जर, जोरू और जमीन। आप उत्तर प्रदेश की सब घटनाओं को निकाल लें, यह तीन चीजें उसके पीछे निकलेंगी, 92 परसेण्ट यही चीजें निकलेंगी, उसके पीछे। जब घटना हो जाती है तो उसके पीछे बड़ी–बड़ी खबरें चलती हैं लेकिन जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो वह खबर आती ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमारा अच्छा काम आता ही नहीं टी0वी0 पर, उसके लिए हम क्या करें, यह मा0 नेता, विरोधी दल, आप बता दें आप। न हम मजबूर हैं, न कमजोर हैं और न भोले हैं।

अध्यक्ष जी, कोई हमें यह बता दे कि टी0वी0 पर हमारी इमेज कैसे बने अच्छी ? हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने जो सुझाव दिया है, उस पर हम जरूर काम करेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्य, बी0जे0पी0 जान गए हैं कि अब प्रचार से काम नहीं चलना है, प्रचार तो एक ही बार होता है, एक ही बार तुक्का लगता है। हालांकि यह प्रचार में बहुत आगे हैं, यह सही बात है। मैं सोचता था कि शायद आदरणीय मा0 सदस्य हमारी मदद करेंगे, शाहजहांपुर वाले मामले में, हमारे यहां तो दो–दो राममूर्ति वर्मा थे, खबर इनकी निकल रही थी, परेशान दूसरे वाले थे। माननीय सदस्य आप बताओ, हमारे साथ क्या हुआ ? सच्चाई आप जानते हैं, वहां के सब लोग जानते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस सदन के सभी सदस्यों को, मा0 अध्यक्ष जी, मैं उसके परिवार से मिला हूं, मैंने कहा कि निष्पक्ष कार्यवाई मैं करूंगा, निष्पक्ष कार्यवाही होगी। इसी तरह जब हमीरपुर के लोग हमसे मिलने आए, कायस्थ समाज के लोग हमसे मिले थे, मैंने उनसे कहा कि आप सरकार पर भरोसा करिए, हम पर भरोसा करिए और जो भी दोषी होगें उनके खिलाफ कार्यवाई करूँगा और कार्यवाई हुई और जिन अधिकारियों और पुलिस के लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनके खिलाफ भी कार्यवाई की है, सस्पेंड किया है। लेकिन हम तो परेशान और चीजों से हैं कि जो कानून व्यवस्था टी0वी0 पर दिखाई देती है और कितना ज्यादा दिखाया जाता है। आप पूरे देश की जानकारी पता कीजिए। क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रही क्या किसी और प्रदेश में नहीं होती। कभी किसी मुख्य मंत्री की फोटो टी0वी0 पर आती हो तो बता दीजिए। लेकिन है हमारे उत्तर प्रदेश में यदि कोई बात हो जाए तो मुख्य मंत्री की फोटो कितनी आती, आपने देखी है आप बता दीजिए। शाहजहांपुर की घटना की वजह से कितनी फोटो आईं। दो–दो बार, तीन–तीन बार, एक

ही स्क्रीन पर तीन जगह हमारी फोटो आई। दूसरी जगहों पर घटनाएं होती हैं तो वहां के मुख्य मंत्री की तस्वीर आती हो तो बता दें।

उन्नाव और मलिहाबाद में 50 के लगभग कच्ची शराब पीने से मौतें हो गयी थीं। हमने पूरे परिवार के सभी सदस्यों की मदद की और जो दोषी थे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की। लेकिन एक प्रदेश में 100 से ज्यादा मौतें हुईं परन्तु वहां के मुख्य मंत्री के बारे में नहीं लिखा गया, न ही उनकी तस्वीर दिखाई दी। अब यह तो भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य बताएंगे कि आखिरकार यह कैसे होता है। हम भी ऐसा ही करें। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सभी मा0 सदस्यों को कह सकता हूं कि पुलिस और पुलिस को कैसे बेहतर करें। हमारे मा0 सदस्य ने बताया कि कितने प्रमोशन हम लोगों ने किए हैं। किस तरीके से उनका मनोबल बढ़े क्योंकि कल को कोई बात होने पर हमें उसी पुलिस के पास ही जाना है। उसी थाने में जाना है। पुलिस का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी भी दे रहे हैं। जो बात सभी मा0 सदस्यों ने कही कि पुलिस सही समय पर पहुंचे, उनकी लापरवाही खत्म हो, उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक जितने सदस्यों ने अपनी–अपनी बात रखी, मैं यह जानना चाहता था कि कोई सदस्य यह तो बोलते कि एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती। इस समस्या का भी हम समाधान करना चाहते हैं। मैंने अपने कई भाषणों में कहा, इस बार भी कह रहा हूं बजट में भी कोशिश कर रहा हूं और उसको सप्लीमेंटरी में लेकर भी आया हूं। जब हमारी एंबुलेंस 15 मिनट में 20 मिनट में पहुंच सकती है तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती। इसलिए मैंने प्रोफेसर हायर किए, उनको कंसल्टेंट बनाया और डायल 100 को सबसे मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है कि उस पर अगर सूचना मिलेगी तो कम से कम 10 मिनट या उससे भी कम समय में पुलिस पहुंचेगी और उस इंतजाम को बेहतर कर रहे हैं। उस इंतजाम को कैसे बेहतर करें, उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने एक टीम बना दी है और डायल 100 को सबसे मजबूत बनाएंगे। अभी केवल एक हजार के करीब गाड़ियां खरीदी हैं। जब हम अगला बजट पेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हम कितने बड़े पैमाने पर गाड़ियां लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 04 हजार से ज्यादा गाड़ियां लेंगे, जो जगह–जगह पर खड़ी रहेंगी। उसमें पूरा जी0पी0एस0 सिस्टम होगा। हमारे मा0 सदस्य ने बताया कि जो बात यहां से हो रही है या पीड़ित कर रहा है वह सब रिकार्डेड होगी। सबकी टाइमिंग है कि किसने कब काम किया। वह तमाम इंतजाम कर रहे हैं जिससे कि देश में अगर सबसे बेहतर कोई इंतजाम हो तो वह उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास हो।

श्री अखिलेश यादव–

अगर पुलिस समय पर घटना पर पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि कोई अपराधी भाग नहीं पायेगा। असली राजनीति तो घटना होने के बाद होती है जब पुलिस नहीं पहुंच पाती है। अभी जब सीतापुर में घटना हुई हमारे मा0 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जानते होंगे क्या हुआ था और बाद में उसको क्या रूप दिया जा रहा था। खैर रूप बदलने में तो आपका कमाल है। कोई घटना होती है और उसको रूप क्या बना देंगे, पता नहीं। सीतापुर में पूरे प्रशासन को जनता के बीच में धकेल दिया। क्या कोई

अधिकारी ऐसा बचा होगा जिसको चोट न आई हो। वह माहौल किसने बिगाड़ा ? अब तो डी0जे0 वाले मामले में कोर्ट का भी आदेश आ गया है। हम तो जानना चाहते हैं कि आप डी0जे0 क्यों चाहते हैं। अब देखिए, यह डी0जे0 चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि डी0जे0 क्या है ? आप क्यों डी0जे0 चाहते हैं। अब तो कोर्ट ने भी मना कर दिया। आप भजन सुनिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी भजन के पक्ष में हैं। हम तो अभी भी भजन सुनते हैं और हमें तो इस उम्र में भजन सुनने भी नहीं चाहिए। तब भी मैं भजन सुनता हूं। लेकिन आपको इस उम्र में डी0जे0 चाहिए। आप क्यों सुनना चाहते हैं डी0जे0। पूरी कानून–व्यवस्था को खराब करने के लिए डी0जे0 लिए घूम रहे हैं।

मैंने किसी अधिकारी से पूछा कि यह डी0जे0 क्या होता है। वह बोले कि मा0 मुख्य मंत्री जी आपको नहीं पता, जो डिस्को थेक में गाना बजाता है वह डी0जे0 होता है। जो गाना बजाता है। डी0जे0 वही है जो हम कह रहे हैं डिस्क जॉकी, जो बजाता है। जो आपको नचवायेगा। (हंसी) । आपको लगता है उम्र कम है। तो मान्यवर, काननू–व्यवस्था पर हम लोग कदम उठा रहे हैं। 1090 उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि मा0 सदस्य में से कोई भी जाकर वहां देख लें। और मैं खासतौर से मा0 महिला सदस्यों से जरूर कहूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, आप कोई व्यवस्था करिये जिससे वह इसको देखकर तो आयें कि सरकार क्या कर रही है। यह प्रदेश की महिलाओं के लिए है। और इससे कितनों को मदद पहुंची है। कितनों को बचाने का काम हुआ है। कैसे–कैसे लोग थे जो परेशान करते थे। इसी तरह हम डायल 100 को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह डायल 100 देश में उदाहरण बने। जिससे कि हम लोग कानून व्यवस्था बेहतर कर पायेंगे। क्योंकि पुलिस का मनोबल बढ़ाना, पुलिस को तमाम संसाधन देना उनकी ट्रेनिंग को बेहतर करना जरूरी है। आपने ठीक कहा कि सी0सी0टी0वी0 होने चाहिए। पुलिस का व्यवहार कैसा है, पता नहीं है। अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो व्यवहार कैसे ठीक होगा। नये जमाने के हिसाब से नये–नये तरह के अपराध हैं। कोई ए0टी0एम0 से पैसा निकाल लेता है। कुछ दिन पहले एक शिकायत आयी कि हमारे ए0टी0एम0 से पैसा निकाल लिया। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता लगा कि ए0टी0एम0 से पैसा निकालकर वह शापिंग करने मुम्बई चला गया। और मुम्बई में उसने उसी के ए0टी0एम0 कार्ड से शापिंग की और लौटकर आने पर जब पकड़ा गया तो उसके गैंग में कई लोग निकले। आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने ठीक कहा कि ऐसे बहुत पढ़े–लिखे लोग भी मिले हैं जो ऐसे क्राइम कर रहे हैं। तो जब वह पकड़ा गया तो उसने कहा कि हमें माफ कर दो, बहुत पढ़ा–लिखा व्यक्ति हूं। वह सम्पन्न घर का था। और उसने स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गयी, यह पहली बार मैंने ऐसा किया था। बल्कि गैंग दूसरा था। उसमें पूरा गैंग पकड़ा गया। अभी सहारनपुर के हमारे मा0 सदस्य जानते होंगे कि सहारनपुर में कितनी मोटर साइकिल पकड़ी गयीं। तो कार्रवाई हो रही है। और एक–एक घटना जो आपने बताई है हम उस पर जरूर विचार करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे कहीं इस तरह की शिकायत न हो कि कहीं भी हस्तक्षेप किसी स्तर पर हो रहा है। इसलिए अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद देता हूं और सभी मा0 सदस्यों का धन्यवाद देता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश के विकास का सवाल है यह कानून व्यवस्था से भी जुड़ा है। लेकिन मेरी मा0 सदस्यों से भी अपील है

कि जब आप तमाम बातें उठाते हैं तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की भी बदनामी होती है। इसलिए कम से कम बदनामी से तो बचाइये। और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर हम सब मिलकर ले चलें। अगर हम सब मिलकर चाहेंगे तो यहां पर कानून व्यवस्था बेहतर होगी और अच्छी होगी। इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुख्य मंत्री जी, विधान सभा का परिसर वाई फाई हुआ है। इसका उद्घाटन आपको करना है। अभी आप उद्घाटन करके तब आप जायें।

ख4.12 बजे, विधान सभा परिसर में श्री अध्यक्ष द्वारा वाई–फाई सुविधा का उद्घाटन मुख्य मंत्री द्वारा किये जाने की सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे दूं। कल जो मतदाता सूची में नाम काटने की सूचना यहां आयी थी। मुझे एक मा0 मंत्री जी ने अवगत कराया है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने रात में अधिकारियों को बुलाकर मुख्य रूप से निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर हिदायत दिया कि कोई भी नाम न काटा जाये। और यदि यह सूचना सही है तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी गैरहाजिरी में सदन में जो चर्चा हुयी है। उसका संज्ञान लिया । और मान्यवर, अपराधियों पर शिकंजा लगाने के लिए कोई उपाय नहीं किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

ख4.13 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21–08–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 70 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

1–ठा0 दलवीर सिंह की प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज के अतिरिक्त प्रति किलोवाट मिनिमम यूनिट चार्ज वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

1–श्री आलमबदी की लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अभियन्ताओं की उदासीनता के कारण सड़कों के किनारे बढ़ रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2–श्री इन्द्रजीत सरोज की प्रदेश के ऊर्जा विभाग में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में।

3–श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत यू0पी0 नेडा चन्दौली/वाराणसी में अवशेष सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

4–श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ के कतिपय ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

5–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड 54 में स्थित बाबूपुरवा श्रमिक कालोनी में व्यापक सफाई कराने हेतु दिनांक 26–02–2014 को नियम–301 में दी गयी सूचना पर कार्यवाही करवाये जाने के सम्बन्ध में।

6–श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद के आई0ई0आर0टी0 स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग डिवीजन में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अगस्त, 2013 के पूर्व प्राप्त वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

7–श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा में तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम सभा सिंधनकला में केन नदी से सटे तुर्री नाले में डूबकर मृत्यु होने से मृतक छात्र की विधवा मां को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :–

1–श्री मो0 इरफान की प्रदेश के पूर्व दशमोत्तर एवं उससे उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले समस्त गरीब छात्रों को फीस की प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

2–श्री अनूप सण्डा की जनपद सुल्तानपुर की शारदा सहायक नहर की ग्राम सभा लोहर दक्षिण में ठोकर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्र0	नाम
1	श्री पंकज कुमार मलिक
2	श्री जय प्रकाश निषाद
3	श्री आशुतोष उपाध्याय
4	श्री मदन चौहान
5	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
6	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
7	श्रीमती रजनी तिवारी
8	मो0 जासमीर अंसारी
9	श्री बाला प्रसाद अवस्थी
10	श्री रोशन लाल वर्मा

क्र0	नाम
11	श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली
12	श्री राजेश त्रिपाठी
13	श्री रामहेत भारती
14	डा0 राधामोहन दास अग्रवाल
15	श्री वेदराम भाटी
16	श्री लोकेश दीक्षित
17	श्री सुनील कुमार लाला
18	श्री मनीष असीजा
19	श्री मुकेश श्रीवास्तव
20	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
21	श्री जगन प्रसाद गर्ग
22	श्री रविन्द्र भड़ाना
23	डा0 अरुण कुमार
24	श्री कालीचरन सुमन
25	श्री राजीव गुम्बर
26	श्री रविन्द्र जायसवाल
27	श्रीमती लालमुन्नी सिंह
28	श्री भीम प्रसाद सोनकर
29	श्री योगेन्द्र उपाध्याय
30	श्री ललितेशपति त्रिपाठी
31	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
32	श्रीमती आराधना मिश्र
33	श्री बृजेश कुमार
34	श्री ममतेश शाक्य
35	श्री गेंदा लाल चौधरी
36	श्री जगराम पासवान
37	श्री पंकज गुप्ता
38	श्री विजय कुमार दूबे
39	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी
40	श्रीमती सीमा द्विवेदी

क्र0	नाम
41	श्री विमला सिंह सोलंकी
42	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
43	श्री विजय बहादुर यादव
44	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
45	श्री सुरेश कुमार खन्ना
46	श्री धर्मपाल सिंह
47	श्री बृजेश वर्मा
48	श्री राम चन्द्र यादव
49	श्री अगयश राम सरन वर्मा
50	श्री संजय कपूर
51	श्री गोरख पासवान
52	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
53	श्री सुभाष पासी
54	डा0 धर्मपाल सिंह
55	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई
56	श्री संजय प्रताप जायसवाल
57	श्री अजय कुमार लल्लू
58	श्री अनीसुरर्रहमान
59	श्री राजवली जैसल
60	श्री सन्त राम कुशवाहा

जनपद झांसी में पारीक्षा थर्मल पावर लि0 में निर्माण एवं मरम्मत सम्बन्धी निविदा आमंत्रण एवं आवंटन प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के विकास खण्ड नानौता में पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री प्रदीप चौधरी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेस–वे के नीचे बराबर सर्विस रोड न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भावर कोल, मुहम्मदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक गणना का सत्यापन ग्राम सभा की खुली बैठक में न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सिबगतुल्ला अंसारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दि0 18.08.2015 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है...

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड–भावर कोल एवं मोहम्मदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गणना का सत्यापन ग्राम सभा की खुली बैठक कराये बगैर ही मनमाने ढंग से कम्प्यूटर में फीड कराया जा रहा है, जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त है ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से पिछड़े लाभार्थियों को लाभ मिल पाने की संभावना नहीं है। इस क्रम में अनुरोध किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित कार्यवाही कराने हेतु उक्त विकास खण्डों में आर्थिक गणना का सत्यापन ग्राम सभा की खुली बैठक में कराकर ही सूची बनायी जाए, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देश एवं प्रदेश की योजनाओं का लाभ मिल सके। मा0 सदस्य द्वारा प्रकरण पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा देश के अन्य प्रान्तों सहित प्रदेश में भी सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 का कार्य ग्राम्य विकास विभाग के

ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है। मात्र आर्थिक गणना का कार्य ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा है। जनपद गाजीपुर में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 का कार्य पूर्ण होने के पश्चात आईटीआई द्वारा ड्राफ्ट सूची उपलब्ध करायी गयी। ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा दि0 26–12–2014 को कराया गया। ग्राम सभा पर सार्वजनिक जांच हेतु बैठक दि0 04–01–2015 को आयोजित की गयी, जिसके पश्चात दि0 24–01–2015 को दावे/आपत्तियां प्राप्त कर उसका निपटान दि0 15–02–2015 तक किया जा चुका है। जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रमाण–पत्र पर जेड फाइल जनरेट करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा उक्त कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पी0डी0एफ0 फाइल जनरेट कर अंतिम सूची का प्रकाशन प्रक्रिया में है।

3–इस प्रकार जनपद गाजीपुर में उक्त सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 का प्रगणन कार्य पूर्व में ही सम्पन्न हो चुका है। सम्प्रति प्रगणन कार्य नहीं कराया जा रहा है। जहां तक जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड–भावर कोल एवं मोहम्मदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 का सत्यापन ग्राम सभा की खुली बैठक कराये बगैर ही मनमाने ढंग से कम्प्यूटर में फीड कराये जाने का प्रश्न है, जनपद स्तर से प्राप्त सूचना में प्रकाश में नहीं आया है।,

जनपद गाजियाबाद के वार्ड नं0–7 में राधा एन्क्लेव कुंज गेट से गगन एन्क्लेव गेट नं0–1 तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री सुरेश बंसल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

मेरठ व सहारनपुर मण्डल में कोरी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मेरठ व सहारनपुर मण्डल में कोरी जाति....

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख(हिन्दू जुलाहा) के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है जबकि प्रदेश के सभी जनपदों में कोरी जाति (हिन्दू जुलाहा) के लोगों को अनुसूचित

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाति का प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा था। परन्तु अब अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र जारी न किये जाने से मेरठ एवं सहारनपुर में कोरी जाति (हिन्दू जुलाहा) के लोग धरना प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे हैं। इस प्रकार से शासन एवं जिला प्रशासन की उपेक्षा के कारण यहां के कोरी जाति के लोग आन्दोलित है और अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र जारी न होने के कारण इन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा समाज के लोगों ने इस मांग को लेकर मण्डलायुक्त कार्यालय पर 53 दिन तक धरना भी दिया है और आन्दोलनरत हैं। जनहित में कोरी (हिन्दू जुलाहा) जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सहारनपुर व मेरठ मण्डल में कोरी जाति (हिन्दू जुलाहा) के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

2–मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 में किसी जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित करने, पूर्व से अधिसूचित किसी जाति की उप–जाति को क्मपिदम करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976' के क्रमांक–50 पर 'कोरी' जाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित की गयी है। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 443/26–3–2011–3(19)/78, दिनांक 17–02–2011 एवं शासनादेश संख्या 2477/26–3–2015, दिनांक 13–08–2015 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर तथा मेरठ मण्डल, मेरठ को यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि भू–राजस्व अभिलेखों/पूर्वजों के सुसंगत प्रमाणों इत्यादि के आधार पर भली–भांति जांच पड़ताल करने पर ऐसे हिन्दू जुलाहें, जो 'कोरी' जाति के पाये जायें उन्हें 'कोरी' अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय। सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल के अन्तर्गत जनपदों से प्राप्त आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि हिन्दू जुलाहा जाति अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची में अंकित नहीं है। उक्त मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों की तहसीलों से जांचोपरान्त पात्र पाये जा रहे व्यक्तियों को 'कोरी' अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

अतएव उक्त लोक महत्व की प्रश्नगत सूचना पर समुचित कार्यवाही सम्बन्धित मण्डल/जनपदों द्वारा की जा रही है।,

जनपद महोबा में 834 वर्षों से लगातार लगने वाले घोषित राजकीय कजली मेले को भव्यता प्रदान किये जाने एवं महोबा को पर्यटन नगरीय घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री राजनारायण बुधौलिया का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के मार्गों को पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री ओम कुमार का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर स्थित सुभद्रा देवी मूलाराम कृषक महाविद्यालय हमजापुर के निर्माण हेतु तीसरी किस्त जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत....

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि ''जिला–शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही में सुभद्रा देवी मूलाराम कृषक महाविद्यालय, हमजापुर में स्थित है। उक्त महाविद्यालय के निर्माण हेतु शासन द्वारा द्वितीय किस्त जारी की गयी थी। महाविद्यालय द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है, किन्तु महाविद्यालय को अब तक तृतीय किस्त जारी नहीं की जा रही है। जिससे उक्त विद्यालय के छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों में सरकार के प्रति जनाक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकारसे वक्तव्य/कार्यवाही की मांग करता हूं।

मा0 सदस्य, विधान सभा के उक्त नोटिस पर मा0 अध्यक्ष जी ने केवल वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2–इस सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद से शासन के पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2015 एवं 19 अगस्त, 2015 द्वारा आख्या प्राप्त की गयी। निदेशक, उच्च शिक्षा ने अपने पत्र दिनांक 19–08–2015 द्वारा अवगत कराया है कि असेवित योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संदर्भित महाविद्यालय को शासनादेश संख्या 2936/सत्तर–6/2008–320/2007, दिनांक 18 अगस्त, 2008 द्वारा कला संकाय

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु0 10.00 लाख एवं शासनादेश संख्या 59/सत्तर–6/2010–178/2009, दिनांक 07 जनवरी, 2009 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रु0 10.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3–उक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय को तृतीय किश्त दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में स्वीकृत धनराशि रु0 20.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये रु0 54.86 लाख का उपभोग प्रमाण–पत्र के क्रम में क्षे0उ0शि0 अधिकारी, बरेली ने अपने पत्र दिनांक 20–05–2010 द्वारा महाविद्यालय के भवन निर्माण की पुष्टि करते हुए तृतीय अन्तिम किश्त की संस्तुति की गयी एवं शासनादेश 10 जनवरी, 2011 द्वारा तृतीय अन्तिम किश्त के रूप में रु0 10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4–उक्त के क्रम में क्षे0उ0शि0 अधिकारी, बरेली ने यह अवगत कराया कि महाविद्यालय को कला संकाय में सम्बद्धता प्राप्त हो गयी है। सम्बद्धता प्राप्त होने के कारण निदेशालय द्वारा शासन से महाविद्यालय को तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रु0 10.00 लाख को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में शासन से दिशा–निर्देश की अपेक्षा की गयी। तत्क्रम में शासन के पत्र दिनांक 16 मार्च, 2011 द्वारा निदेशालय को अवगत कराया गया कि संदर्भित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्राप्त होने के कारण शासनादेश दिनांक 04 सितम्बर, 2008 के मानकों/शर्तों को पूर्ण न करने के दृष्टिगत स्वीकृत धनराशि रु0 10.00 लाख राजकोष में जमा कराया जाय, जिसके अनुपालन में उक्त धनराशि राजकोष में जमा कर दी गयी।

5–असेवित योजनान्तर्गत नये महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में मानकों का निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 3582/सत्तर–6/2008–77/98, दिनांक 04 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर–1, उप प्रस्तर–(15) में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित कर रहे या करने वाले महाविद्यालयों को उक्त अनुदान या स्वीकृत अनुदान की शेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा, किन्तु शासनादेश संख्या 352/सत्तर–6/2013–77/98, दिनांक 23 मार्च, 2013 में निम्नवत व्यवस्था है :–

''ऐसे महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वचनबद्धता एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को खोलने की योजना प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 04 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर–1, उप प्रस्तर–(15) की व्यवस्था को यथावत् बनाये रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या 3582/सत्तर–6/2008–77/98, दिनांक 04 सितम्बर, 2008 के प्रवर्तन में आने के पूर्व चयनित महाविद्यालयों हेतु ही अवशेष देय किश्तों में से एक किश्त प्रदान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा, बशर्ते उनके द्वारा ससमय विहित प्रक्रिया के अनुसार द्वितीय किश्त/तृतीय किश्त (यथास्थिति) हेतु आवेदन किया गया हो।''

6–चूंकि सुभद्रा देवी मूलाराम कृषक महाविद्यालय, हमजापुर, शाहजहांपुर को प्रथम किश्त शासनादेश संख्या 2936/सत्तर–6/2008–320/2007, दिनांक 18 अगस्त, 2008 द्वारा कला संकाय हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु0 10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान

की गयी है, जो शासनादेश दिनांक 04 सितम्बर, 2008 के प्रवर्तन में आने के पूर्व का है। अतः सुभद्रा देवी मूलाराम कृषक महाविद्यालय, हमजापुर, शाहजहांपुर को तृतीय किश्त दिये जाने का प्रकरण शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2013 से आच्छादित है। इस सम्बन्ध में असेवित योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति की आगामी बैठक में विचार कर समुचित निर्णय लिया जाएगा।,

उत्तर प्रदेश के आर0एम0पी0 ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...(स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

इस मद को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था, इसलिए यह मद स्थगित रहेगी।

बरेली मण्डल में भवनों के निर्माण में नेशनल बिल्डिग कोड का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है....

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

रू''बरेली मण्डल भूकम्प की दृष्टि से अतिसंवेदनशील चिन्हित किया गया है। परन्तु इसके बचाव के लिए कोई कार्य योजना बनाकर अमल में होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 ने एक शासनादेश संख्या 313/1–11–2015 राजस्व–11, दिनांक 02–06–2015 को जारी करके यह कहा कि 31 जिलों में रैपिड विजुअल सर्वे कराकर भूकम्प रोधी उपाय किये जायं। परन्तु यह पता नहीं चल पाया है कि मुख्य सचिव के आदेश के अनुपालन में भूकम्प रोधी तकनीक अपनाने के लिए किसी कार्ययोजना पर अमल किया जा रहा है। क्या नये बनने वाले मकानों में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन हो रहा है।''

2–यह उल्लेख करना है कि हाल ही में आये भूकम्प से हुई जन–धन हानि को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 29–04–2015 के माध्यम से भूकम्प रोधी तकनीक से भवनों के निर्माण एवं अन्य उपाय किये जाने पर बल

रू , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया गया है। अग्रेतर प्राधिकरण के पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारी के विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये थे। भारत सरकार के उक्त पत्र में वर्ष 2011 में जन–गणना का उल्लेख करते हुये भवन एवं अधिसंरचनाओं के निर्माण में प्रशिक्षित लोगों यथा–सिविल, संरचनात्मक, भूअभियन्ता, आर्किटेक्ट तथा कुशल कारीगर की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है।

3–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूकम्प एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके सम्बन्ध में अभी तक कोई सटीक पूर्वानुमान किया जाना सम्भव नहीं है। प्रदेश के 31 जनपद–बागपत, बिजनौर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, अमरोहा, कुशीनगर, महराजगंज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, बहराइच, बलिया, संतकबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलंदशहर, देवरिया, गोण्डा, गोरखपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर तथा सीतापुर सिस्मिक जोन–प्ट में आते हैं जो भूकम्प के दृष्टिकोण से अति–जोखिमपूर्ण क्षेत्र हैं। यह भू–भाग अत्यधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण यहां भूकम्प आने की स्थिति में प्रदेश के लिये गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भूकम्प के आने पर सर्वाधिक जन–धन हानि भवनों, इमारतों, मकानों आदि के गिरने/ढहने से होती है।

4–भूकम्प के प्रति प्रदेश की उक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी नये बनाये जाने वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाया जाये तथा पूर्व निर्मित अधि–संरचनाओं/भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे कराकर भूकम्परोधी उपाय यथा–रेट्रोफिटिंग आदि सुनिश्चित किया जाय। उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिनके द्वारा भवन उपविधि संहिता (बिल्डिंग बाइलॉज कोड) में भवनों आदि के निर्माण में भूकम्परोधी तत्वों को सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधन किया जा चुका है।

5–समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, आवास आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, समस्त नगर आयुक्त तथा समस्त जिलाधिकारीगण को दिनांक 02–07–2015 को निर्देशित किया गया है कि भूकम्प से भवन सुरक्षा हेतु त्वरित व प्रभावी उपाय किया जाय। समस्त बनाये जाने वाले नये भवनों का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक से किये जाने तथा पूर्व निर्मित भवनों मुख्यतः लाइफलाइन बिल्डिंग्स कहे जाने वाले भवनों का रैपिड विजुअल सर्वे कराकर उनमें रेट्रोफिटिंग कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6–जहां तक बरेली मण्डल में भवनों के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन कराये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बरेली विकास क्षेत्र में बरेली विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 जो शासनादेश सं0–5416/8–3–08–81 विविध/2008 दिनांक 14–11–2008 द्वारा उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 57 के अन्तर्गत अनुमोदित है के अनुसार सभी प्रकार के मानचित्रों की अनुज्ञा प्रदान की जाती है और महायोजना 2021 के अनुसार भू–प्रयोग निर्धारित किये जाते हैं।

बरेली विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 तथा उसके संशोधित परिष्कार के अध्याय 13 में भूकम्प रोधी निर्माण हेतु जो अपेक्षाएं प्रदत्त की गई है

उनकी प्रायोज्यता, निर्माण अनुज्ञा हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र एवं निर्माण अनुज्ञा हेतु शर्तें निर्धारित की गई हैं जो भूकम्परोधी अर्हताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है, तदोपरान्त निर्मित भवन में अध्यासित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। भूकम्परोधी प्राविधान सभी प्रकार के बहुमंजिलों इमारतों संस्थागत भवनों तथा बहुखण्डीय ग्रुप हाउसिंग भवनों में लागू किये जाते हैं।

भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रयोज्यता भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन तथा 0500 वर्ग मीटर से अधिक भू आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं यथा वाटर वकर्स एवं ओवर हैड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत टावर, अस्पताल, छविगृह, आडीटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थाएं, बस टर्मिनल आदि भूकम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं लागू होती है।,

जनपद मेरठ के टी0पी0 नगर क्षेत्र में शहीद हुये स्व0 श्री वेदमित्र (फौजी) के परिवार को आर्थिक सहायता, परिवार के सदस्य को नौकरी एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, 26 तारीख को 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 15 मिनट पर बुधवार दिनांक 26 अगस्त, 2015 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 21 अगस्त, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

संख्या–5360 / 77–5–2005–371 / 05

प्रेषक,

एस0बी0 मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांक 10 नवम्बर, 2005

विषयः– अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1662 / एम 1 ए 34, दिनांक 28 सितम्बर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अवैध खनन रोकने हेतु जिला स्तर पर निम्नवत् जिला स्तरीय कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य
4. उप जिलाधिकारी	सदस्य
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
6. खान अधिकारी	सदस्य / सचिव

2– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय कार्यबल का गठन कराकर अवैध खनन रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्रवाई से शासन को अतिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
एस0बी0 मिश्र,
अनु सचिव।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद बिजनौर में अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध 439 छापे मारे गये, जिनमें रु0 85.93 लाख की धनराशि राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गई है। वर्ष 2014–15 में पूरे प्रदेश में 8612 छापे मारे गये, जिसके सापेक्ष रु0 2978.35 लाख की धनराशि राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में जनपद बिजनौर में अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध माह जुलाई, 2015 तक 32 छापे मारे गये जिनमें रु0 7.20 लाख की धनराशि राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गई है।

संलग्नक–८

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ–42–43 पर)

मार्च 2013 से जून, 2015 तक प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध कैदियों को बंदीरक्षकों/अन्य कर्मचारियों द्वारा नशीली दवायें, शराब, स्मैक आदि सप्लाई किये जाने वाले प्रकरणों का वर्षवार विवरण

वर्ष–2013

क्र0सं0	कारागार का नाम	बरामद सामग्री	कर्मचारी का नाम	दिये गये दण्ड का विवरण
1	जिला कारागार, सीतापुर	20 गोली एटीवॉन, 15 गोली एल्प्राक्स, 100 ग्राम गांजा।	श्री मुस्ताक अली, बंदीरक्षक	03 वेतन वृद्धियों भविष्यगामी प्रभाव सहित रोके जाने का दण्ड दिया गया तथा जिला कारागार, खीरी स्थानान्तरित किया गया।
2	जिला कारागार, मिर्जापुर	32 नग पावर पाउच नशीली निषिद्ध सामग्री।	श्री सुरेश कुमार दुबे, बंदीरक्षक	01 वार्षिक वेतनवृद्धि बिना प्रभाव की 01 वर्ष के लिए रोके जाने का दण्ड दिया गया है।
3	जिला कारागार, मिर्जापुर	03 बोतल शराब	श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी, बंदीरक्षक	01 वार्षिक वेतन वृद्धि भविष्य को प्रभावित करते हुए रोके जाने का दण्ड दिया गया है।

वर्ष–2014

क्र0सं0	कारागार का नाम	बरामद सामग्री	कर्मचारी का नाम	दिये गये दण्ड का विवरण
1	जिला कारागार, आगरा	शराब की छोटी शीशी।	श्री बलवीर सिंह, बंदीरक्षक	निलम्बित कर विभागीय कार्रवाही संस्थित की गयी तथा 01 वेतन वद्धि 01 वर्ष के लिये रोके जाने से दण्डित किया गया है।
2	जिला कारागार, मिर्जापुर	कोल्डड्रिंक के 02 लीटर के खाली बोतल में शराब।	श्री इन्द्रदेव यादव, रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक	03 वार्षिक वेतन वृद्धि भविष्य को प्रभावित करते हुए रोके जाने का दण्ड दिया गया है।
3	जिला कारागार, मिर्जापुर	कोल्डड्रिंक के 02 लीटर के खाली बोतल में शराब।	श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, रिजर्व बंदीरक्षक	01 वार्षिक वेतन वृद्धि बिना प्रभाव की 01 वर्ष के लिए रोके जाने का दण्ड दिया गया है।
4	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	10 पाउच भांग	श्री काशी प्रसाद चौबे, चौकीदार	आगामी 02 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव के साथ रोकी गयी है।

वर्ष–2015

क्र0सं0	कारागार का नाम	बरामद सामग्री	कर्मचारी का नाम	दिये गये दण्ड का विवरण
1	जिला कारागार, आगरा	चरस	श्री आत्माराम, बंदीरक्षक	अनुशासनिक कारवाही संस्थित की गयी है तथा जिला कारागार, कन्नौज स्थानान्तरित किया गया।
2	जिला कारागार, मेरठ	नरंगी रंग की	श्री विजय पाल	निलम्बित करते हुए अनुशासनिक

		129 गोलियां	सिंह, बंदीरक्षक	कार्यवाही संस्थित की गयी है।
3	जिला कारागार, गाजियाबाद	चरस	श्री जबर सिंह, बंदीरक्षक	निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।
4	केन्द्रीय कारागार, मुरादाबाद	सरसों की तेल की बोतल में शराब	श्री संगम, स्वच्छकार	निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

संलग्नक–प

विधान सभा के द्वितीय सत्र–2015 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री सुनील कुमार सिंह यादव, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–67 का संलग्नक

वर्ष–2013

वर्ष–2013 में 22 कारागारों (के0का0 आगरा/बरेली, जि0का0, आगरा, झांसी, उरई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहगढ़, कानपुर नगर, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बहराइच, बरेली, बदायूं, बिजनौर एवं गाजियाबाद) में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें किसी कारागार में निषिद्ध सामग्री बरामद नहीं हुई।

वर्ष–2014

क्र0	कारागार का नाम	बरामद निषिद्ध सामग्री	दोषी कार्मिकों का नाम/पदनाम	दोषी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण
1	के0का0 नैनी	लाइटर–6, कट्टन–3, ताश गड्डी–2, माचिस डिब्बी–01, बेल्ट–01, खुरपी टूटी–01, लोहे की कील–02	1–श्री अम्बरीश गौड़, वरिष्ठ अधीक्षक 2–श्री बाल कृष्ण, मिश्र, कारापाल	भविष्य के लिए सचेत किया गया। भविष्य के लिये सचेत किया।
2	जि0का0 सहारनपुर	माचिस, बीड़ी, सिगरेट, लाईटर, स्टील चम्मच तथा बंदी सोनू के पास से रु0–14,500/–नगद बरामद। ए0आर0 कार्यालय से एफ0एम0स्पीकर, सी0डी0 (शासकीय कार्य हेतु) कैंची एवं अलमारी से रु–6,800/– बरामद हुए। मोटर बाईडिंग एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यालय से एक लैपटाप (बास्ते प्रशिक्षण)	1–श्री सतेन्द्र सिंह, प्रधान बंदीरक्षक	एक वेतन वृद्धि अस्थायी प्रभाव से रोकी गयी।
			2–श्री सत्यवीर सिंह, प्रधान बंदीरक्षक	भविष्य के लिए सचेत करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी।
			3–श्री रामचन्द्र राकेश, बंदीरक्षक	परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी।
			4–श्री लाल सिंह, बंदीरक्षक	परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी।
			5–श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, बंदीरक्षक	परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी।
3	जि0का0 लखनऊ	बीड़ी के बण्डल, कैप्सटन सिगरेट, जैकेट की डोरी, कपड़े की छोटी सी डोरी, 01 उपन्यासबुक, 01 नेलकटर, 01 प्लास्टिक की कंघी तथा 01 नग माचिस एवं 01 पाकेट	श्री ए0पी0 राय, कारापाल	स्पष्टीकरण मांगा गया, अधीक्षक पद पर पदोन्नत हो जाने के फलस्वरूप अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र0	कारागार का नाम	बरामद निषिद्ध सामग्री	दोषी कार्मिकों का नाम/पदनाम	दोषी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण
		डायरी।		
4	जि0का0 फतेगढ़	सिम गहरन तलाशी में बैरक नं0–6ए की दीवाल में छोटे में कागज की पुड़िया/सिम बरामद हुआ।	श्री पारस नाथ मिश्रा, बंदीरक्षक	परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान करते हुए अन्यत्र कारागार पर स्थानान्तरित किया गया।
5	जि0का0 पीलीभीत	भण्डारे में 01 लाइटर टूटा, 01 लाइटर, बैरक नं0–8ए में बंदी राजवीर सिंह के पास नगद धनराशि रु0 2,080/– बरामद।	श्री रूम सिंह, बंदीरक्षक	कठोर चेतावनी दी गयी।
6	जि0का0 आजमगढ़	लाइटर–03, कैची–04, गुटका–160 पुड़िया, 200 ग्राम हरी पत्ती गांजा, हीटर वायर–01	1–श्री फतेह बहादुर सिंह, बंदीरक्षक	चरित्र पंजी में कठोर चेतावनी दी गयी।
			2–श्री जय प्रकाश यादव, बंदीरक्षक	चरित्र पंजी में निन्दा प्रविष्टि दी गयी।
			3–श्री हरिकृष्ण सिंह, बंदीरक्षक	चरित्र पंजी में निन्दा प्रविष्टि दी गयी।
			4–श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव, प्रधान बंदीरक्षक	चरित्र पंजी में निन्दा प्रविष्टि दी गयी।
7	जि0का0 सुल्तानपुर	बैरक 2बी में बाथरूम में रु0 20/–, शौचालय गंदा, बिजली के तार लटके हुए, शौचालय में दरवाजा नहीं लगा था, 2बी के पीछे रु0 2,480/– तथा 1,605/–, 04 बेल्ट, 01 चम्मच, 07 गुडनाईट कार्ड, 03 लाइटर, 02 माचिस, 01 नग प्लेंयिग कार्ड, 01 अदद पुराना मोबाइल चार्जर बरामद।	श्री मन्दीप पटेल, बंदीरक्षक	एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोके आने जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
8	जि0का0 मेरठ	बंदियों की तलाशी में रु0 4,270/– बरामद हुए।	1–श्री राजेश कुमार वर्मा, कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री सुरेन्द्र मोहन, उप कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			3–श्री सुरेश बहादुर सिंह,	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।

क्र0	कारागार का नाम	बरामद निषिद्ध सामग्री	दोषी कार्मिकों का नाम/पदनाम	दोषी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण
			कारापाल	
9	जि0का0 मीरजापुर	कारागार में बंदियों की तलाशी में 16 मोबाइल एवं सिम बरामद।	1–श्री अविनाश गौतम, अधीक्षक	अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री उमेश बाबू, उप कारापाल/प्रभारी कारापाल	अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित।
			3–श्री राजेश कुमार राय, उप कारापाल	अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित।
			4–श्री रामानन्द यादव, प्रधान बंदीरक्षक	अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित।
10	जि0का0 प्रतापगढ़	मोबाइल चिप	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, कारापाल	स्पष्टीकरण मांगा गया।
11	जि0का0 गोरखपुर	07 नग मोबाइल, मोबाइल चार्जर, चाकू, छूरी, शराब की खाली बोतलें, भांग, कैची बरामद।	1–श्री ओम प्रकाश, बंदीरक्षक	निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही।
			2–श्री राम प्रसाद यादव, बंदीरक्षक	निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही।
			3–श्री राम कुबेर सिंह, कारापाल	स्पष्टीकरण प्राप्त, अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
			4–श्री राजेश कुमार मौर्या, उप कारापाल	स्पष्टीकरण प्राप्त, अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
			5–श्री एस0पी0 शर्मा, वरिष्ठ अधीक्षक	स्पष्टीकरण प्राप्त, अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
12	जि0का0 गोरखपुर (दि0 12/13.12.14)	मोबाइल–01 नग, सिम–01 नग, कैंची–06 नग, लाइटर–06 नग, ब्लेड–03 पैकेट, रस्सी नायलान की लगभग 40 मीटर, सरिया का टुकड़ा एक फिट लम्बा, चिलम–01 नग, चाकू–03 नग, बीयर की खाली बोतल, रु0 2,440/– नगद बरामद।	1–श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, बंदीरक्षक	जांच आख्या में दोषी बताये गये है, इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
			2–श्री राम जी चौधरी, बंदीरक्षक	
			3–श्री बबलू कुमार, बंदीरक्षक	
			4–श्री अनिल कुमार सरोज, बंदीरक्षक	
			5–श्री जटाशंकर तिवारी, बंदीरक्षक	
			6–श्री जग प्रताप सिंह, बंदीरक्षक	

क्र0	कारागार का नाम	बरामद निषिद्ध सामग्री	दोषी कार्मिकों का नाम/पदनाम	दोषी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण
			7–श्री रामयश यादव, प्रधान बंदीरक्षक	
			8–श्री रामवृक्ष, प्रधान बंदीरक्षक	

वर्ष–2015

क्र0	कारागार का नाम	बरामद निषिद्ध सामग्री	दोषी कार्मिकों का नाम/पदनाम	दोषी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
1	जि0का0 मथुरा	सिगरेट, माचिस, गुटखा बरामद हुआ। माचिस को छोड़कर अन्य सामग्री वैध है।	1–श्री पी0डी0 सलौनिया, अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री प्रेम सागर शुक्ला, कारापाल	
			3–श्री सुरेश कुमार, उप कारापाल	
2	जि0 का0 मैनपुरी	धनराशि रु0 9,580/– अलग–अलग बैरकों से एवं चाकू, एक धार दार चम्मच का चाकू, एक स्टील हुक।	1–श्री राजीव शुक्ला, अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री सुरेश मिश्रा, कारापाल	
			3–श्री शिव शरण, उप कारापाल	
3	जि0का0 उन्नाव	25 ग्राम चरस, 6–अदद मेमोरी कार्ड, 07–अदद पेनड्राइव, 02–अदद मोबाइल चार्जर, 01–अदद डाटा केबल, 01–अदद सेविंग कैंची, 01–अदद मोबाइल सिमकार्ड नं0–89918, 79192, 50804, 44739 अंकित है, एक पैकेट गांजा, एक अद्द चिलम एवं धनराशि	1–श्री आर0एन0 पाण्डेय, अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री विनय दुबे, कारापाल	
			3–श्री आलोक कुमार शुक्ला, उप कारापाल	
4	जि0का0 गोरखपुर	04–मोबाइल, गुटखा, बीडी, सिगरेट एवं रु0 13,590/–	1–श्री एस0 के0 शर्मा, व0 अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री आर0 के0 सिंह, कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			3–श्री रमेश चन्द्र तिवारी, प्रधान बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			4–श्री राधेश्याम तिवारी, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।

क्र0	कारागार का नाम	बरामद निषिद्ध सामग्री	दोषी कार्मिकों का नाम/पदनाम	दोषी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
5	जि0का0 बलिया	01–अद्द मोबाइल चार्जर, सिम	1–एन0के0 सिंह, अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री अमरजीत सिंह, प्रभारी कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
6	जि0का0 फैजाबाद	17–नग लाइटर, माचिस, एक छोटा चम्मच का बना चाकू, दो बेल्ट।	1–श्री एस0के0 मैत्रेय, व0अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री के0पी0 त्रिपाठी, कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			3–श्री के0पी0 सिंह तुरेहा, उप कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			4–श्री पशुपति प्रसाद, प्रधान बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
7	जि0का0 देवरिया	04–छोटी कैंची, स्टील मग के हैंडेल के कुछ टुकड़े एवं रु0 2,530/– के नोट तथा 157.00 के नोट	1–श्री रंग बहादुर, अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री ओम प्रकाश यादव, उप कारापाल	
8	जि0का0 मऊ	छोटी कैंची, 03–अदद हीटल फिलामेंट, 01–अदद मोबाइल चार्जर/कनेक्टर, 01–अदद मोबाइल बैट्री, 01 अदद धातु की प्लेट को मोड़कर बनायी गयी चाकूनुमा वस्तु–04 अदद, गांजा लगभग 02 ग्राम	1–श्री कमलेश सिंह, कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री सुरेश कुमार सिद्धार्थ, उप कारापाल/चक्राधिकारी	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
9	जि0का0 प्रतापगढ़	02 मोबाइल मय सिम के, 01 अदद बिना सिम के, 01 अदद मय दो सिम के, चार्जिंग मोबाइल 01 अदद ठीक हालत में, चार्जिंग मोबाइल 01 अद्द ठीक हालत में, गैस लाइटर 03 अदद, चाकू (सब्जी काटने हेतु) 01 अदद, छोटी चिलम 01 अदद, इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड 01 अद्, भगौना (छोटा–बड़ा) 05 अदद, चम्मच (छोटी बड़ी) 07 अदद, गिलास 02	1–श्री अवध नारायन सिंह, कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री राकेश तिवारी, प्रधान बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			3–श्री शिवदास, प्रधान बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			4–श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव, प्रधान बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			5–श्री आनन्द कुमार सिंह, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			6–श्री लाल जी पाल, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			7–श्री ब्रहमकांत मिश्र, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।

क्र0	कारागार का नाम	बरामद निषिद्ध सामग्री	दोषी कार्मिकों का नाम/पदनाम	दोषी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
		अदद, बीयर एवं शराब की बोतले जो कैंटीन टैंक में पड़ी हुई थी, एक सफेद पन्ना में सफेद पाउडर लगभग 10		
10	जि0का0 गाजीपुर	02 मोबाइल सिम एवं कागज जिसमें फोन नं0 लिखे थे	1–श्री उमेश सिंह, अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री वी0के0 त्रिवेदी, कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			3–श्री तारकेश्वर, प्रधान बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			4–श्री राम प्रकाश पाण्डेय, प्रधान बंदीरक्षक/दिन हेड	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			5–श्री कल्पनाथ पाण्डेय, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
11	जि0का0 कौशाम्बी	गांजा एवं मोबाइल 01 बरामद हुआ था	1–श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, उप कारापाल/प्रभारी कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री अवधेश कुमार, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			3–श्री अनिल कुमार शर्मा, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			4–श्री नागेश कुमार सिंह, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			5–श्री कृष्ण कुमार सिंह, प्रधान बंदीरक्षक/दिन हेड	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			6–श्री सत्येन्द्रपाल सिंह, बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
12	जि0का0 मुजफ्फरनगर	कूड़े के ढेर से 01 मोबाइल जिसमें सिम नहीं था, बैट्री व चार्जर नुमा सर्किट	1–चौधरी डा0 सेवाराम सिंह, अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री ए0के0 सिंह, कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			3–श्री जीतेन्द्र कुमार कश्यप, उप कारापाल/चक्राधिकारी	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
13	जि0का0 बिजनौर	01 नग मोबाइल एवं रु0 19,370/– की नगद धनराशि	1–श्री अरुण कुमार अवस्थी, अधीक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			2–श्री आकाश शर्मा, कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।

क्र0	कारागार का नाम	बरामद निषिद्ध सामग्री	दोषी कार्मिकों का नाम/पदनाम	दोषी कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
			3–श्री अशोक कुमार, उप कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			4–श्री राजेश कुमार सचान, उप कारापाल	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			5–श्री दिनेश कुमार बंसल, प्रधान बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			6–श्री श्याम बिहारी लाल, प्रधान बंदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।
			7–श्री पदम सिंह, बदीरक्षक	विभागीय कार्यवाही प्रचलित।

पी0एस0यू0पी0–एल0 159 विधान सभा (283)–31–12–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।